लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

Preservation
1-9-92
Fumigated
30-7-85
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं
Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/
CONTENTS

अंक 48, गुरुवार, 8 मई, 1975/18 वैशाख, 1897 (शक)

No. 48, Thursday, May 8, 1975/Vaisakha 18, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 935, 936, 938 और 943	Starred Questions Nos. 935, 936, 938 and 943	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 937, 939 से 942, 944 और 945 से 956	Starred Questions Nos. 937, 939 to 942, 944 and 945 to 956	19—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 9078 से 9187 और 9189 से 9277	Unstarred Questions Nos. 9078 to 9187 and 9189 to 9277 . . .	27—142
6-3-1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2433 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to USQ 2433 dated 6-3-1975	142
स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	RE. ADJOURNMENT MOTIONS (Queries)	142-43
हिन्डालको के कर्मचारियों द्वारा हिन्डालको के प्रेसीडेन्ट को लिखे गये कथित पत्र के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege re. A letter alleged to have been written by employees of HINDALCO to President of HINDALCO	144, 150—54, 156-157
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	144—50, 154-55
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . .	155-56
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the sittings of Lok Sabha	157
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति :	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes :	

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
35वां, 36वां प्रतिवेदन और अध्ययन दलों के दौरों के प्रतिवेदन	Thirty-fifth and Thirty-sixth Reports and Reports of study-tours . .	157-58
रेयन कारखानों के श्रमिकों की शिकायतों के बारे में याचिका	Petition *Re.* grievances of workers of Rayon Factories	158
भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्याओं के बारे में वक्तव्य :	Statement *Re.* Problems of Refugees from Former East Pakistan	
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar . . .	158
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1972–73—विवरण प्रस्तुत किया गया	Demands for Excess Grants (General) 1972-73—Statement presented . . .	159
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक :	Maintenance of Internal Security (Amendment) Bill . . .	159-60
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce . .	159
वाद-विवाद स्थगित किया गया	Debate adjourned	160
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—	Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill— . .	160—62
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce . . .	160
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . .	161
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . . .	161
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale . . .	161-62
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक :	High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill :	
पुर:स्थापित किया गया	Introduced	162
विजया बैंक के बारे में	*Re.* Vijya Bank	162
अनुदानों की मांगें (नागालैंड)—1975–76	Demands for Grants (Nagaland)—1975-76	163—174
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb . . .	163-64
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	164-65
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan .	165
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo .	165-66
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani .	166-67
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip . . .	167
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Joytirmoy Bosu . . .	167—70
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shi Pranab Kumar Mukherjee .	170—74

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
नागालैंड विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1975 :	Nagaland Appropriation (No. 2) Bill, 1975 :	
पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Introduced and passed .	174-75
नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न के बारे में प्रस्ताव	Motion *Re.* Alleged victimisation of Employees of Comptroller and Auditor General .	175—82
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	175—77 181-82
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	177-78
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee .	178
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	17-879
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P.M. Mehta .	179
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	179-80
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	180
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	180-81

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 8 मई, 1975/18 वैशाख, 1897 (शक)

Thursday, May 8, 1975/Vaisakha 18, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मारुति लिमिटेड को इस्पात का आवंटन

*935. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड, हरियाणा को प्रत्यक प्राधिकरण द्वारा अब तक आवंटित किया गया तथा वास्तव में दिया गया इस्पात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कम्पनी ने इस्पात के कोटे के लिए किस किस तारीख को आवेदन पत्र दिये थे और उसे इस्पात आवंटन कब किया गया तथा कब उपलब्ध कराया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संयुक्त सन्यन्त्र समिति तथा भूतपूर्व विलेट पुनर्बेलक समिति से उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:—

इन्डेन्टों का ब्यौरा

इन्डैन्ट करने की तारीख	इन्डैन्ट की गई मात्रा (मी० टन)
17-3-72 और 6-12-72 को संयुक्त सन्यन्त्र समिति को भेजे गए इन्डेंट	4155
24-3-72, 5-8-72 और 10-11-72 को बिलेट पुनर्बेलक समिति को दिए गए इन्डेंट . . .	1875
जोड़	6030

(2) आवंटनों का व्यौरा

आवंटन की अवधि	आवंटित मात्रा
संयुक्त संयंत्र समिति	(मी० टन)
अक्तूबर,-दिसम्बर,'72	590
जनवरी-मार्च, '73	379
अप्रैल-जून, '73	378
जुलाई-सितम्बर, '73	65
अक्तूबर-दिसम्बर, 73	68
जनवरी-मार्च, '74	शून्य
विलेट पुनर्बेलक समिति	
अप्रैल-जून, 72	530
अक्तूबर-दिसम्बर, '72	137
जनवरी-मार्च, '73	140
अप्रैल-सितम्बर, '73	370
अक्तूबर, 73—मार्च, '74	110
	2767

(3) प्रेषणों के विवरण

वर्ष/प्रेषण की अवधि	प्रेषित मात्रा
संयुक्त संयंत्र समिति	(मी० टन)
1972—73	799
1973—74	408
1974—75	41
	1248 (फरवरी 1975 तक)
विलेट पुनर्बेलक समिति	
अप्रैल-जून, '72	515.395
अक्तूबर-दिसम्बर, '72	134.485
जनवरी-मार्च, '73	शून्य
अप्रैल-सितम्बर, '73	60
अक्तूबर, 73—मार्च, '74	20
जोड़	729.880

जहां तक मुख्य उत्पादकों के स्टाक यार्डों से की गई सप्लाई का सम्बन्ध है उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:—

स्टाकयार्ड का नाम	(मी० टन) प्रेषण
हिन्दुस्तान स्टील लि०, बम्बई	125.893
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बम्बई	40.000
हिन्दुस्तान स्टील लि०, कलकत्ता	41.651
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, कलकत्ता	20.000
हिन्दुस्तान स्टील लि०, धनबाद	120.055
हिन्दुस्तान स्टील लि०, जालंधर	30.499
हिन्दुस्तान स्टील लि०, कानपुर	28.960
हिन्दुस्तान स्टील लि०, दिल्ली	1148.889
"टिस्को", दिल्ली	433.900
"इस्को", दिल्ली	637.600
जोड़	2627.247

श्री ज्योतिर्मय बसु : विवरण में जितना दिया गया है उससे अधिक छिपाया गया है। विवरण के अनुसार उन्होंने कहा है कि :

संयुक्त सन्यन्त समिति :

अक्तूबर-दिसम्बर, 1972	590 मी० टन
जनवरी-मार्च, 1973	379 मी० टन

यदि इन दोनों को जोड़ा जाये तो कुल योग 969 मी० टन होता है।

फिर संयुक्त सन्यन्त्र समिति के प्रेषण के विवरण में यह वर्ष 1972–73 और 1973–74 के लिए भिन्न है। पहले उन्होंने अक्तूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून आदि के लिए दिखाया है किन्तु यहां उन्होंने अचानक वर्षवार 1972–73 आदि के लिए दिखाया है। यह सब भ्रम पैदा करने के अभिप्राय से किया गया है। इस विवरण से किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता है।

माननीय मन्त्री महोदय प्रश्न को तथा मेरे प्रश्न संख्या 2532 के 8-3-73 को दिये गये उत्तर को देखें जिसमें 'प्रेषण' के अन्तर्गत, विभिन्न स्रोतों से मारुति लिमिटेड के लिए मार्च, 1973 तक 1698.52 टन दिया गया है। यदि आप इनको जोड़े (और मेरे हिसाब से यह बहुत जल्दी में किया गया क्योंकि मुझे यह अभी मिला है) उतनी रकम नहीं बनती है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इसे स्पष्ट करेंगे और यह भी बताएं कि 'आवंटित', 'प्रेषण' और 'सप्लाई' शब्दों में क्या अन्तर है? यदि उनका सभा को इस सम्बन्ध में भ्रम में डालने का अभिप्राय नहीं है तो विभिन्न उत्तरों में भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोग करने का क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय अन्त में यह क्या शर्त रखते हो ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप एक घंट का समय लगा कर पिछले उत्तर तथा आज का विवरण देखें और आप देखेंगे कि इससे कुछ भी सूचना नहीं मिलती है। इससे यह पता नहीं लगता है कि इसके आरम्भ होने से इसे प्रतिमाह अथवा हर तिमाही में कितना इस्पात दिया गया और जो शब्द प्रयोग किये गये हैं उनमें क्या अन्तर है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : इस विवरण में कुछ भी छिपाया नहीं गया है किन्तु सभा के समक्ष एक बहुत स्पष्ट और विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न यह है कि सम्बद्ध पार्टी कुछ विभिन्न प्राधिकारियों से कुछ इंडेन्ट करती है और मांग भी करती है उनके जो भी इन्डेन्ट अथवा मांगें हैं वे एक भिन्न वर्ग में आती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उनको क्या आवंटित किया गया है। वास्तव में उन्होंने 10,000 टन की मांग की हो किन्तु उनके आवेदन-पत्र की जांच करने के बाद सम्बद्ध प्राधिकारियों ने केवल 2,000 टन ही आवंटित किया हो। इन्डेन्ट और आवंटन में यही अन्तर है। प्रेषण के बारे में पार्टियों को सारी आवंटित मात्रा उपलब्ध न हुई हो तथा न उठाई गई हो। अतः वास्तविक प्रेषण के बारे में वह मात्रा दी गई है जो वास्तव में सप्लाई की गई है। हो सकता है कि आवंटन किया गया हो किन्तु उस समय इस्पात उपलब्ध न हो। अतः आवंटित की गई पूरी मात्रा पार्टी द्वारा न उठाई गई हो अथवा पार्टी को न दी गई हो

श्री ज्योतिर्मय बसु: 'प्रेषण' और 'सप्लाई' में क्या अन्तर है

श्री चन्द्रजीत यादव : 'प्रेषण' और 'सप्लाई' एक ही बात है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'प्रेषण' और 'सप्लाई' में क्या अन्तर है। यदि अथ में कोई अन्तर नहीं है तो दो अलग-अलग उत्तरों में इन दो शब्दों को प्रयोग करने का क्या कारण है। मेरे प्रश्न का बिल्कुल उत्तर नहीं दिया गया है। उनके विवरण के अनुसार संयुक्त संयत्र समिति के अन्तर्गत 1972-73 और 1973-74 के लिए यह 1207 टन आता है और 1972-73 के लिए यह 799 टन आता है। विलेट पुनर्वेलन समिति के अनुसार अप्रैल से जून, 1972, अक्तूबर, से दिसम्बर 1972 और जनवरी-मार्च, 1973 तक यह 650 टन आता है। इस प्रकार कुल योग 1400 टन से कुछ अधिक होता है। किन्तु मेरे प्रश्न संख्या 2532 के उत्तर में उन्होंने एक विवरण दिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों से मारुति लिमिटेड को मार्च, 1973 तक इस्पात की सप्लाई 1,698.529 टन दी गई है। दो अलग-अलग उत्तरों में इन संख्याओं में अन्तर के क्या कारण हैं। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव: मैंने स्पष्ट स्थिति दी है माननीय सदस्य स्वयं मानते हैं कि वे जल्दी में थे और इस कारण सही योग न किया गया हो। मैंने प्रति तिमाही के बहुत ही स्पष्ट आंकड़े दिये हैं क्योंकि प्रक्रिया यह है कि किसी भी कम्पनी अथवा फर्म या पार्टी को प्रत्येक तिमाही के बाद आवेदन-पत्र देना होता है। पहले स्थिति प्रत्येक तीन महीनों के बाद थी। अतः इण्डेंट अक्तूबर से दिसम्बर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून में दी गई है। तदनुसार इस विवरण में प्रत्येक तिमाही के आवंटन का विवरण दिया गया है। हमने वर्षवार भी आंकड़े दिये हैं कि पार्टियों को कितना मिला है। 'सप्लाई' और 'प्रेषण' में कोई अन्तर नहीं है। किसी ने यह उस स्थिति में प्रयोग किया है जब यह संयंत्र से आता है अर्थात प्रेषण हुआ है। स्टाकयार्ड से उठाने पर स्टाकयार्ड से 'सप्लाई' कही गई है। 'सप्लाई' और 'प्रेषण' में कोई अन्तर नहीं है। सारे आंकड़े वर्षवार तथा तिमाहीवार दिये गये हैं और कोई भेद नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : किसी भी प्रकार के तर्क की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके विवरण के अनुसार मार्च, 1973 तक कुल 1449 टन दिया गया है—विवरण की मद III। कृपया संयुक्त संयंत्र समिति से 799 टन तथा अप्रैल, जून, 1972, अक्तूबर—दिसम्बर, 1972 और जनवरी—मार्च, 1973 के दौरान बिलेट पुनर्वेलन समिति से दी गई मात्राओं का योग देखिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न किया और उन्होंने उसका उत्तर दिया। यह सब अनावश्यक है। अच्छा है आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय गलत आंकड़े दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो भी आंकड़े उन्होंने दिये हैं उन्होंने वह अपनी फाइल से दिये हैं न कि आपकी फाइल से।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे उत्तर नहीं मिला है। महोदय 8—3—1973 को दिये गये मेरे प्रश्न संख्या 2532 के उत्तर में यह बताया गया कि मार्च, 1973 तक 1698.29 टन इस्पात सप्लाई किया गया है। अब उनके विवरण से 1449 टन सप्लाई किया गया है। 250 टन से भी अधिक इस्पात का अन्तर है। वे इसे स्पष्ट करें। वे जानबूझ कर सभा को गुमराह कर रहे हैं। वे प्रधान मन्त्री को बचा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुसार हर समय प्रत्येक मन्त्री सभा को गुमराह करता है। कृपया बैठ जाइए।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य का यह कहना अच्छा नहीं है कि मैं प्रधान मन्त्री का बचाव कर रहा हूं। प्रधान मंत्री को इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक कम्पनी है और मैं इसके बारे में उत्तर दे रहा हूं। जो कुछ मुझे कहना था कह दिया है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई दूसरे आंकड़े हैं तो वे मेरे पास भेजें, मैं उनकी जांच करूंगा। मैंने वर्षवार बहुत विस्तृत तथा स्पष्ट आंकड़े दिये हैं मझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि (क) इस्पात के नियतन के लिए आवेदन-पत्रों की तारीखें क्या हैं और (ख) देश में अन्य छोटी कार परियोजनाओं को कितना इस्पात का नियतन किया गया ?

Shri Shankar Dayal Singh: Mr. Speaker, Sir, we also want to ask some important questions in this regard. He is not the only Member in this House. He has asked three Supplementary questions. I would like to be allowed to put a supplementary question.

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है और उनसे कहा है कि तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री चन्द्रजीत यादव : विवरण में ही मैंने दिया है कि मारुति ने किस-किस तिमाही में आवेदन किया है। मैं संयुक्त संयंत्र समिति को इण्डेण्ट देने की तारीखें अर्थात् 17—3—1972 और 6—12—1972

तथा विलेट पुनर्वेलन समिति को इण्डेण्ट देने की तारीखें अर्थात् 24-3-1972, 5-8-1972 और 10-11-1972 दी हैं। मैंने वे सभी तिमाहियां दी हैं जिनमें मारुति ने संयुक्त संयंत्र समिति तथा विलेट पुनर्वेलन समिति को आवेदनपत्र दिये हैं और वे भी आंकड़े दिये हैं कि मारुति को स्टाकयार्ड से क्या मिला है।

जहां तक इस्पात की अन्य छोटी कार निर्माताओं को सप्लाई का सम्बन्ध है, वह प्रश्न पूछा नहीं गया था अतः मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। किन्तु यदि सदस्य सूचना दें तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्य छोटी कार परियोजनाओं को कितना इस्पात दिया गया। मुझे मालूम है कि दूसरों को थोड़ी अथवा नगण्य मात्रा दी गई जबकि मारुति को भारी मात्रा दी गई है क्योंकि यह प्रधान मन्त्री के लड़के की है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आपका लक्ष्य हमेशा प्रधान मन्त्री ही रहती हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मन्त्री महोदय ने प्रश्न का निर्णायक उत्तर दिया है किन्तु विवादास्पद प्रश्न यह पैदा होता है कि संयुक्त संयंत्र समिति तथा विलेट पुनर्वेलन समिति ने 2767 टन इस्पात का नियतन किया है किन्तु वास्तव में 1977 टन इस्पात ही दिया गया। क्या मंत्री महोदय इस पर कार्यवाही करेंगे कि एक बार नियतन किया जाता है तो पूरी-पूरी मात्रा सप्लाई क्यों नहीं की जाती है? आज उद्योग की यही शिकायत है कि नियतन किया जाता है किन्तु सप्लाई नहीं की जाती है।

श्री चन्द्रजीत यादव : कुछ समय तक इस्पात की कमी थी और यह सही है कि कई मामलों में आवंटन किया गया किन्तु उद्योग तथा पार्टियों को सारी आवंटित मात्रा नहीं मिली क्योंकि इस्पात की कमी थी। आज स्थिति बदल गई है और सिवाय प्लेटों और कुछ एक-दो दूसरी मदों की आवश्यकताए पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी सभी मदें उपलब्ध हैं और आज उद्योग की कोई शिकायत नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केवल काला बाजर कुछ कम हो गया है।

Shri Ram Prakash: This question relates to Haryana. This matter is being brought to this House some time by way of debates and sometime by way of questions for the last three years. I think half of the time of this Parliament is being spent on the so called Maruti scandal... (*Interruptions*). These people are washing the whole time of Parliament by bringing this matter (*interruptions*) whether this question relates to Maruti Limited? This is a political stunt.

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय क्या वह किसी सदस्य से प्रश्न पूछ सकते हैं?

Shri Ram Prakash: These people have no other motive except that the Chief Minister of Haryana, who has raised the status of Haryana and the Prime Minister, whose name is famous all over the world and whom the whole world worships, should be defamed. Whether these people have no other issue of the country before them? Whether this is how they represent their constituencies in Parliament?

अध्यक्ष महोदय : कोई जानकारी नहीं मांगी गई है।

श्री राम सहाय पांडे : माननीय सदस्य इस सन्दर्भ में जानना चाहते हैं कि क्या यह एक राजनीतिक स्टंट है? मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह संगत प्रश्न है।

श्री के० एस० चावड़ा : मारुति लिमिटेड ने अपने मूल औद्योगिक आवेदनपत्र में इस्पात की कितनी मात्रा का उल्लेख किया है? क्या इस्पात के लिए अतिरिक्त मांग की गई? यदि हां, तो क्या उसे लाइसेंसिंग समिति को भेजा गया? यदि नहीं भेजा गया तो क्या आप कारण बतायेंगे कि क्यों यह लाइसेंसिग समिति को नहीं भेजा गया? यह मेरा राजनीतिक प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ भी कहें प्रत्येक व्यक्ति जानता कि यह क्या है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मारुति लिमिटेड ने इस्पात की जो किस्म मांगी वह ढांचे के प्रयोजन के लिए, फैक्ट्री के निर्माण के लिए और निर्माण प्रक्रिया के लिए थी और इसे औद्योगिक लाइसेंसिंग समिति को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सम्बद्ध प्राधिकारी थे, संयुक्त संयंत्र समिति, विलेट पुनर्वेलन समिति तथा स्टाकयार्ड थे। कुछ मामलों में वे सीधे सप्लाई करते हैं। अतः मारुति लिमिटेड की वास्तविक मांग 50,259.13 टन थी किन्तु उनको वस्तुतः जो मात्रा सप्लाई की गई वह 1977.880 टन थी। स्टाकयार्ड तथा संयुक्त संयंत्र समिति और बिलेट पुनर्वेलन समिति से कुल 4,604 टन सप्लाई की गयी।

Rehabilitation of repatriated persons of Indian Origin in Madhya Pradesh

*936. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons of Indian origin viz. migrants from East Pakistan and repatriates from Sri Lanka, Burma, Mozambique and Uganda rehabilitated in Madhya Pradesh; and

(b) the nature of assistance provided for their rehabilitation?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें राज्य सरकार द्वारा भेजी गई नवीनतम जानकारी तथा 31-12-1974 तक दण्डकारण्य परियोजना (मध्य प्रदेश भाग) में बसाए गए परिवारों की संख्या दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(i) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बसाये गये प्रवासी/प्रत्यावासी परिवार

	परिवार की श्रेणी	बसाए गए परिवारों की संख्या	दी गई पुनर्वास सहायता का स्वरूप
1.	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने प्रवासी कृषक परिवार	1279	7 एकड़ विकसित भूमि, बैल, बीज, चारा और कृषि औजार, गृह निर्माण ऋण, पीने के जल के कूयें, निस्तार प्रयोजनों के लिए टैंक। पहली फसल तक 50/– रुपये प्रति माह की दर से भरण–पोषण सहायता भी दी गई थी ।
2.	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने प्रवासियों के गैर–कृषक परिवार	110	कारोबार/लघु व्यवसाय ऋण, आवासीय प्लाट या आवासीय प्लाट खरीदने के लिए ऋण, गृह निर्माण ऋण और भरण–पोषण अनुदान ।
3.	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों के कृषक परिवार	3360	खेती के लिए उद्धार की गई 5 एकड़ भूमि, आबादी के लिए 1/3 एकड़ भूमि, एक मकान, बैलों की एक जोड़ी, एक गाय या बैलगाड़ी, कृषि औजार, बीज, उर्वरक, कीट नाशक और खाद आदि जैसी अन्य कृषि सामग्री । पुनर्वास के प्रारंभिक वर्षों में भरण–पोषण सहायता और सस्ती दरों पर राशन ।
4.	बर्मा प्रत्यावासियों के कृषक परिवार	116	जैसा कि मद 3 में दिया गया है ।
5.	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के नए प्रवासियों के गैर–कृषक परिवार	589	लघु व्यवसाय में बसाए गए परिवारों को कारो–बार, आवास और दुकान के निर्माण के लिए ऋण दिये गये हैं। कुछ परिवारों को इटारसी की सिमेंट कंक्रीट फैक्टरी में रोजगार पर लगाया गया है । मछुओं के रूप में बसाए गए परिवारों को मछली पकड़ने के जाल और नौकाएं दी गई थी। आवासीय ऋण और 3 माह के लिए भरण पोषण सहायता भी दी गई थी।
6.	बर्मा प्रत्यावासियों के गर–कृषक परिवार	72	लघु व्यवसाय में बसाए गए परिवारों को कारोबार, आवासीय और दुकान बनाने के लिए ऋण दिये गए हैं ।

टिप्पणी : (i) यह सूचना मिली है कि राज्य सरकार के द्वारा मोजम्बिक और श्रीलंका के प्रत्यावासी परिवारों को नहीं बसाया गया है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ संख्या में लंका प्रत्यावासियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माना में प्रशिक्षण देकर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल में रोजगार पर लगा दिया गया है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक रिपोर्टों के अनुसार, ऊपर निर्दिष्ट बर्मा प्रत्यावासियों को रोजगार, उचित दर की दुकानों का आवंटन, बजीफे, शिक्षा रियायतें आदि के रूप में भी सहायता दी गई है।

(iii) इन आंकड़ों में वे परिवार, जो पुनर्वास के बाद पुनर्वास स्थलों को स्वयं छोड़ कर चले गए, शामिल नहीं हैं।

(ii) दण्डकारण्य परियोजना द्वारा परियोजना क्षेत्र के मध्य प्रदेश के भाग में बसाए गए परिवार

व्यक्तियों की श्रेणी	बसाए गए परिवारों की संख्या	दी गई सहायता का स्वरूप
1. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने प्रवासी कृषि परिवार	2292	प्रति परिवार 7 एकड़ भूमि, आवासीय प्लाट, गृह निर्माण ऋण, कृषि ऋण तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए अल्पकालीन ऋण।
2. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने गैर–कृषक प्रवासी परिवार	282	आवासीय प्लाट, गृह निर्माण ऋण, लघु व्यवसाय ऋण, तथा 2 एकड़ कृषि भूमि।
3. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासी कृषक परिवार	4339	5 एकड़ कृषि भूमि (ऐसे क्षेत्रों में जहां एक फसल के लिए सुरक्षित सिंचाई उपलब्ध है 4 एकड़ तथा जहां बारह-मासी सिंचाई उपलब्ध है वहां 3 एकड़), 800 वर्ग गज का कृष्य प्लाट, कृषि आवास, आनुसंगिक व्यवसाय, कुआं खोदने और उर्वरकों की खरीद के लिए ऋण। प्रथम तथा द्वितीय कृषि मौसम में 6 महीने के लिए भरण–पोषण सहायता भी दी जाती है।
4. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए गैर–कृषक प्रवासी परिवार	595	2 एकड़ असिंचित भूमि, आवासीय प्लाट / आवास, लघु व्यवसाय/ग्रामीण कारोबार के लिए ऋण, भूमि की जुताई के लिए ऋण, आवासीय कुआं और भरण–पोषण अनुदान।

Shri G. C. Dixit: Whether it is a fact that the State Government of Madhya Pradesh has sent a major scheme to the Central Government on the 1st November, 1973 for the rehabilitation of displaced persons in chambal area in which it is proposed to give 20 thousand acres of land for rehabilitating them and to be used as agricultural land by the families of the farmers. At what stage the scheme submitted to the Central Government is pending and the extent to which work has been done in it and the time by which it is likely to be accepted? The members of the four thousand families have been put on the Tawa project on temporary basis and they will be rendered jobless after 2 or 3 years. If this scheme is undertaken these people who will be rendered jobless after two or three years will get work in this scheme and they will be benefited by this scheme. So how far the Government of India have accepted the scheme submitted to them on 1st November, 1973?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हम विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सुझावों का हमेशा स्वागत करते हैं। जहां तक चम्बल का सम्बन्ध है, हमें पता है कि एक योजना तैयार की जा रही है किन्तु पुनर्वास सम्बन्धी कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। ज्योंही हम इस कार्य को आरम्भ करेंगे हम इससे फायदा उठायेंगे ।

Shri G. C. Dixit: When will it be started?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह कई बातों पर निर्भर करता है। पानी की समस्या प्रमुख बात है। संचार तथा अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है ज्योंही यह साधन तैयार हो जायेंगे, इसे आरम्भ कर दिया जायेगा।

Shri G. C. Dixit: Whether the displaced persons have been given 5 acres of non-irrigated land though a demand for 5 acres of irrigated land in Shahpur area in Betul district was made to the Government of India. Then the Government gave an assurance to make it irrigated land but the same has not been fulfilled.

श्री आर० के० खाडिलकर : बैतूल में 5 एकड़ सिंचित भूमि देने के वचन को पूरा करने के लिए हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Is it a fact that it was decided to rehabilitate most of these people under the chambal scheme and whether Government have now any scheme to rehabilitate most of these persons in Chambal area by levelling its ravines? If so, the time by which these persons will be rehabilitated there and whether Government have a scheme to level these ravines.

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि माननीय सदस्य चम्बल के बीहड़ों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो हम उसका लाभ उठायेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, Sir, is it an answer to my question? Are you satisfied with it? I have clearly asked that there was a scheme to rehabilitate the people under the Chambal Scheme, and the Madhya Pradesh Government have sent a Scheme for this. They are ready but what in their scheme for it?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने यह स्पष्ट किया है कि हम पुनर्वास के लिये भूमि की तलाश में हैं। यह ठीक है कि मध्य प्रदेश हमारी बहुत सहायता कर रहा है, मैं यह कह सकता हूं किन्तु कुछ और पुनर्वास सम्बन्धी हमारे सारे प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर

चम्बल में और जैसा कि उन्होंने कहा है, किसी और क्षेत्र में भूमि उपलब्ध की जाती है तो हम निश्चय ही उसका स्वागत करेंगे।

Shri R. S. Pandey: It is a matter of happiness that at least the honourable Minister has acknowledged the generosity of Madhya Pradesh that this state is prepared for rehabilitation of displaced persons there. But as Mr. Dixit has asked what is the progress made in regard to the scheme submitted by the Madhya Pradesh Government regarding rehabilitation of displaced persons in the Chambal area and in which the Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and the Home Ministry took an initiative. There was a scheme to make these ravines cultivable by levelling them with bulldozers. What has happened to that scheme. Madhya Pradesh is a State which welcomes all the displaced persons, whether they are from East Pakistan or from outside. We have land. But we have sent a scheme. We want to do our duty and as Mr. Dixit has asked I also would like to know about the fate of that scheme?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य इस बारे में जानते हैं फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। विस्थापितों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना होता है। अच्छी कृषि भूमि अथवा मत्स्य पालन की सुविधा अथवा कोई उद्योग हो तभी उन्हें बसाया जा सकता है। जब तक यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जायेगा तब तक विस्थापित परिवारों को वहां बसाना कठिन है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है।

श्री समर मुखर्जी: उत्तर से यह स्पष्ट है कि हजारों विस्थापितों को बसाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। अनुभव से हम यह जानते हैं कि जिस भूमि पर विस्थापितों को बसाया जाता है वह इस प्रकार की है कि उन्हें उसे छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ता है। इस अनुभव की दृष्टि से तथा योजना बनाने में सरकार की असफलता की दृष्टि से मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि इस समय मध्य प्रदेश में कैम्पों में कितने परिवार हैं जिनका पुनर्वास होना है तथा आप उन्हें पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं देने की क्या योजना बना रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री आर० के० खाडिलकर : 21,000 परिवार कैम्पों में कार्यस्थान पर रह रहे हैं। हमें इस समस्या को सुलझाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हो रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी स्थानों पर भूमि की खोज कर रहे हैं और वह लोग पुनर्वास प्रतीक्षा कर रहे हैं हम कुछ पूर्व-प्रबन्ध करने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य में बसाने के लिये भरसक कोशिश कर रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : आपने अवधि नहीं बताई है। आप कितना समय लेंगे ? आपको इस सम्बन्ध में अपना ख्याल बताना होगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से मध्य प्रदेश में बसाये गये परिवारों के बारे में सूचना है। उत्तर में यह कहा गया है कि कृषक परिवारों की संख्या 4339 है। दण्डकारण्य परियोजना जिसमें उड़ीसा भी है 25,753 एकड़ भूमि दी गई है। मध्य प्रदेश में बसाये गये परिवारों की संख्या 7231 है तथा उन्हें दी गई भूमि 38825 एकड़ है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि पिछले अनेक वर्षों में अब तक दी गई भूमि यहां बताई गई भूमि से कम है। इस अन्तर को दृष्टि में रख कर क्या आप बतायेंगे कि विस्थापितों को वास्तव में दी गई भूमि कितने

एकड़ है। विशेषकर पश्चिम पाकिस्तान से ग्राए कृषकों को मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य परियोजना के ग्रन्तर्गत दी गई भूमि कितनी है। विवरण में दिये गये ग्रांकड़ों में स्पष्ट ही विरोधाभास है।

श्री ग्रार० के० खाडिलकर : कोई विरोधाभास नहीं है। माननीय सदस्य यह समझने का प्रयत्न करें कि हमने पुनः बसाने के उद्देश्य के लिये भूमि दी है। कुछ स्थानों पर हमने केवल तीन एकड़ भूमि ही दी है जब कि कुछ दूसरे स्थानों पर ग्रधिक क्योंकि यह ग्रन्य बातों पर भी ग्राधारित है। ग्रतः इस ग्रन्तर ग्रथवा भेदभाव का सवाल ही नहीं हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरा प्रश्न बड़ा ही स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य परियोजना में ग्रथवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई भूमि में काफी ग्रन्तर है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में तथा यहां दिये गये विवरण में दी गई भूमि की मात्रा में ग्रन्तर है। मुझे लगता है यह ग्रांकड़े मनघड़ंत हैं। इसलिये मैं उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

श्री ग्रार० के० खाडिलकर : इसमें कोई ग्रन्तर नहीं है। जो वह कहते हैं कि दण्डकारण्य ग्रथवा ग्रन्य स्थानों पर दी गई भूमि के ग्रांकड़ों ग्रौर यहां दिये गये ग्रांकड़ों में ग्रन्तर है, सही है। इस बारे में वह सही हैं। किन्तु कुछ ग्रौर बातों के ग्राधार पर भी यह निष्कर्ष निकलता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र के मध्य प्रदेश भाग के बारे में मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस विवरण में दायें हाथ के स्तम्भ में इन परिवारों को पुनः बसाने हेतु दी गई सहायता का उल्लेख है। किन्तु राशन ग्रथवा ग्रावश्यक वस्तुग्रों के रूप में किसी भी सहायता का उल्लेख नहीं है। मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि ग्रभी हाल ही में दण्डकारण्य परियोजना में मध्य प्रदेश के पखनजोर स्थान पर कुछ विस्थापितों ने सस्ते दामों पर भोजन प्राप्त करने के लिये एक बदनाम चोरबाजारी करने वाले के विरुद्ध प्रदर्शन किया। उन पर गोली चलाई गई जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई। सामान्यतः पुलिस इस क्षेत्र में बहुत दमन कर रही है। ग्रतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे घटनाग्रों को न होने देने तथा उन्हें कुछ वास्तविक राहत देने के लिये कोई योजना है जिससे इन परिवारों को उचित मूल्यों पर कुछ राशन तथा ग्रावश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों।

श्री ग्रार० के० खाडिलकर : सामान्यतया जब तक उन्हें बसाया नहीं जाता, उन्हें राशन दिया जाता है। माननीय सदस्य इस बात से भली भांति ग्रवगत हैं। जब वह बसा दिये जाते हैं तो उन्हें राशन नहीं दिया जाता। किन्तु एक सुझाव है कि बाद में भी उनके लिये उचित मूल्य की दुकानें ग्रथवा उस प्रकार की कोई व्यवस्था उनके लिये की जाये। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु ग्राप उन पर गोलियां क्यों बरसा रहे हैं ?

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बेचारे विस्थापित जिनकी संख्या 1,30,000 है पिछले दस वर्षों से विभिन्न कैम्पों में सड़ रहे हैं ? ग्राप यह ग्राश्वासन देते ग्रा रहे हैं कि ग्राप इन परिवारों के पुनर्वास की सम्भावनाग्रों का पता लगाने के लिये एक संसदीय शिष्ट मंडल भेजेंगे। ऐसा नहीं किया गया। इन लोगों के साथ पिछले 10 वर्षों से दुर्व्यवहार कैसे किया जा रहा है ? लाखों लोग वहां सड़ रहे हैं। हमें इस सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा करने का भी ग्रवसर नहीं दिया जा रहा है। बह दस वर्षों से सड़ रहे हैं। उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं उनके साथ कैम्प ग्रधिकारी जानवरों से भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ग्रनेक रिपोर्टों से यह पता चलता है कि महिलाग्रों के साथ ग्रौर भी बुरा व्यवहार किया जाता है। बलात्कार ग्रादि के मामले होते हैं। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें इन बेचारे

लोगों के बारे में चर्चा का अवसर नहीं दिया जाता है । उनके द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 5378 परिवारों तथा दण्डकारण्य परियोजना में 9308 परिवारों को पुनर्वास सहायता दी गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन में से कितनों का पूर्ण पुनर्वास हो चुका है और कितने लोग अभी विस्थापित हैं । दूसरे, मैं उनके पुनर्वास पर हुए व्यय के बारे में जानना चाहता हूं ? अन्त में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप इन विस्थापितों को अंडमान के विभिन्न कैम्पों में भेज रहे हैं ? वह अंडमान जाने के बहुत इच्छुक हैं ? क्या आप उन्हें वहां भेज रहे हैं ? क्या आप जांच करवायेंगे कि विभिन्न कैम्पों में रह रहे इन विस्थापितों के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं अन्तिम प्रश्न से आरम्भ करूंगा । जहां तक अंडमान का प्रश्न है यह स्वामीहीन भूमि नहीं है वहां बहुत जंगलात हैं ।

श्री समर गुह : 1969 में सचिवों की उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था उसने अंडमान की यात्रा की थी और सिफारिश की थी कि 1,50,000 विस्थापितों को वहां बसाया जा सकता है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं अपना वचन पूरा करूंगा । जहां तक शिष्ट मंडल भेजने का सम्बन्ध है मौसम आने पर भेजा जायेगा । माननीय सदस्य जानते हैं कि यह मौसम अंडमान जाने का नहीं है । जहां तक अंडेमान का सम्बन्ध है हमें वन क्षेत्र, परिस्थिति तथा अन्य बातों को देखना है । वनों को साफ करना तथा उसे कृषि योग्य बनाना है तथा यह विशेष प्रकार के ही विस्थापितों के लिये नहीं है । श्रीलंका से विस्थापित आ रहे हैं । उनके मामले पर भी हमें ध्यान देना होगा । व्यय के बारे में मुझे आपको अलग से नोटिस देना होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में मैं अभी सूचना नहीं दे सकता । जो भी रिपोर्ट अथवा प्रदर्शन वहां हो रहे हों, विस्थापितों के साथ वहां अच्छा व्यवहार किया जाता है । यद्यपि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री डागा ।

श्री समर गुह : महोदय, सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिवों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था । उन्होंने अंडमान की यात्रा की और सिफारिश की थी कि 1,50,000 विस्थापितों को वहां बसाया जा सकता है । उस प्रतिवेदन का क्या हुआ ? माननीय मंत्री ने सदन को पूरी तरह गुमराह किया है । वह महत्वपूर्ण मंत्रालय के सचिवों की उच्च-स्तरीय समिति की (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान क्यों नहीं ग्रहण करते ? मैंने श्री डागा को बुलाया है । आप सदन के समय पर एकाधिकार मत कीजिये । यह एक बहुत बुरी आदत है ।

श्री समर गुह : महोदय, मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है । उस प्रतिवेदन का क्या हुआ ? वह उस प्रतिवेदन के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है । वह ऐसा उत्तर नहीं दे सकते जैसा आप चाहते हैं । उन्होंने अपनी सूचना के आधार पर उत्तर दे दिया है ।

श्री समर गुह : उन्होंने उस प्रतिवेदन का उल्लेख नहीं किया । मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री ने गलत सूचना दी है । केन्द्रीय सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था, महोदय । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप जो कह रहे हैं हम उसका कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं । आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री समर गुह : उन्होंने भ्रामक वक्तव्य दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी है मैंने अगले सदस्य का नाम बुला दिया है । वह खड़े हैं । **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : मैं उस क्षेत्र से सम्बन्धित हूं । मैं इन विस्थापितों की स्थिति के बारे में जानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने को आपको अनेक अवसर दिये गये हैं ।

श्री समर गुह : उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं । कि उस समिति की सिफारिश का क्या हुआ ? उस समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ ? केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उच्च-स्तरीय समिति का, उसके प्रतिवेदन का क्या हुआ ? मैं श्री डागा से इन विस्थापितों की दशा पर विचार करने के लिये कहता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है ।

श्री समर गुह : उन्होंने गलत सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें एक विशेष प्रकार से उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते । उनके पास जो सूचना थी उन्होंने दे दी है ।

श्री समर गुह : अगर आप इनमें से किसी कैंप में जायें तो आपका दिल भी इन लोगों की मुसीबतों पर पसीज उठेगा । 10 वर्षों से उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है । उस समिति की सिफारिशों का क्या हुआ ? आप कृपया मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री डागा बोलने के लिए खड़े हैं । समर गुह जी आप हमेशा ऐसा मत कीजिये । श्री डागा ।

श्री समर गुह : 10 वर्षों से वे कैंपों मे हैं । मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि वह उनके लिये कुछ हमदर्दी का प्रदर्शन करें । केन्द्रीय सरकार की उस उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों का क्या हुआ जो अण्डमान में विस्थापितों को बसाने के बारे में थी । **(व्यवधान)** . . . .

Mr. Speaker: What is this? Is it that anybody can hold the House to ransom all the time. It is happening everyday. The whole of the House is witnessing that you are taking the time of others.

श्री समर गुह : मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा । मैंने पिछले दस वर्षों से विभिन्न कैंपों में हजारों व्यक्तियों को मरते हुए देखा है । केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया था । उसका क्या हुआ । मैं लाखों और हजारों प्राणियों के नाम पर यह पूछता हूं कि समिति की सिफारिशों का क्या किया गया है ? आपने कृषि, वनरोपण आदि के बारे में उत्तर दिये हैं इन प्रश्नों का उत्तर रिपोर्ट के लगभग 300 पृष्ठों में दिया गया है गृह मन्त्रालय, पुनर्वास मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयों को समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया । समिति ने क्षेत्र का दौरा किया सर्वेक्षण किया और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दीं । उनका क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : आप इन्हें ऐसा करने की अनुमति दे रहे हैं अतः आप पर अन्य लोगों द्वारा प्रश्न पूछने का प्रतिबन्ध लगाने का आरोप लगाता हूं।

श्री समर गुह : मैं लाखों लोगों की खातिर ऐसा जानबूझ कर कर रहा हूं। मैं विस्थापितों को पुनः बसाने का कार्य करता करता 18 बार जेल हो आया हूं। **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने के पश्चात वह पुनः उठ कर खड़े हो गये हैं। मन्त्री महोदय ने पुनः उसका उत्तर दिया है। वह फिर उठ खड़े हुये ; मन्त्री महोदय ने पुनः उत्तर दिया।

श्री समर गुह : उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसा उत्तर दें जिससे आप सन्तुष्ट हों।

श्री समर गुह : उन्होंने भ्रामक वक्तव्य दिया है। उन सिफारिशों का क्या हुआ ? उनका कार्यन्वयन क्यों नहीं हुआ ?

श्री वसंत साठे: श्री समर गुह इस प्रकार का व्यवहार करते हैं इसलिये नेताजी वापिस नहीं आ रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : में इसके परिणामों को भुगतने के लिये तैयार हूं। **(व्यवधान)** यह विस्थापित मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। समिति की सिफारिशों का कार्यान्वियन का क्या हुआ ? उन्होंने कहा है कि 1972 तक 1,50,000 विस्थापितों को पुनः बसा दिया जायेगा ।

श्री बसंत साठे : आप के इस प्रकार के व्यवहार के कारण ही नेताजी वापिस नहीं आ रहे हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : आज मैं एक वक्तव्य दूंगा जिसमें ये सभी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। अतः बाद में वह सन्तुष्ट हो जायेंगे। **(व्यवधान)**

Shri M. C. Daga: You have repeatedly given an assurance in the House that refugees who have come from West Pakistan in 1971 and have settled in Rajasthan will be sent back. But they are not ready to go back. Their condition is pitiable. I want to know the steps taken by Government for their rehabilitation here itself.

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को अनेक बार उठाया है। जो विस्थापित युद्ध-काल में भारत आये हैं वह अभी भी विदेशी नागरिक हैं और पाकिस्तान से बातचीत करने के पश्चात उन पर विचार किया जायेगा। मुझे आशा है कि उन्हें वापिस भेजने में उन्हें सफलता मिलेगी। अगर इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हुईं तो योजना के बारे में सोचा जायेगा।

Shri M. C. Daga: This is no answer. It is four years now that talks are being held with Pakistanis but no decision has so far been taken in this regard.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण में दण्डकारण्य और माना शिविर के एक श्रेणी के शरणार्थियों की स्थायी देनदारियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उनकी कुल संख्या कितनी है ? वास्तव में इन शरणार्थियों की स्थायी देनदारियों के मामले को लेकर उनमें बड़ी अशान्ति है जिन पर पुलिस ने गोली चलाई और लाठी चार्ज किया और जिनको अनुदान देना बन्द कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बारे में आप अलग से एक प्रश्न लायें।

नगर के विकास के लिए मलापुरम स्थित चांदमारी क्षेत्र की भूमि देना

*938. **श्री एन० श्रीकांतन नायर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलापुरम में चांदमारी क्षेत्र का होना इस नगर के विकास में बाधक है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने बार-बार अनुरोध किया है कि इस नगर के विकास के लिये चांदमारी क्षेत्र की भूमि दे दी जाये ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने मलापुरम चांदमारी क्षेत्र की जमीन छोड़े जाने का अनुरोध किया था ताकि वहां एक कालेज खोला जा सके और नगर का विकास किया जा सके। जिस यूनिट के लिए इस क्षेत्र की जरूरत है, उसके मलापुरम से चले जाने के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। यूनिट के लिए वैकल्पिक स्थानों का सुझाव दिया गया है और उनके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री एन०श्री कान्तन नायर : महोदय, मन्त्री जी का उत्तर अस्पष्ट ही नहीं है, अपितु मैं तो यह कहूंगा कि यह अमानुषिक है। चांदमारी क्षेत्र ने इस पिछड़े क्षेत्र में राजमार्ग के साथ लगी काफी लम्बी मूल्यवान जमीन को अपने अधिकार में ले लिया है। मोपला विद्रोह के दौरान इसे लिया गया था। प्रश्न यह है कि राज्य सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद जमीन उसे नहीं सौंपी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की अनुकम्पा से कब कोई कालेज स्थापित किया जायेगा। मलापुरम में जो केरल राज्य में अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है, इस जमीन को छोड़ने में उन्हें कितना समय लग जायेगा ?

श्री जे०बी० पटनायक : सरकार चांदमारी क्षेत्र को उस क्षेत्र से हटाने की अनिच्छुक नहीं है। एक वैकल्पिक स्थान का सुझाव दिया गया है और वह मंजेरी क्षेत्र है। परन्तु यह स्थान इस चांदमारी क्षेत्र के लिये इस कारण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह ढालू और अगम्य है ? दूसरे, इस कार्य के लिये यह जमीन पर्याप्त नहीं है। अत: हम किसी और वैकल्पिक स्थान की तलाश कर रहे हैं और वहां पर स्थित इस विशेष यूनिट के लिये आधार भूत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। इस संयंत्र के स्थापित हो जाने के बाद यह यहां से हटा दिया जायेगा और यह जमीन छोड़ दी जायेगी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या चौगनी हो गयी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मलापुरम जिले को राज्य सरकार ने प्रीयूनिर्वासिटी कोर्स के लिये एक कालेज स्थापित करने के लिये चुना है, क्या केन्द्रीय सरकार कोई और जमीन चुनेगी और इस स्थान को छोड़ेगी, जिससे अगले शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ होने तक इस जिले में एक कालेज चालू किया जा सके।

श्री जे० बी० पटनायक : हम यह निधि शीघ्र लेने की कोशिश करेंगे और हम राज्य सरकार के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे।

श्री वयालार रवि : यह एक पिछड़ा क्षेत्र है और यहां कोई कालेज नहीं है। क्या आप एक आश्वासन दे सकते हैं कि यह जमीन यथाशीघ्र तीन महीने के भीतर खाली कर दी जायेगी ?

श्री जे० बी० पटनायक : समयावधि बताना बड़ा ही कठिन है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। . . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह छूत का रोग है। आखिरकार यह रोजमर्रा की बात हो गई है कि चाहे यह आपका दल हो अथवा दूसरा दल। मैं समझता हूं कि आप ऐसा समझ रहे हैं कि मानो मन्त्री कटघरे में खड़े हैं और मानो मन्त्री गवाह के रूप में आये हैं और आप उनसे जिरह कर रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सही है कि केरल सरकार ने यह मामला केन्द्रीय सरकार के साथ कई वर्ष पहले उठाया था और क्या यह भी सही है कि केरल सरकार ने सरकार से कार्यवाही करने के लिये बार-बार अनुरोध किया है? यदि ये बातें हैं तो निर्णय लेने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, जबकि वैकल्पिक स्थान भी बता दिया गया है। क्या यह सत्य नहीं है कि इस स्थान के बारे में सरकार ने जो आपत्ति उठायी है वह सड़क सुविधाओं की कमी है जिसे भारत सरकार बना सकती थी?

श्री जे० बी० पटनायक : अनुरोध अनेक वर्षों पहले नहीं किया गया था। यह अनुरोध तीन वर्ष पहले किया गया था। जिस जमीन का उल्लेख किया गया है, उसका सर्वेक्षण कर लिया गया है और प्रस्ताव पर विचार किया गया है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह जमीन पर्याप्त नहीं थी। हमें चांदमारी के लिये अधिक जमीन चाहिये। जमीन ढोलू होने के कारण इस जमीन पर पहुंचा नहीं जा सकता है। दूसरे, हम एक वैकल्पिक स्थान की तलाश कर रहे हैं। जब तक हमें इस चांदमारी क्षेत्र के लिये उपयुक्त वैकल्पिक स्थान नहीं मिलता है तब तक हम इस क्षेत्र से चांदमारी क्षेत्र को हटा नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री राम गोपाल रेड्डी।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न में विश्व के देशों के बारे में जानकारी पूछी गयी है। क्या हम विश्व के सभी देशों के लिये जिम्मेदार हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्हें यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के माध्यम से जानकारी मिलती है।

अनिवार्य परिवार नियोजन

+

*943. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री बाल कृष्ण वेनकन्ना नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के किन-किन देशों ने अब तक अनिवार्य परिवार नियोजन को अपना लिया है अथवा इस पर सक्रिय विचार किया जा रहा है ;

(ख) उन देशों की जनसंख्या की वृद्धि की क्रमिक दर क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने अनिवार्य परिवार नियोजन पर अपनाने योग्य विकल्प के रूप में विचार किया हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अन्य देशों के सम्बन्ध में यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिबार नियोजन को अनिवार्य करने का कोई विचार नहीं है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री एक जानकार व्यक्ति हैं । यद्यपि उनके पास ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं, तथापि वह मोटे तौर पर आंकड़े दे सकते हैं कि कौन से देश परिवार नियोजन को अपनाते हैं । जहां अन्य देशों में जनसंख्या वृद्धि केवल 0.5 प्रतिशत है, वहां हमारे देश में यह 2.5 प्रतिशत है । वे कौन से कारगार कदम हैं जो मंत्री जी जनसंख्या वृद्धि की दर कम से कम 0.5 प्रतिशत तक घटाने के लिये उठा रहे हैं ।

डा० कर्ण सिंह : हमारी जानकारी यह है कि कम से कम 60 देशों में औपचारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम हैं । जनसंख्या वृद्धि दर प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न है । जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, हमारे यहां जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत है । हम जनसंख्या वृद्धि दर को घटाने के लिये अनेक उपाय कर रहे हैं । हमारा लक्ष्य यह है कि जन्म दर को घटा कर अगले दस वर्षों के लिये प्रति वर्ष प्रति हजार एक कर दिया जाये । इस प्रयोजन के लिए हम अनेक उपाय कर रहे हैं जैसे परिवार नियोजन सेवायें, प्रजनन जीवविज्ञान में अनुसंधान और परिवार नियोजन का स्वास्थ्य तथा पोषाहार सम्बन्धी सुविधाओं के साथ एकीकरण ताकि ये इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कारगर ढंग से ले जाई जा सके ।

Shri M. Ram Gopal Reddy: As the Honourable Minister has stated that effective steps are being taken. I would like to say that the situation is deteriorating even though remedial steps are being taken. Death rate has been reduced and birth rate should also be reduced in the same proportion

Dr. Karan Singh: Death rate has been reduced and I am sure that if Shri Ram Gopal cooperates, the birth rate will also come down.

श्री एस० बी० गिरि: यद्यपि हमने जनसंख्या वृद्धि में कमी करने के लिये अनेक योजनायें अपनाई हैं, तथापि परिणाम आशाप्रद नहीं रहा है । इस दृष्टि से क्या भारत सरकार जनसंख्या वृद्धि में कमी करना सुनिश्चित करने के लिये कोई विधान लायेगी ?

डा० कर्ण सिंह : यह कहना सही नहीं है कि अब तक जो उपाय किये गये हैं वे प्रभावशाली नहीं रहे हैं । कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा कार्य किया है । यहां हम कुछ राज्यों के नामों का उल्लेख कर सकते हैं—केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है । वे जन्म दर को कम करने में सफ़ल हुए हैं । इस समय हमारी नीति इस कार्य के लिए कोई विधान लाने की नहीं है । हम जनमत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम स्वेच्छा से उनका सहयोग प्राप्त कर सकें ।

श्रीमती एम० गौडफ्रे : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें जानकरी है कि परिवार नियोजन के लिये निर्धारित की गई अधिकांश धनराशि बरबाद की जा रही है ? क्या यह सही नहीं है कि अनेक ग्रामीणों को परिवार नियोजन योजनाओं की समुचित शिक्षा के बिना, अपनाने को बाध्य किया जाता है ? क्या यह भी सही नहीं है कि परिवार नियोजन के कुछ उपाय स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकर हैं और ऐसे मामलों में समुचित पूर्वोपाय नहीं किये जाते ?

डा० कर्ण सिंह : यह कहना सही नहीं होगा कि धन बरदाद किया जा रहा है । यह सत्य है कि कुछ एक मामलों में हमें शिकायतें मिलती हैं कि धन को अच्छी तरह से खर्च किया जा सकता है । मैं माननीय सदस्य और सभा को आश्वासन दे सकता हू कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिये बड़े-बड़े कदम उठाये हैं कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो । मैं सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों

से सम्पर्क रखता रहा हूं । लगभग एक महीने पहले एक बैठक हुई थी और हमने यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये हैं कि जो भी धन खर्च किया जाये उसका पूरा उपयोग हो और शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जनकपुरी, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का औषधालय खोलना

*937. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी, दिल्ली के तीन लाख निवासियों को सरकार द्वारा प्रदान की गई अस्पताल और औषधालय जैसी चिकित्सा सुविधायें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने जनकपुरी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिये केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ये औषधालय कब से कार्य करना शुरू कर देंगे और ये कहां-कहां पर स्थित होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) नंगलराया में 1 दिसम्बर, 1970 से जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का औषधालय चल रहा है वह जनकपुरी के सी–3, सी–5ए, सी–5बी, तथा डी ब्लाकों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करता है । 1975–76 में जनकपुरी में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने का विचार है । दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस औषधालय के लिये मकान प्राप्त करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

Food adulteration cases in Delhi

*939. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**
Shri Lalji Bhai:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of cases of food adulteration detected in Delhi during the last two years, year-wise; and

(b) the cases in which food adulterators were convicted and the cases in which they were acquitted by the Court?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a)

1973	—	758.
1974	—	549.

(b) During the last two years there were convictions in 606 cases and acquittals in 150 cases.

फैक्टरी अधिनियम, 1948 का संशोधन

*940. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फ़ैक्टरी श्रमिकों को अधिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करने की दृष्टि से फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 का संशोधन करने का हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) बेहतर कार्य-दशाओं की व्यवस्था करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में कई संशोधन करने का विचार है । संशोधन करने सम्बन्धी एक विधेयक यथाशीघ्र संसद में पेश किया जाएगा ।

आसाम में बंगलादेश के शरणार्थियों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों का गायब हो जाना

*941. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1971—72 में आसाम में बगलादेश के शरणार्थियों क राहत ार्यों के लिये रखे गये खाद्य-पदार्थों एवं लाखों रुपये की अन्य वस्तुओं क गायब हो जाने क बारे में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध इस बीच कोई कार्यवाही की है जैसा कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में बताया गया हैं ; और

(ख) अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) आसाम सरकार ने सूचित किया है कि खाद्य-पदार्थों के गबन के दो मामलों का पता लगा था । एक मामले में, जो गोआलपाड़ा जिले के शरकुंगुरी शिविर से सम्बन्धित है, 240 क्विंटल चावल लेखे में कम पाए गए थे । दूसरे मामले में, जो मनकाचार और बोरकोना शिविरों से सम्बन्धित है, खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई गेहूं की मात्रा के विपरीत 207 क्विंटल गेहूं और 74 किलोग्राम आटा कम पाया गया था ।

(ख) पहले मामले में, अदालत में कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है । दूसरे मामले में उपायुक्त ने मामले का छानबीन के लिए पुलिस को सौंप दिया है ।

सेन्ट्रल मेरीन डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट

*942. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेन्ट्रल मेरीन डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने का है , और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

विवरण

फ़िलहाल भारतीय शिपयार्ड, विदेशों से खरीदे गये डिजाइनों के अनुसार ही जहाज बनाते हैं। अतः सरकार कुछ समय से केन्द्रीय समुद्री डिजाइन और अनुसंधान संगठन को स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव कर रही है। 17 जुन, 1973 को हुई अन्तर्विभागीय बैठक में इस विषय पर विचार किया गया। इस बैठक में किये गये निर्णय के अनुसरण में, विशेषज्ञों के एक दल ने कुछ यूरोपीय देशों और जापाभ का दौरा किया ताकि वे इन देशों के समुद्री डिजाइन केन्द्रों के कार्य का अध्ययन कर सकें। दल ने जहाज डिजाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये देश में एक केन्द्रीय समुद्री डिजाइन और अनुसंधान संगठन स्थापित करने की सिफ़रिश की।

विशेषज्ञ दल ने इस संगठन की स्थापना पर 18.70 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। 1974–75 वर्ष के लिये 75 लाख रुपये की और 1975–76 के लिये 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। परन्तु अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ है।

एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विदेशी तकनीकी सलाहकारों से बातचीत की जा रही है। सहयोगियों की नियुक्ति की तारीख से छः महीने के भीतर उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

कोलीहान खानों में शैफ्ट लगाना

*944. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी खानों में उत्पादन तथा सेवा शैफ्ट 1972 में पूर्ण रूप से चालू हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या कोलीहान खानों में शैफ्ट लगाने का कार्य मैसर्स थापर एण्ड कम्पनी को सौंपा गया था; और

(घ) यदि हां, तो थापर एण्ड कम्पनी द्वारा लगाये जा रहे कोलीहान शैफ्ट में क्या प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) 1970 में तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार सेवा तथा उत्पादन शैफ्टें 1973–74 की अन्तिम तिमाही तक लग जानी थीं। सेवा शाफ्ट लगाने का काम फरवरी, 1973 में पूरा हुआ। तथापि 1600 किलोवाट उत्तोलक की प्राप्ति में विलम्ब के कारण शाफ्ट को स्थायी फिटिंग के साथ नहीं किया जा सका। इसे अस्थायी उत्तोलन सुविधाओं के साथ दिसम्बर, 1973 में चालू कर दिया गया।

उत्पादन शाफ्ट लगाने के काम में जमीन के भीतर बड़ी भ्रशदार पट्टी के कारण विलम्ब हुआ और यह काम अगस्त, 1974 में जाकर पूरा हो सका। इस समय शाफ्ट में उपकरण लगाने, क्रशर स्टेशन तथा स्थायी हैडगियर की स्थापना का काम चल रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) मार्च, 1975 तक कुल 264 मीटर में से 191 मीटर तक शाफ्ट डुबाव हो चुका था।

रोजगार कार्यालयों द्वारा जारी किये गये रोज़गार वाउचरों के माध्यम से रोज़गार

*945. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों में प्रचलित इस प्रणाली पर सरकार ने विचार किया है कि दुकान संस्थापन और घरेलू कार्य सहित सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में नौकरी ढूंढने वालों को रोज़गार कार्यालयों द्वारा जारी किये गये रोज़गार वाउचर के माध्यम से काम पर रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उक्त प्रणाली लागू करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी किये गये वाउचर के आधार पर पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में रोज़गार देने की प्रणाली किसी भी देश में प्रचलित नहीं है। तथापि, कुछ विदेशी सरकारों द्वारा नौकरी चाहने वाले आप्रवासियों के लिए रोज़गार वाउचर जारी किये जाते हैं।

(ग) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंहानुक सरकार द्वारा भारतीय सहायता के लिए अनुरोध

*946. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रिंस सिंहानुक ने अपने हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और किस प्रकार की सहायता दी है; और

(ग) क्या प्रिंस सिंहानुक से वार्ता करने के लिए सरकार का विचार अपना कोई राजनयिक अथवा वरिष्ठ प्रतिनिधि भेजने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसा कि सदन को ज्ञात है सरकार ने 1 अप्रैल, 1975 को कम्बोडिया राष्ट्रीय संघ की शाही सरकार को (राजकुमार सिंहानुक सरकार) को कानूनी मान्यता दे दी है। इससे पहले अनेक अवसरों पर हमारी प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री ने राजकुमार सिंहानुक और उनकी सरकार के सदस्यों से विचार-विमर्श किया है।

प्रत्येक प्रतिष्ठान में उचित दर की दुकानें खोलना

*947. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में उचित दर की दुकानें खोलना अनिवार्य करने के उद्देश्य से विधान बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और ऐसा कब तक कर दिये जाने की आशा है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). 300 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपभोक्ता सहकारी भण्डार और उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए एक योजना है।

अहमदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें

*948. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों तथा यूनिटों का कार्यकरण संतोषप्रद नहीं है;

(ख) क्या उक्त यूनिटों में सभी आवश्यक तथा उपयुक्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या उक्त यूनिटों में कार्य करने वाले अतिथि (विजिटिंग) तथा अंशकालिक डाक्टरों और सर्जनों को उनका मासिक वेतन, मानदेय आदि पर्याप्त तथा नियमित रूप से नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में तुरन्त सुधार करने के लिए सरकार क्या विभिन्न उपचारात्मक कदम उठा रही है ताकि रोगियों की उपयुक्त चिकित्सा की जा सके और डाक्टरों तथा सर्जनों को अधिकारियों का सौजन्य और सहयोग प्राप्त हो सके ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी देखरेख का प्रशासन राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व होने के कारण, इस मामले की जांच करना गुजरात की सरकार का काम है।

राज्य सरकार ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। जहां आवश्यक होता है उपचारी कार्यवाहियां की जाती हैं।

राज्य सरकारों की स्वामित्व (रायल्टी) की दरें

*949. **श्री अनादि चरण दास** :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से प्रमुख खनिजों संबंधी स्वामित्व की राज्य सरकारों की दरें बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप राज्यों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जिन खनिजों की राजस्व दरों में 1-4-75 से वृद्धि हुई है, उनसे राज्यों को होने वाली स्वामिस्व आय में संशोधित दरों से पूर्व के राजस्व पर कुल मिलाकर 75 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की आशा है। खनिज-वार संशोधित स्वामिस्व-दरों की गजट अधिसूचना की प्रतियां 10-4-75 को सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं।

बादशाह खान का ठौर-ठिकाना

*950. **श्री के० मालन्ना :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी बादशाह खान का ठौर-ठिकाना एक रहस्यमय बात बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बादशाह खान के ठौर-ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) :(क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान सरकार ने बादशाह खान को उनके घर में नजरबन्द कर दिया है।

(ख) जी नहीं।

तिब्बत के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग

*951. **श्री कुशोक बाकुला :**
श्री जाम्बुवन्त घोते :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसा जनमत उत्तरोत्तर बढ़ रहा है कि सरकार को तिब्बत की उत्पीड़ित जनता के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) :(क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जनता में उत्तरोत्तर इस प्रकार का मत बनता जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Teaching of Hindi in Universities abroad

*952. **Shri Ishwar Chaudhry:**
Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the foreign Universities where Hindi is taught;

(b) the incentive given by India to the people learning Hindi there and the nature of incentive given; and

(c) the names of the countries to which teachers have been deputed so far together with their numbers and the nature of other assistance given?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) At present Hindi is taught in 94 foreign universities. A list of such universities is placed on the Table of the House. [Placed in the Library. *See* No. LT—9691/75].

(b) and (c): Award of fellowship, payment of stipend and air passages, setting up of Hindi libraries, production of Hindi-foreign languages dictionaries, deputation of Hindi teachers, visits of Hindi literatures/journalists|publishers to and from foreign countries, financial assistance to voluntary organisations and supply of Hindi books/charts/art objects|typewriters|linguaphone records and other teaching aids including help and guidance in Hindi curriculum and examinations and facilities for correspondence course and other such incentives have been provided by us. We have sent five teachers to Bulgaria. GDR, Mexico, Rumania and Yugoslavia, and provided two part-time teachers in Sri Lanka and three lecturers in our cultural centres in Guyana, Surinam and Trinidad.

गुजरात में प्राप्त लिग्नाइट और बाक्साइट का उपयोग

*953. **डा० महिपतराय मेहता :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में लिग्नाइट और बाक्साइट भारी मात्रा में प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो इनके उपयोग की योजनायें क्या हैं; और

(ग) क्या गुजरात में भारी सूखा होने के कारण जी० एम० डी० सी० श्रमिकों का शोषण कर रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) लिग्नाइट के 2040 लाख टन अनुमानित भण्डार कच्छ जिले में तथा बाक्साइट के 440.50 लाख टन अनुमानित भंडार जामनगर, कच्छ, कैरा, भावनगर, अमेरली तथा जूनागढ़ जिलों में होने का पता चला है।

(ख) राज्य सरकार के प्रतिष्ठान गुजरात खनिज विकास निगम, ने लिग्नाइट के लिए अप्रैल, 1974 में प्रारम्भिक खनन कार्य शुरू कर दिया है। इन भण्डारों की खुदाई और उपयोग के बारे में साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

गुजरात खनिज विकास निगम ने अभावराहत कार्य की दृष्टि से अबदासा ताल्लुक में फरवरी, 1973 से बाक्साइट खनन का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा विभिन्न उद्योगों को अयस्क की पूर्ति कर रहा है। राज्य सरकार भी कच्छ में निर्यात प्रवण एल्यूमिनियम सन्यन्त्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ग) जी नहीं।

आसाम के अस्पतालों में औषधियों की कमी

*954. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के प्रायः सभी ग्रामीण अस्पतालों और औषधालयों तथा कुछ सब-डिवीजन अस्पतालों में भी औषधियां उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1975–76 में आसाम को कोई विशेष अनुदान देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह सूचना असम सरकार से मांगी गई है ।

(ख) दवाइयों की खरीद के लिए असम को अनुदान देने का कोई खास प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Geological Aerial Survey of Madhya Pradesh

***955. Shri Sharad Yadav**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the progress made in the geological aerial survey of Madhya Pradesh; and

(b) the names of the schemes Government propose to introduce to utilize the mineral wealth in Madhya Pradesh following the above survey?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav): (a) Aerial Survey has been carried out by Geological Survey of India over an area of 11,310 sq. kms. in Madhya Pradesh. The analysis of the data is in progress.

At the instance of the State Government of Madhya Pradesh, another aeromagnetic survey of Bundelkhand, Eastern part of Narmada Valley and South Bastar area of Madhya Pradesh was carried out by National Geophsical Research Institute, Hyderabad. The ground follow up is in progress in the anomaly zones of Bundelkhand area.

(b) The decisions cannot be taken till the final results are known of the analysis of the ground follow-up work consequent to the above surveys.

सैनिक कार्यवाहियों में लापता व्यक्तियों का पता लगाया जाना

*956. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962, 1965 तथा 1971 में चीन और पाकिस्तान के साथ हुए संघर्षों के दौरान सैनिक कार्यवाहियों में लापता हो गए उन सभी व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है जिनके नाम 'लापता' व्यक्तियों की सूची में शामिल किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संघर्षों के दौरान लापता घोषित किए गए व्यक्तियों की संघर्ष-वार कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रत्येक संघर्ष के दौरान लापता हुए उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो अभी तक लापता हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं श्रीमन् ।

(ख) (i)	चीनी आक्रमण (1962) .	1657
(ii)	भारत-पाक संघर्ष (1965) . .	372
(iii)	भारत-पाक संघर्ष (1971) .	233

(ग) भारतीय युद्धबन्दियों और रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के जरिये की गयी जांच-पड़ताल से इस बात की पुष्टि हो गयी है कि कोई भी लापता कार्मिक चीनी अथवा पाकिस्तानी प्राधिकारियों के पास बन्दी नहीं है। अतः चीनी आक्रमण और भारत-पाक संघर्षों में लापता सभी कार्मिकों को सभी सरकारी प्रयोजनों के निमित्त 'कार्रवाई में वीरगति को प्राप्त' मान लिया गया। ऐसा, दो मामलों को छोड़कर, जिनमें कि निकटतम सम्बन्धियों की अभी सहमति नहीं मिली है, निकटतम सम्बन्धियों की सहमति प्राप्त करने से सम्बन्धित निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी के कार्यालय का दिल्ली से पांडिचेरी स्थानान्तरण

9078. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मच्छरों के फैलाव को रोकने हेतु स्वास्थ्य मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी को पांडिचेरी स्थानान्तरित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) और (ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में नासिक स्थित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में कार्य कर रहे कर्मचारी

9079. **श्री वी० आर० कवडे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला नासिक महाराष्ट्र स्थित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड औजार विंग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की संख्या कितनी है और उनकी अलग-अलग प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31 मार्च, 1975 को 7235।

(ख) 31–3–75 को संख्या––

अनुसूचित जाति . .	709
अनुसूचित जनजाति . .	170

कुल कर्मचारियों से प्रतिशत––

अनुसूचित जाति . . .	9.82
अनुसूचित जनजाति . . .	2.30

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को, समय-समय पर, राष्ट्रपति के निदेशों के रूप में, अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की निर्धारित प्रतिशत के अनुसार नियुक्ति की

जाती है। इन निदेशों के अनुसार, एच० ए० एल० आरक्षित खाली जगहों के सम्बन्ध में रोज़गार कार्यालयों को सूचना देता है और उनके सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन देता है। इन आरक्षित खाली जगहों को सामान्य उम्मीदवारों द्वारा पहली और दूसरी श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में सरकार को और तीसरी श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में प्रबन्धक निदेशक को पूर्व अनुमति लेकर ही भरा जाता है। किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती में जो कमी रह जाती है उसे अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती में कमी को पूरा करने के लिये तदर्थ भर्ती भी की जाती है।

इराक, तंजानिया, जांबिया और लीबिया में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन

9080. **श्री ए० एस० कस्तूरे :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान इराक, तंजानिया, जांबिया और लीबिया में नियुक्ति हेतु सरकारी माध्यम से कुल 1952 भारतीय विशेषज्ञों का चयन किया गया था ;

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने आवेदकों ने विदेशों में ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दिया था ;

(ग) विदेशों में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने आवेदकों का चयन किया गया था; और

(घ) विदेशों में नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए उनका चयन करने में उन्हें क्या विशेष रियायतें दी गई हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) 1974 में इराक, तंजानिया, जांबिया और लीबिया में सीधी संविदा पद्धति से नियुक्ति के लिए कुल मिलाकर 1166 भारतीय विशेषज्ञ चुने गए।

(ख) और (ग) भारतीय विशेषज्ञों के पंजीयन प्रपत्रों में इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई विशेष रियायतें नहीं दी गई थीं। प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेने और काम की आवश्यकता, योग्यता और अनुभव के आधार पर उनका चयन करने के लिए विदेशी सरकारों ने अपने अपने विशेषज्ञ दल भेजे थे।

सड़कों के निर्माण में सीमेंट के स्थान पर किसी अन्य वस्तु का प्रयोग

9081. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप सड़कों के निर्माण में काम आने वाला सामान बहुत महंगा हो गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संगठन ने सड़कों के निर्माण में सीमेंट के स्थान पर अन्य सामग्री के उपयोग का पता लगाने के लिये अनुसन्धान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

(क) सम्भवतया माननीय सदस्य का आशय पुलों और पुलियों से पृथक् सड़क कुट्टिम के निर्माण के प्रश्न से है। इस प्रयोजन के लिए सीमेंट का उपयोग केवल कुछ सीमा तक ही किया गया है, परन्तु सड़कों के निर्माण के लिए इसके प्रयोग पर मौजूदा प्रतिबन्ध के कारण इसका उपयोग लगभग बन्द ही हो गया है। इसलिये सीमेंट के मूल्य में वृद्धि के कारण सड़क निर्माण के मंहगे हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी, हां। देश में केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान और अन्य प्रयोगशालायें, सड़क निर्माण के लिये सीमेंट का विल्कप ढूंढ़ने के लिए उपयुक्त सामग्री ढूंढ़ने के लिए अनुसन्धान कर रही है।

(ग) अनुसन्धान से पता चला है कि सुर्खी या धूम भस्म जैसे पोजजोलनिक सामग्री के साथ चूना मिलाकर उसे सड़क के आधारों और उप-आधारों के निर्माणार्थ स्थिरीकरण के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है।

Supply of Hindi Typewriters

9082. **Shri Sudhakar Pandey**: Will the Minister of **Shipping and Tarnsport** be pleased to state the action proposed to be taken in regard to the supply of Hindi typewriters to those offices which have English typewriters as only present under his Ministry?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi): Hindi typewriters are purchased by themselves direct by the attached and subordinate offices of the Ministry according to their requirements. They have been advised to make up the deficiency, if any, in this behalf.

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मलयाली नर्सों को परेशान किया जाना तथा उनके साथ छेड़छाड़ करना

9083. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मलयाली नर्सों के सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है जिन्हें सब तरह से परेशान किया जाता है और छेड़छाड़ की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में मलयाली नर्सों की रक्षा करने हेतु क्या तत्काल उपाय किये गये हैं किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) सरकार के ध्यान में इस आशय का समाचार आया है।

(ख) उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सूचित किया है कि यह खबर सच्ची नहीं कि उत्तर प्रदेश में मलयाली नर्से कठिनाइयों का सामना कर रही हैं उन्हें परेशान किया जाता है और उनसे छेड़छाड़ की जाती है। केवल गाजीपुर की एक जूनियर नर्स से ही एक याचिका मिली थी जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार के कतिपय आरोप लगाए गए थे। इस मामले की जांच की जा रही है।

राजस्थान के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दंडकारण्य परियोजना के लिये बजट प्रस्ताव

9084. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोरापुट, उड़ीसा में दण्डकारण्य परियोजना के लिये क्या बजट प्रस्ताव रखा गया है;

(ख) बजट में स्थानीय आदिवासी लोगों के विकास के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों के विकास के लिये क्या नीति अपनाई गई है क्योंकि यह क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत आता है और इसके विकास की सीधी जिम्मेदारी केन्द्र पर है; और

(घ) क्या नीति सम्बन्धी निर्णय के अनुसार आदिवासियों के विकास का व्यय परियोजना अथवा पुनर्वास विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के दण्डकारण्य में पुनर्वास तथा विशेषतया क्षेत्र की आदिवासी जनता के हितों को उन्नति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के समेकित विकास हेतु 24.78 करोड़ रुपये की राशि (जिसमें पोतेरु सिंचाई योजना की व्यवस्था भी शामिल है) अनन्तिम रूप से स्वीकार की गई है। उड़ीसा के कोरापुट जिले के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) और (घ) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा उद्धार की गई भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि आदिवासियों को आवंटन करने के लिए रखी जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार बसाए गए प्रत्येक आदिवासी परिवार को आवासीय स्थान के निर्माण/सुधार, कृषि औजार' खाद और बैल आदि की खरीद के लिए 2,850/– रुपये प्रदान किए जाते हैं। विस्थापित व्यक्तियों के साथ–साथ, आदिवासी भी दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सिंचाई, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार आदि जैसी समस्त सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाते हैं।

आदिवासियों के इस कार्यक्रम पर धन-राशि दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई जाती है परन्तु इसका कार्यान्वियन उड़ीसा और मध्य प्रदेश की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और यह संबंधित राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आदिवासियों के विकास के लिए चालू किए गए किसी विशेष या सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त है।

कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड स्टील की आवश्यकता

9058. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड स्टील की वर्तमान आवश्यकता कितनी है; और

(ख) कितनी मात्रा में ऐसे इस्पात का आयात किया जाता है तथा किन-किन देशों से आयात किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष के दौरान कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड स्टील की चादरों की घरेलू आवश्यकता लगभग 27,500 टन होगी।

(ख) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड स्टील की चादरों के आयात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1973–74 के दौरान कुल 21,550 टन और अप्रैल--नवम्बर, 1974 के दौरान, 31,511 टन विद्युत् इस्पात की चादरें आयात की गई। इनमें कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड, कोल्ड रोल्ड नान–ग्रेन ओरिएन्टेड तथा होट रोल्ड हाई सिलीकन स्टील की चादरें भी शामिल हैं। आयात मुख्यतः जापान से किया गया था परन्तु थोड़ी मात्रा में आस्ट्रेलिया. यू० के०, अमेरिका, सोवियत रूस तथा फ्रांस इत्यादि से भी आयात किया गया था।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बीच में पड़ने वाले बस स्टापों के यात्रियों को राहत

9086. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं की बारम्बारता तथा निगम द्वारा केन्द्रीकृत सेवा लागू करने के पश्चात् यात्रियों के ले जाने के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को प्रमुख बस स्टापों पर कितनी देर बस के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ग) क्या बीच में आने वाले स्टापों के यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है क्योंकि बस लेने के लिये उन्हें अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो बीच में पड़ने वाले बस स्टापों के यात्रियों को राहत देने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) चूंकि नयी डिजाइन पद्धति के अन्तर्गत दिल्ली में बस मार्गों के पुनर्ढांचे की योजना अभी कार्यान्वित की जा रही है, अतः इस समय यातायात की प्रमात्रा पर हाल ही में चालू किये गये विभिन्न मार्गों पर चल रही सेवाओं के प्रभाव का कोई वास्तविक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। परन्तु परिचालन आंकड़ों और यातायात को सुप्रवाही बनाने हेतु विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किये गए दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय अमले के निष्कर्षों के अनुसार, यह समझा जाता है कि दिन में किसी वक्त भी यात्रियों को सब मिलाकर 10 या 15 मिनट से अधिक समय के लिए बस लेने के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।

(ग) जी, नहीं। व्यस्ततम समय के दौरान यात्रियों को मुख्य टर्मिनलों की अपेक्षा मार्ग में पड़ने वाले स्टापों से बस लेने के लिए कुछ अधिक इन्तजार करना पड़ता है। परन्तु दिन के शेष भाग में ऐसी कोई समस्या नहीं है।

(घ) नई पद्धति में अधिक बसों के शामिल होने पर और अरीय तथा मुख्य मार्गों पर सेवाओं की बारम्बारता बढ़ाने पर कठिनाई कम हो जाएगी। अपनी वाहन क्षमता को बढ़ाने के लिए निगम साथ-साथ अपने बेड़े में भी वृद्धि कर रहा है।

नेत्रहीन व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान किया जाना

9087. **श्री वसंत साठे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या क्या है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से नेत्रहीन व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान करने के लिये कोई विशेष योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अन्धे व्यक्तियों की संख्या और उनका राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	प्रति हजार आबादी के पीछे अन्धे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1.33
असम, मणिपुर और त्रिपुरा	0.91
बिहार	2.15
गुजरात	1.77
जम्मू और कश्मीर	1.14
केरल	1.03
मध्य प्रदेश	2.42
तमिल नाडु	0.71
महाराष्ट्र	1.24
कर्नाटक	0.80
उड़ीसा	1.69
पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश	2.13
राजस्थान	2.15
उत्तर प्रदेश	3.36
पश्चिम बंगाल	1.11
समस्त भारत	1.88

(ख) और (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अपनी 17 से 19 अप्रैल, 1975 को हुई बैठक में अन्धेपन पर नियन्त्रण पाने के लिए योजनाबद्ध कार्यवाही की सिफारिश की थी। सरकार ने इस योजना की अभी जांच नहीं की है।

पुनर्वास संगठन में फील्ड इन्सपैक्टरों के वेतन मान

9088. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री पुनर्वास संगठन में फील्ड इन्सपैक्टरों के वेतनमानों के बारे में 20 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न 5698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास संगठन में फील्ड इन्सपैक्टरों के तीनों वेतनमानों को मिलाकर एक वेतनमान बनाने के बारे में आश्वासन को पूरा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) फील्ड इन्सपैक्टरों के वेतन मानों के समेकन का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल एल्यूमीनियम उद्योग में संकट

9089. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एल्यूमीनियम उद्योग पर भारी संकट है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एकक में उत्पादन का स्तर सामान्य स्तर से लगभग 50 प्रतिशत कम हो गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को एल्यूमीनियम उद्योग में उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया है; और

(ङ) क्या राज्य सरकार ने उस दिशा में कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ङ) प्रश्न का संबंध संभवतः एल्यूमीनियम धातु की वर्तमान कमी से है। एल्यूमीनियम प्रद्रावकों को कम बिजली मिलने के कारण 1973-74 में एल्यूमीनियम के उत्पादन में कमी हो रही है। देश में एल्यूमीनियम धातु के कम उत्पादन का, पश्चिम बंगाल सहित देश की उपभोक्ता इकाइयों को एल्यूमीनियम पूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। धातु उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एल्यूमीनियम प्रद्रावकों को बढ़ी हुई तथा नियमित बिजली पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लगातार उपाय किए जा रहे हैं।

मानव स्वास्थ्य पर नसबन्दी और बन्ध्यकरण के प्रभाव

9090. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुषों के स्वास्थ्य पर नसबन्दी और महिलाओं के स्वास्थ्य पर बन्ध्यकरण के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) पुरुषों और स्त्रियों पर नसबन्दी आपरेशन से जो प्रभाव पड़ते हैं उनका देश-व्यापी आधार पर वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने देश के विभिन्न भागों के 12 केन्द्रों में एक सम्मिलित अध्ययन आरम्भ किया है। चूंकि ये अध्ययन हाल ही में आरम्भ किये गये हैं, इसलिए इनके परिणाम एक-दो वर्ष के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेंगे।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के मामले में लागू करना

9091. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल आफिसरों) के संबंध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें पूर्णतया स्वीकार कर ली गई हैं ;

(ख) क्या सरकार को आयोग की सिफारिशों को लागू न करने के कारण चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अनुभव की जा रही वित्तीय कठिनाइयों का पता है ; और

(ग) सरकार का आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी ग्रेड I और जनरल ड्यूटी ग्रेड II में शामिल हैं। चिकित्सा अधिकारियों की एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनेक अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद नान-प्रक्टिसिंग भत्ते की दरों और संशोधित सीनियर क्लास I के वेतनमान में जनरल ड्यूटी आफिसर्ज ग्रेड I की पात्रता के बारे में सुधारों के साथ-साथ सरकार ने तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया है।

(ख) और (ग) सरकार ने 7 अक्तूबर, 1974 को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न ग्रेड के संशोधित वेतन मानों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत ग्राह्य नान-प्रेक्टिसिंग भत्ते की संशोधित दरों के बारे में आदेश भी जारी कर दिये हैं। केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रत्येक जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड II और जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड I के लिए संशोधित वेतनमानों के दो सेट निर्धारित किये गये हैं।

इसे दृष्टिगत रखते हुये जनरल ड्यूटी आफीसर्ज ग्रेड 'एक' तथा जनरल ड्यूटी आफीसर्ज ग्रेड 'दो' को पुनरीक्षित वेतनमान देने से पूर्व उनकी क्रमशः जांच पड़ताल तथा मूल्यांकन किया जाता है। जनरल ड्यूटी आफीसर्ज ग्रेड 'दो' की जांच पड़ताल के लिये संघ लोक सेवा आयोग को पहले ही

लिखा जा चुका है। जनरल ड्यूटी ग्राफीसर्ज ग्रेड 'एक' के मूल्यांकन के लिये भी एक विभागीय समिति का गठन किया जा चुका है। जनरल ड्यूटी ग्राफीसर्ज की जांच तथा मूल्यांकन के कार्य को शीघ्र किया जा रहा है ग्रौर ज्योंही यह कार्य पूर्ण हो जायेगा त्योंही सम्बद्ध लेखाधिकारियों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में उनकी परिलब्धियां निर्धारित कर दी जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों के सैनिकों को सुविधायें

9092. **श्री ग्रर्जुन सेठी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना में नियुक्त पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाले सैनिकों को सुविधायें देने के बारे में हाल ही में ग्रपनी नीति घोषित की है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के बारे में, राज्यवार तथ्य क्या हैं जिनको जनसंख्या के ग्रनुसार इस संबंध में पिछड़ा हुग्रा माना गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गार्डनरीच वर्कशाप ग्रौर मझगांव गोदी द्वारा किये गये मरम्मत कार्य का मूल्य

9093. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गार्डनरीच वर्कशाप तथा मझगांव गोदी में कितने मूल्य का मरम्मत कार्य किया गया ; ग्रौर

(ख) उक्त ग्रवधि में विदेशी जहाजों का कितने मूल्य का काम किया गया ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रौर (ख) ग्रपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

(लाख रुपयों में)

	1972–73	1973–74	1974–75 (ग्रन्तिम)
	(i) मरम्मत - कार्य का कुल मूल्य		
मझगांव डाक लिमिटेड . .	537.22	601.05	1075.00
गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड .	246.84	300.12	342.00
	(ii) विदेशी जहाजों के लिए किये गये मरम्मत-कार्य का मूल्य		
मझगांव डाक लिमिटेड .	195.00	305.00	650.00
गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड . .	2.36	4.37	2.00

राज्यों को राष्ट्रीय राजपथों को अनुमति देने के लिये शक्तियों का प्रत्यायोजन

9094. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों के संबंध में तकनीकी अनुमति देने तथा 10 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रदान कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात संयंत्र अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

9095. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या आरोप हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :

(क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगलादेश को गये भारतीय विशेषज्ञ

9096. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष 1973–74 के दौरान बंगलादेश को अनेक विशेषज्ञ भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विशेषज्ञों की कुल संख्या कितनी है जो बंगलादेश गए हैं तथा उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र यथा डाक्टर, इंजीनियर आदि क्या-क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) 1973–74 वर्ष में, मेघना पुल के पुनर्निर्माण के लिए 240 इंजीनियर और 81 डाक्टर बंगलादेश भेजे गए । उसी वर्ष, सीमेंट, उर्वरक तथा स्पंज लोह परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन के लिए 13 अन्य इंजीनियर भी बंगलादेश भेजे गए ।

युद्ध संग्रहालय और शहीद संग्रहालय की स्थापना करना

9097. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्ध संग्रहालय और शहीद संग्रहालय की स्थापना करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है और वे कहां पर स्थापित किये जायेंगे और परियोजना पर कितने व्यय का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और इसके ब्यौरेवार कार्यान्वियन पर विचार किया जा रहा है। संग्रहालय कहां बनाया जायेगा, इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस परियोजना के दो चरणों में पूरा किये जाने की सम्भावना है—पहले चरण का खर्च लगभग 12.5 करोड़ रुपये बैठेगा और दूसरे चरण का 8 करोड़ रुपये ।

नई दिल्ली स्थित वायु सेना सिग्नल केन्द्र में आग लगना

9098. **श्री सतपाल कपूर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग जार्ज एवेन्यू नई दिल्ली स्थित वायु सेना सिग्नल केन्द्र में 5 या 6 मार्च, 1975 को आग लगी थी;

(ख) सिग्नल उपकरणों तथा सरकारी रिकार्ड को कितनी क्षति पहुंची; और

(ग) आग लगने के कारण क्या थे और रोक-थाम के लिए क्या उपाय किये गये?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 4/5 मार्च, 1975 की मध्यरात्रि को इस केन्द्र में आग लग गयी थी ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में एक जांच-अदालत बिठायी गयी है। इस जांच-अदालत की रिपोर्ट मिल जाने पर ही क्षति का अंदाज़ और आग लगने के कारणों का पता चल सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो, जांच-अदालत की सिफ़ारिशों के आधार पर, वर्तमान निवारक उपायों का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

महाप्रबंधक विशाखापत्तनम स्टील प्लांट का कार्यालय

9099. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के महाप्रबन्धक का कार्यालय अभी दिल्ली में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के निर्माण के बारे में आंध्र प्रदेश की जनता में उत्पन्न आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उस स्थान पर कब तक अन्तरित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विशाखापत्तनम में एक प्रायोजना कार्यालय खोला जा चुका है और इस कार्यालय ने 17 मार्च, 1975 से वहां काम करना आरम्भ कर दिया है। स्थल पर बड़े पैमाने पर काम तभी शुरू होगा जब विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा और जैसे ही आरम्भिक कार्य की योजना पूरी हो जाएगी महाप्रबन्धक का कार्यालय भी विशाखापत्तनम चला जायेगा।

पंजाब को इस्पात का नियतन

9100. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य को वर्ष 1973–74 की तुलना में वर्ष 1974–75 में इस्पात का नियतन बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). लोहे और इस्पात के वितरण की प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किये जाते हैं। अवधि विशेष में उपलब्धि तथा इस्पात के अन्ततः उपयोग जिसके लिए इसकी मांग की गई हो तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रख कर प्रेषण किये जाते हैं। इस समय लोहे और इस्पात की अधिकांश किस्में पर्याप्त माता में उपलब्ध हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को राजनयिक कार्यों का सौंपा जाना

9101. **श्री वेकारिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों के नाम तथा अन्य व्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में राजनयिक कार्य सौंपे गये थे; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को क्या विशेष कार्य सौंपे गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख). पूर्व राजनीतिज्ञों, सार्वजनिक जीवन से संबद्ध लोगों और रिटायरशुदा अधिकारियों के नामों और पदों का एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

8 मई, 1975 को लोक-सभा अतारांकित प्रश्न सं० 9101 के उत्तर में उल्लिखित व्यौरा

1. श्री डी० पी० धर, पूर्व मंत्रिमंडल मंत्री, रूस में भारत का राजदूत।
2. श्री के० एस० शेलवणकर, पूर्व पत्रकार, नार्वे में भारत का राजदूत।
3. श्री आपा बी० पंत, सार्वजनिक जीवन से, इटली में भारत का राजदूत।
4. डा० गोपाल सिंह, पूर्व राजनीतिज्ञ, गुयाना में भारत का हाई कमिश्नर।
5. श्री जे० बी० मुथियाल राव, पूर्व राजनीतिज्ञ, सोमालिया में भारत का राजदूत।
6. श्री पी० एस० नसकर, पूर्व राजनीतिज्ञ, फ़िलिपीन में भारत का राजदूत।
7. श्री ए० एम० टामस, पूर्व राजनीतिज्ञ, जाम्बिया में भारत का पूर्व हाई कमिश्नर।
8. स्वर्गीय श्री गुरनाम सिंह, पूर्व राजनीतिज्ञ, आस्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिश्नर।
9. श्री डी० एन० चटर्जी, भारतीय विदेश सेवा से निवृत्त, फ्रांस में भारत का राजदूत।

10. श्री टी० एन० कौल, भारतीय सिविल सेवा से निवृत्त, अमरीका में भारत का राजदूत ।

11. श्री एस० सेन, भारतीय सिविल सेवा से निवृत्त, बंगलादेश में भारत का हाई कमिश्नर ।

12. श्री के० बी० लाल, भा० सि० सेवा से निवृत्त, बेल्जियम में भारत का राजदूत ।

13. श्री बी० के० नेहरू, भा० सि० सेवा से निवृत्त, यूनाइटेड किंगडम में भारत का हाई कमिश्नर ।

14. श्री आर० जैपाल, भा० वि० सेवा से निवृत्त, संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत का राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि ।

15. श्री जहीर अहमद, भारतीय प्रशासन सेवा से निवृत्त, सऊदी अरब में भारत का राजदूत ।

16. श्री इमदाद अली, भारतीय पुलिस सेवा से निवृत्त, यमन लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत का राजदूत ।

17. श्री अर्जन सिंह, निवृत्त सेना प्रमुख, कीनिया में भारत का हाई कमिश्नर ।

18. श्री खलीक अहमद निज़ामी, पूर्व शिक्षाविद, सीरियाई अरब गणराज्य में भारत का राजदूत ।

19. श्री शिशिर गुप्त, पूर्व शिक्षाविद, वियतनाम जनतांत्रिक गणराज्य में भारत का राजदूत ।

20. श्री एस० ई० एच० रिज़वी, पूर्व बेंकर, संयुक्त अरब अमीर राज्य में भारत का राजदूत ।

21. श्री आर० खथिंग, भारतीय सीमा प्रशासन सेवा निवृत्त, बर्मा में भारत के पूर्व राजदूत ।

आकाशवाणी द्वारा देशव्यापी प्रायोगिक अध्ययन परियोजना

9102. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीणों को नाटकों एवं गीतों के माध्यम से प्रेषित परिवार नियोजन संदेश से संतुष्ट है;

(ख) क्या आकाशवाणी ने, इस बात का निर्धारण करने के लिए कि वे अपना अभियान किस ओर चलाये देश-व्यापी प्रायोगिक अध्ययन परियोजना प्रारम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में योजना की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां, यदि पूर्णरूप से विचार किया जाये तो सरकार संतुष्ट है। परन्तु ऐसे मामलों में हमेशा सुधार की गुंजायश रहती है।

(ख) जी, हां।

(ग) विशिष्ट श्रोता-दल किस प्रकार के कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं, इस बात का निश्चय करने के लिए देश के विभिन्न भागों के 70 ग्रामों में यह अध्ययन किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में रीवां स्थित केन्नूर रेंज में तोपखाना अभ्यास के कारण यातायात का बन्द होना

9103. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवां नगर के समीप केन्नूर स्थान पर तोपखाना अभ्यासों के कारण रीवां-सिधी राजपथ पर यातायात बिल्कुल बन्द हो गया है तथा इंधन की कमी के इस दौर में 15 मील रास्ता बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो जिसे पहले सावधिक अभ्यास घोषित किया गया था अब उसने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा इस्पात वस्तुओं का निर्यात

9104. **श्री रोबिन सेन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड इन्टरनेशनल लिमिटड ने अपने गठन से लेकर 31 मार्च, 1975 तक वर्षवार, इस्पात वस्तुओं का कितना निर्यात किया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : सेल इन्टरनेशनल को 23–7–1974 से इस्पात की मदों के निर्यात के लिए माध्यम अभिकरण नियुक्त किया गया था। 31 मार्च, 1975 तक 283,800 मीटरी टन निर्यात के लिए करार किए गए थे। 31 मार्च, 1975 तक सेल इन्टरनेशनल ने 65,417 मीटरी टन इस्पात सामग्री का निर्यात का काम किया।

भारतीय तांबा निगम द्वारा अर्जित लाभ

9105. **श्री एस० एन० सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तांबा निगम जो कि इस समय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का एक एकक है राष्ट्रीयकरण के समय लाभ में चल रहा था ;

(ख) यदि हां, तो अपने राष्ट्रीयकरण के वर्ष तथा उससे पहले किसी एक वर्ष में भारतीय तांबा निगम ने वस्तुतः कितनी-कितनी राशि का लाभ कमाया ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने इस सारे लाभ को अपने खाते में डाल लिया था और अब उसे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने लाभ के रूप में दिखाया जा रहा है ; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने भारतीय तांबा निगम जो कि इस समय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का एक एकक है, के लाभ को छोड़ कर इस वर्ष अथवा पिछले वर्ष कोई लाभ कमाया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय ताम्र निगम लि० प्रतिष्ठान के प्रबन्ध का अधिग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा 10 मार्च, 1972 को किया गया था। भारतीय ताम्र निगम प्रतिष्ठान को 21-9-72 को अधिग्रहीत किया गया था (तथा वह हिन्दुस्तान कापर लि० की इकाई बन गया है)। अधिग्रहण से पूर्व भारतीय ताम्र निगम लिमिटेड कलैण्डर वर्ष के आधार पर तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि का लेखा तैयार कर रहा था। निगम द्वारा अधिग्रहण के पूर्व तथा बाद में अर्जित लाभ निम्नलिखित है :—

अवधि	लाभ (रुपयों में)
1971	1,86,97,057
1-1-72 से 20-9-72	1,14,28,288
21-9-72 से 31-3-73	2,52,21,024

(ग) 21-9-72 से पूर्व का लाभ पूंजी जमा खाते में अन्तरित कर दिया गया था जब कि 21-9-72 से 31-3-73 तक का लाभ तुलन-पत्र में अन्तरित किया गया था और यह सामान्य जमा निधि का अंग बन क्या है।

(घ) जी, नहीं।

खेतड़ी तांबा परियोजना में प्रधान मन्त्री का दौरा

9106. **श्री बृजेश्वर नाथ भार्गव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने एक सार्वजनिक सभा में, जब वह 5 फरवरी, 1975 को खेतड़ी तांबा परियोजना के दौरे पर गयी थीं; कार्य करते समय दुर्घटना ग्रस्त होने वाले कर्मचारियों को सम्बद्ध नियमों/कानूनों के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों के कारण नियमों/कानूनों में संशोधन कर कोई उल्लेख किया था ;

(ख) यदि हां, तो यह उल्लेख किस प्रकार का था और मंत्रालय ने अब तक इस मामले में क्या आवश्यक कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश दिया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग). प्रधान मंत्री ने 5-2-75 को खेतड़ी की आम सभा में 1 फ़रवरी, 1975 को हुई खेतड़ी खान दुर्घटना में मृत गरीब मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने उनकी कठिनाइयों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि दुर्घटना में मारे गये मजदूरों के परिवारों को मौजूदा नियमों/कानूनों के अनुसार मुआवजा दिया जा चुका है, फिर भी इस्पात और खान मंत्री (जो वहां उपस्थित थे) को चाहिए कि दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को देय मुआवजे के औचित्य के बारे में जांच करें तदनुसार सरकार द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा सेवा के स्तर में गिरावट

9107. **श्री पी० के० घोष :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में हाल के महीनों में शल्य चिकित्सा से भिन्न चिकित्सा सेवा के स्तर में गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या इस समय कोई पूर्णकालिक हृदय विशेषज्ञ अस्पताल से सम्बद्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

छोटानागपुर, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्र में मलेरिया का फैलना

9108. **श्री चन्द्रलेन्दु भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्र में मलेरिया रोग गत तीन वर्षों में किस सीमा तक बढ़ा है और इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) मलेरिया की चिकित्सा के लिये स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने वर्ष 1974–75 में कौन-कौन सी कितनी-कितनी तथा कितने-कितने मूल्य की औषधियां खरीदीं तथा मलेरियाग्रस्त क्षेत्रों में बांटी ; और

(ग) एसी औषधियों की बाजार में अत्यधिक कमी तथा बहुत से स्थानों पर इन औषधियों की कालाबाजारी आरम्भ हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए मलेरियाग्रस्त क्षेत्रों में इन औषधियों को उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) छोटानागपुर, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में मलेरिया के पौजेटिव रोगियों की संख्या का विवरण (परिशिष्ट 1) संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.–9692/75] । मलेरिया की रोकथाम करने के लिये उपर्युक्त राज्यों को कीटनाशी दवाइयों और मलेरिया रोधी औषधियों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई कर दी गई है ।

(ख) उपर्युक्त 3 राज्यों को 1974–75 में दी गई मलेरिया रोधी औषधियों की मात्रा और उनकी लगभग कितनी कीमत है उसका विवरण (परिशिष्ट 2) संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.–9692/75] :

(ग) मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का निदेशालय सम्भावित उपचार के लिए राज्यों को 4—एमिनोक्विनोलीन गोलियां देता है । इनका आगे वितरण राज्य सरकारें करती हैं । मलेरिया उन्मूलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, संगठन, औषधालय और चिकित्सा संस्थाएं ये गोलियां रोगियों को मुफ्त में देती हैं । यह औषधि आम बाजार में प्राइवेट डाक्टरों के पास भी मिल जाती है । मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का निदेशालय राज्य सरकारों को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम संगठन के माध्यम से मलेरिया के पोजेटिव रोगियों के शीघ्र इलाज में होने वाली 8—एमिनो-क्विनोलीन की गोलियां देता है । राज्य सरकारों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे यह औषधि भारतीय चिकित्सा संघ की स्थानीय शाखाओं को दे दें । इस औषधि को इण्डियन ड्रग्ज़ फ़ार्मेस्यूटिकल्ज़ लिमिटेड के माध्यम से आम बाजार में उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाए गए हैं ।

पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में छटनी किये गये श्रमिक

9109. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1975 से 31 मार्च, 1975 के बीच तीन महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कुल कितने श्रमिकों की जबरन छुट्टी तथा छटनी की गई ; और

(ख) जबरन छुट्टी तथा छटनी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

चीनी सैन्य प्रतिनिधि मण्डल द्वारा पाकिस्तान की यात्रा

9110. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि चीन के एक उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमण्डल ने अभी हाल में हथियारों की सहायता के लिए पाकिस्तान की जरूरतों का पता लगाने के लिये पाकिस्तान की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि पाकिस्तान ने किस प्रकार की और कितनी मात्रा में हथियारों की सहायता मांगी है और चीनी प्रतिनिधिमण्डल ने अगर कोई आश्वासन दिये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी हाल में पाकिस्तान को अमरीका द्वारा जिन हथियारों की सप्लाई का वचन दिया गया है, उनके अलावा इस चीनी सहायता से भारतीय उप-महाद्वीप में शान्ति की स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें पढ़ी हैं । लेकिन इस विषय में सरकार को और कोई सूचना नहीं है ।

छतरा सिंचाई नहर परियोजना

9111. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार द्वारा बनाई गई छतरा सिंचाई परियोजना के प्रबंध में अब तक रुचि नहीं दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) नेपाल के महामहिम नरेश की सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि मई, 1975 में छतरा सिंचाई नहर परियोजना की प्रबंध व्यवस्था वे अपने हाथ में ले लेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषध उद्योग में कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मजूरी नीति

9112. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध तथा भेषजीय उद्योग में कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने के बारे में विचार किया है अथवा विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). सरकार द्वारा राष्ट्रीय मजदूरी संबंधी नीति तैयार की जायेगी, उसमें औषध तथा भेषजीय उद्योग के कर्मचारी भी शामिल होंगे।

भारत अमरीकी हितों का टकराव

9113. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में ऐसी भावना उत्तरोत्तर बढ़ रही है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक भारत अमरीकी हितों में पग-पग पर टकराव है, भारत अमरीका के साम्राज्यवादी शक्तियों के नेतृत्व के विरुद्ध निर्धन देशों का नेतृत्व करता है;

(ख) क्या ऐसी विशेषतया हाल ही में गत वर्ष भारत के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु विस्फोट के पश्चात् हुआ है जिससे पेंटागन तथा अमरीकी विदेश विभाग में घबराहट फैल गई थी;

(ग) क्या इस भारत विरोधी अभियान में गिरजाघर तथा टेलीविजन प्रणाली पूरे देश (भारत) को एक बहुत बड़ी गंदी बस्ती तथा भिखारी लोगों के रूप में चित्रित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और एक निश्चित उद्देश्य से चलाये जा रहे अनिष्टकारी अभियान का जवाब देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य केन्द्रों में पानी की कमी

9114. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कुछ स्वास्थ्य केन्द्र, विशेषकर जंगल बल्लभपुर प्राइमरी हैल्थ सेंटर रोगियों को इस शर्त पर भर्ती करते हैं कि पानी की सप्लाई रोगियों के सम्बन्धियों और मित्रों द्वारा की जायेगी;

(ख) क्या पानी की कमी के कारण डाक्टर और चिकित्सा कर्मचारी आपरेशन करने या मिक्सचर तैयार करने में बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और कुछ मामलों में रोगियों को भर्ती करने से इन्कार कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही भेज दी जायेगी।

पमबन पुल का निर्माण

9115. **श्री था० किरुतिनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पमबन पुल के लिये निविदा स्वीकार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) निविदा स्वीकार करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कार्य को पूरा करने के लिये कितना समय दिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि पुल का ठेका मद्रास के मेसर्स नील कंठण ब्रदर्स कन्ट्रक्टर (प्र. इवेट) लिमिटेड को दिया जाये। टेन्डर की स्वीकृति इस ठेकेदार को 31-8-74 को दी गई।

(ग) निविदा तब करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) पुल को पूरा करने का अनुबंधित समय 4 वर्ष (48 महीने) है, और इसके 1978 के अंत तक पूरा होने की सम्भावना है।

Industrial Cooperatio nwith West Asian countries

9116. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether India is going to take significant steps for increasing industrial cooperation with West Asian countries; and

(b) if so, full facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Effective steps are already underway for increasing industrial cooperation with West Asian countries.

(b) Industrial collaboration in the field of iron ore pellets, alumina, paper, sugar, fertilisers, steel and sponge iron, caustic soda and soda ash, etc. is under consideration with countries in West Asia. We have also conducted Techno-economic surveys in some of these countries to strengthen industrial cooperation.

पेरिस में तेल उत्पादक तथा उपभोक्ता देशों की प्रारंभिक बैठक

9117. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या और उर्वरकों तथा औद्योगिक कच्चे माल और उपकरणों के बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या से निपटने के लिये तेल उत्पादक तथा उपभोक्ता देशों के विश्व सम्मेलन के लिए मार्ग तथा याजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए 1 अप्रैल, 1975 को पेरिस में हुई 10 राष्ट्रों की बैठक में भारत ने भाग लिया था:

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कोई निर्णय किया गया; और

(ग) क्या भारत ने बैठक में कोई प्रस्ताव रखे थे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रि स्तर की प्रस्तावित बैठक को कार्यसूची पर चूंकि सहमति नहीं थी अतः प्रारंभिक बैठक मध्यावकाश के लिए उठ गयी।

(ग) इस बैठक में भाग लेने वाले सभी देशों ने इस बात को स्वीकार किया था कि अत्यधिक गम्भीर रूप से प्रभावित देशों के सामने जो विकट समस्यायें हैं और जिनमें भारत भी शामिल है, उनके तत्काल समाधान की आवश्यकता है। यह विषय कार्य सूची के उन सभी मसौदों में शामिल था जो प्रारम्भिक बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे।

वियतनाम में युद्ध

9118. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी प्रशासन द्वारा वियतनाम में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की धमकी दिये जाने के कारण वियतनाम के ऊपर दोबारा युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं जिससे एशिया में शांति के लिए खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस संकट को दूर करने के लिये भारत सरकार द्वारा अपने प्रभाव का प्रयोग करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क), (ख) और (ग). जैसा कि सदन को पता है 30 अप्रैल, 1975 को भूतपूर्व सैगोन सरकार द्वारा दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की सेनाओं के सामने आत्म समर्पण कर देने के साथ ही वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया है।

एल्यूमीनियम की कमी का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव

9119. **श्री पी० गंगादेव** : **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :
श्री डी० डी० देसाई : **श्री बरके जार्ज** :
श्री जी० वाई० कृष्णन : **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि देश में एल्यूमिनियम की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या इस स्थिति का सामना करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग). 1973-74, 1974-75 तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा एल्यूमिनियम प्रद्रावकों पर लागू भारी बिजली कटौतियों के कारण एल्युमिनियम के उत्पादन में काफी कमी हुई है। इस धातु की कमी का (बिजली तथा वाणिज्यिक दोनों ही ग्रेडों की कमी का) खपत उद्योगों, विशेषतया केबुल तथा कन्डक्टर निर्माताओं के कार्य पर भी प्रभाव पड़ा है। एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को यथाशक्ति नियमित तथा अधिक से अधिक बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा लगातार कदम उठाये जा रहे हैं।

कर्नाटक सरकार द्वारा बंगलौर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए अनुरोध

9120. **श्री के० लकप्पा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कहां-कहां क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य में बंगलौर के स्थान पर इस समय कोई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय नहीं है ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप लोगों को भारी असुविधा होती है ;

(घ) बंगलौर में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय न खोलने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ; और

(च) क्या इस संबंध में कर्नाटक सरकार की ओर से हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) इस समय निम्नलिखित स्थानों पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कार्य कर रहे हैं :— दिल्ली, चण्डीगढ़, लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास और एर्णाकुलम ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (च). कर्नाटक राज्य का कार्य इस समय मद्रास के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में होता है । कर्नाटक सरकार ने मैसूर के वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल के बंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ भेजा था । इसकी ध्यान से जांच की गई । कार्यालय संचालन की मात्रा को देखते हुए बंगलौर में अलग कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं है । इस प्रस्ताव को इस दृष्टि से बराबर ध्यान में रखा जा रहा है कि जब भी कार्य की मात्रा में समुचित वृद्धि हो तो इसे क्रियान्वित किया जाये ।

एल्यूमिनियम की मांग और उत्पादन

9121. **श्री बरके जार्ज :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने एल्यूमिनियम संयंत्र कार्य कर रहे हैं और उनकी क्षमता क्या है ;

(ख) देश में इस समय एल्यूमिनियम का कुल कितना उत्पादन होता है और इसकी मांग कितनी है ;

(ग) क्या 40 प्रतिशत क्षमता का कम उपभोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान क्षमता का पूरा उपभोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस समय देश में चल रहे एल्यूमिनियम संयंत्रों की संख्या तथा उनकी स्थापित क्षमता नीचे दर्शायी गई है :—

संयंत्र की स्थिति	वर्तमान स्थापित क्षमता	प्रबंधक
	(प्रति वर्ष टनों में)	
1 हीराकुड (उड़ीसा)	20,320	मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि० कलकत्ता ।
2 अलवाए (केरल) .	15,350	तदेव
3 बेलगांव (कर्नाटक) .	50,000	तदेव
4 रेणुकूट (उत्तर प्रदेश)	95,000	मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि० बम्बई ।
5 मेट्टूर (तमिल नाडु)	20,000	मैसर्स मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लि० कोयम्बतूर ।
6 आसनसोल (पश्चिम बंगाल) (सितम्बर, 1973 से तालाबंदी है)	9,000	एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, कलकत्ता
	2,10,170	

(ख) और (ग). लगभग 210,000 टन स्थापित क्षमता के मुकाबले में 1974-75 में एल्यूमिनियम का उत्पादन लगभग 1,26,550 टन हुआ । इस प्रकार क्षमता का 40 प्रतिशत कम उपयोग हुआ । हाल में लगाए गए अनुमान के अनुसार 1975–76 की मांग लगभग 2.1 लाख टन है ।

(घ) वर्तमान क्षमता के कम उपयोग का मुख्य कारण अपर्याप्त बिजली की पूर्ति है । देश में एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को बिजली की बढ़ी हुई और नियमित पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

दादर और नागर हवेली में वहां के निवासियों के अतिरिक्त व्यक्तियों द्वारा कारों, स्कूटरों तथा ट्रकों के लिये पंजीकरण कराना

9122. **श्री नानू भाई एम० पटेल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के वर्षों में संघ राज्य क्षेत्र दादर और नागर हवेली में कितनी कारों, स्कूटरों और ट्रकों के लिये पंजीकरण कराया गया है ;

(ख) क्या उनका पंजीकरण केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम में किया गया है जो दादर और नागर हवेली के निवासी हैं अथवा जो वहां से बाहर रहते हैं ; और

(ग) यदि उनका पंजीकरण संघ राज्य क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नाम में किया गया है तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनका पंजीकरण दादर और नागर हवेली में किन आधारों पर किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	मोटर साइकिल सहित स्कूटर	कार	ट्रक
1972–73.	45	88	6
1973–74.	44	90	12
1974–75. . . .	48	584	7

(ख) उक्त दर्शित सभी गाड़ियों का पंजीकरण दादर तथा नागर हवेली में रहने वाले व्यक्तियों के नाम से हुआ था । क्योंकि उनके पते का बिक्री पत्रों, बीमा पत्रों और गाड़ियों के पंजीकरण के प्रार्थना-पत्रों में उल्लेख किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

'रिलीफ स्कैंडल आफ बंगाल'

9123. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 मार्च, 1975 के 'इण्डियन एक्सप्रैस', बम्बई में 'रिलीफ स्कैंडल आफ बंगाल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) यदि यह समाचार सही है तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा करने जा रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख). जी हां, स्थिति संलग्न विवरण में स्पष्ट की गई है ।

विवरण

13 मार्च, 1975 को बम्बई के 'इंण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

(1) बंगलादेश शरणार्थियों के लिए शिविरों को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अग्रिम राशि का पश्चिम सरकार द्वारा हिसाब देना

पश्चिम बंगाल सरकार को 110.57 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि 'लेखे पर' दी गई थी । राज्य सरकार ने अब तक 89.30 करोड़ रुपए (जिसमें दायित्व शामिल हैं) के खर्च की सूचना दी है। वे महालेखापाल, पश्चिम बंगाल को पूरा हिसाब शीघ्र प्रस्तुत करने के बारे में सभी संभव प्रयत्न कर

रहे हैं। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया है कि 10 वर्ष की अवधि तक खर्च न की गई शेष धन राशि वापस कर दी जाए।

2 करोड़ रुपए की राशि, जिसका लेखा पश्चिम बंगाल सरकार नहीं दे सकती है, का संदर्भ संभवतः साल्ट लेक शिविर की 1.85 करोड़ रुपए की आश्रय सामग्री से है जिसका निपटान थोड़ी राशि पर कर दिया गया। यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को छान-बीन के लिए भेजा गया था और राज्य सरकार को छान-बीन के परिणाम की प्रतीक्षा है ।

(2) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में कुछ मंत्रियों के विरुद्ध कथित प्रतिकूल टिप्पणियां

केवल एकमात्र मामला वह है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कम्बल ले जाने वाले एक ट्रक को पुलिस ने रोका और उसके परिवहन कम्पनी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में पश्चिम बंगाल सरकार के एक भूतपूर्व उपमंत्री भी थे। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् 16 नवम्बर, 1972 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 788 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति करते हुए यह जानकारी 31-1-1974 को दे दी गई थी।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार (सिविल) की 1972-73 वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बंगलादेश शरणार्थियों पर भी एक पैरा था। यह रिपोर्ट पहले ही संसद् के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है और बंगलादेश शरणार्थियों से संबंधित पैरा पर लोक लेखा समिति द्वारा विचार विमर्श किया जा चुका है । अनियमितताओं आदि के विभिन्न मामलों का, जो इस रिपोर्ट द्वारा प्रकाश में लाए गए हैं, राज्य सरकार के साथ उनका अनुसरण किया जा रहा है ।

Transport of goods from Calcutta by Kar Company

9124. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether in the pat goods were transported upto Patna Varanasi and Allahabad from Calcutta by Kar Company at a less cost;

(b) whether Kar Company has now stopped operating its ships; and

(c) if so, whether Government propose to resume inland water service?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi): (a) Yes, Sir. These services were operated by the erstwhile India General Navigation and Railway Co. and the Rivers Steam Navigation Co. which were popularly known as Kar Company in Bihar and Uttar Pradesh.

(b) Yes, Sir.

(c) An inland water transport service on the Ganga between Patna and Ghazipur is already being operated on an experimental-cum-promotional basis since the 10th November, 1971. This service was extended upto Chunar on 27-7-72 and was operated till January, 1974 when its operation was again restricted upto Ghazipur. Feasibiity of running a longer distance service on the Ganga is under examination.

मजूरी सम्बन्धी सैल

9125. **श्री नुरूल हुडा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने मजूरी, आय तथा मूल्यों का फार्मूला बनाने के लिए एक मजूरी संबंधी सैल स्थापित किया है ;

(ख) इस सैल के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा क्या राष्ट्राय मजदूर संघ संगठनों के प्रतिनिधियां को इस सैल से सम्बद्ध किया गया है ; और

(ग) क्या देश में गम्भीर तथा निरन्तर आर्थिक संकट को देखते हुए, बड़ी एकाधिकारी गैर-सरकारी कम्पनियों के असीमित लाभों को नियंत्रित करने या उन पर रोक लगाने के बारे में सरकार के कोई प्रस्ताव हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) मजदूरी सैल मंत्रालय का एक अंग है और इससे ट्रेड यूनियन संगठनों को सम्बद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वित्तीय और राजस्व संबन्धी नीति और सरकार द्वारा मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों का उद्देश्य ऐसी स्थिति का सामना करना है ।

केरल में कैंसर रोग के मामलों में वृद्धि

9126. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में केरल राज्य में कैंसर के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या रोग के उपचार के लिए राज्य में उपलब्ध बेडों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रोग के उपचार के लिए केरल में चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने के बारे में सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं, केरल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 1971–73 में विभिन्न अस्पतालों में इलाज किए गए अंतरंग और बहिरंग रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	बहिरंग रोगी	अंतरंग रोगी	योग
1971	36,677	3,641	40,318
1972	27,420	4,165	31,585
1973	22,342	5,629	27,971

(ख) केरल राज्य में कैंसर के उपचार के लिए कोई विशिष्ट अस्पताल नहीं है किन्तु राज्य के निम्नलिखित जनरल अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सुविधायें मौजूद हैं :—

अस्पताल का नाम	31–12–74 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पलंगों की संख्या
1. मेडिकल कालेज अस्पताल, त्रिवेन्द्रम . .	128
2. मेडिकल कालेज अस्पताल, कोट्टयाम .	35
3. जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम . .	48
4. मेडिकल कालेज अस्पताल, कालीकट .	40
योग .	251

(ग) और (घ) : राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अलावा केन्द्रीय सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी एक मडिकल कालेज में कोबाल्ट चिकित्सा यूनिट खोलने हेतु सहायता दने पर विचार कर रही है ।

सरकार द्वारा संचालित नसबंदी कैम्पों में युवकों और बूढ़े व्यक्तियों का कथित आपरेशन

9127. सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :
श्री मधु दंडवते :
श्री भाऊ साहेब धामनकर :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री वरके जार्ज :
श्री वसन्त साठे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय के सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ने एक प्रतिवेदन में यह बताया है कि नसबंदी के लिए सरकार द्वारा संचालित नसबंदी कैम्पों में तथाकथित एजेंटों द्वारा प्रति मामले में 100 रुपया से 200 रुपया प्राप्त करने के लिए लाये जाने वाले व्यक्तियों में अधिकांशत: या तो बहुत बूढ़े होते हैं या युवक होते हैं ;

(ख) क्या इस चौंका देने वाले निष्कर्ष की ओर कोई ध्यान न देकर राज्य स्वास्थ्य अधिकारी तथा राज्यों के कलक्टर ब्लाक मीटिंगों में इन एजेंटों के माध्यम से अधिकाधिक व्यक्तियों की नसबन्दी पर बल दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है तथा इनके विरूद्ध क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ने कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा है क्योंकि इसका अध्ययन अभी तक अपूर्ण बतलाया जाता है । इस संबंध में समाचार पत्रों में जो समाचार छपे हैं, वे परियोजना में नियुक्त कुछ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ हुए साक्षात्कार पर आधारित है परन्तु उन्होंने पूर्ण विवरण नहीं दिए हैं । राज्य अधिकारियों से पूछ-ताछ करने पर पता लगा है कि ये आरोप निराधार है ।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारियों और कलक्टरों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए लक्ष्य दे दिए जाते हैं और वे इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार के सभी विकास विभागों को इस काम में लगा लेते हैं । किसी भी व्यावसायिक एजेंट को इस काम में नहीं लगाया जाता है ।

(ग) सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी विभागों को इस में लगाना अनुचित नहीं समझती है ।

नासिक में एक सैनिक हेलिकोप्टर में बैठे व्यक्तियों द्वारा आदिवासी महिलाओं को परेशान किया जाना

9128. **श्री मधु दंडवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नासिक जिले में देवलाली के निकट एक गांव में एक सैनिक हेलिकोप्टर में बैठे व्यक्तियों ने अपने काम से लौटती हुई दो आदिवासी महिलाओं को परेशान करने के प्रयत्न किए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जब अदिवासी महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराने का प्रयत्न किया तो पुलिस ने इंकार कर दिया और उनसे सैनिक हेलिकोप्टर का नम्बर पूछा ; और

(ग) क्या सैनिक हेलिकोप्टर में बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) इस घटना के संबंध में जांच-पड़ताल की गयी है लेकिन पूरा ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है । अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Payment of compensations to farmers of Ganganagar

9129. **Shri Panna Lal Barupal**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether crops worth lakhs of rupees, of the farmers of Ganganagar, mainly an agricultural border district, were destroyed as a result of military camping there during the last Indo-Pak war.

(b) if so, the number of farmers, among them, given compensation as also the number of those who have not been given compensation and the reasons therefor; and

(c) whether a list of the farmers granted compensation and whose claims have been rejected or who have not been given compensation, will be laid on the Table of the House?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Crops worth about Rs. 10.25 lakhs were destroyed during last Indo-Pak War in border district of Ganganagar.

(b) 526 farmers were given compensation and 4 cases are under consideration. Two cases have been rejected as they are not covered by the scheme.

(c) List of 526 farmers who have been given compensation would be laid on the Table of the House, as soon as it is compiled. Details of six cases (4 under consideration and 2 rejected) are as under:—

1. Smt. Amrik Kaur W/o Shri Amrik Singh	for Rs. 8,000/-	Claim still under verification.
2. Shri Balwant Singh	for Rs. 31,215/-	Claim still under verification.
3. Shri Jagmohan Singh	for Rs. 17,014/-	Claim still under verification.
4. His Highness from Ganganagar	for Rs. —	Claim still under verification.
5. State Government of Rajasthan (Agriculture Department)	for Rs. 1,13,425/-	Rejected as not covered under the scheme.
6. Smt. Gopi Bai W/o Shri Ganga Dhar	for Rs. 8,700/-	Rejected as not covered under the scheme.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की सप्लाई

9130. **श्री भाऊ साहब धामनकर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1975 के 'इकानामिक टाइम्स' में "डी० एस० पी० डज नाट गैट एनफ दा मेटिरियल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उसमें की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्रमाणित स्रोत हैं जिनसे इस कारखाने की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है । 1974-75 के आरम्भ में अखिल भारतीय रेल हड़ताल तथा इसके बाद के परिणामों के कारण कच्चे माल की सप्लाई में कुछ कमी हो गई थी । रेलवे तथा संभारकों से सतत् सम्पर्क द्वारा यह समस्या हल हो गई है । दुर्गापुर में मेटीयिरल हैन्डलिंग सेक्शन में भी कुछ समस्यायें थी जिनके कारण सामग्री का स्टाक नहीं किया जा सका । इन समस्याओं के बावजूद वर्ष 1974-75 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 520,000 टन हुआ जो गत वर्ष के 377,000 टन के उत्पादन की तुलना में काफी अधिक था ।

उपमहाद्वीप में संबंधों को सामान्य बनाने के लिए भारतीय प्रस्ताव पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

9131. **श्री श्रीकिशन मोदी :** **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :**
श्री डी० डी० देसाई : **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को शिमला समझौते में बाधा न डालने तथा उपमहाद्वीप में संबंधों को सामान्य बनाने हेतु बातचीत जारी रखने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने इस बारे में अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) 20 मार्च, 1975 को श्री भुट्टो को लिखे गए एक पत्र में हमारी प्रधान मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ निरंतर जो प्रचार कर रहा है उससे भारत और पाकिस्तान के संबंधों को शीघ्र सामान्य बनाने की संभावनाएं केवल बिगड़ ही सकती हैं । इस पत्र में यह भी कहा गया है कि शिमला प्रक्रिया में बाधा नहीं पड़नी चाहिए और इसे धक्का तो हरगिज नहीं लगना चाहिए ।

(ख) और (ग) : 25 अप्रैल, 1975 के अपने पत्र में श्री भूट्टों ने कहा है कि पाकिस्तान शिमला प्रक्रिया के प्रति अब भी वचनबद्ध है । पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और सिविल विमानन के मामलों पर बातचीत करने के लिए मई के मध्य में पाकिस्तान के विदेश सचिव के यहां आने की संभावना है ।

Embezzlement of lakhs of rupees in Shahjahanpur Ordnance Factory

9132. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 597 on the 20th February, 1975 regarding embezzlement of lakhs of rupees in Shahjahanpur Ordnance Factory and state:

(a) when and through whom complaints of bungling, embezzlement and corruption in the Shahjahanpur Ordnance Factory against the officials were received by Government and the nature of charges made in the complaints;

(b) the agency and the persons through whom enquiry is being conducted into the matter and when an enquiry was ordered as also the time likely to be taken in completing the enquiry; and

(c) whether the officials, against whom charges have been levelled, have been transferred pending completion of enquiry into the charges and if not, whether it will not have an adverse effect on enquiry?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) The report about the case of embezzlement of Government money in the Factory was reported by the General Manager on January 28, 1974. On June 1, 1974, an employee of the Factory had reported about the acceptance of sub-standard material for production.

(b) The allegations relating to the acceptance of sub-standard material were referred to the CBI for enquiry on June 10, 1974. Also, Boards of Enquiry have been constituted to probe into the allegations and to assist the CBI with the results of these enquiries. Case of one officer of the Factory has since been finalised by the CBI. In regard to the allegation of embazzlement, a special audit was conducted and a Board of Enquiry constituted. The Board has since submitted its report. Based on the report of this Board, the CBI has undertaken investigation against some officers.

(c) Four officers against whom *prima facie* cases exist have already been transferred from the Factory.

बंगला देश के साथ समुद्र सीमा के बारे में वार्ता

9133. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री के० लकप्पा :
श्री डी० पी० जदेजा :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के साथ समुद्र सीमा वार्ता नई दिल्ली में 4 अप्रैल, 1975 को पूरी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हो पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत और बंगला देश के बीच समुद्री सीमा पर वार्ता पिछली बार नई दिल्ली में 29 मार्च से 2 अप्रैल, 1975 के बीच हुई थी ।

(ख) और (ग) दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि बंगाल की खाड़ी के समुद्री सीमा के प्रश्न पर बातचीत ऐसी स्थिति में आ गई है जहां कि वे शीघ्र ही परस्पर संतोषजनक किसी हल पर पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय सरिता-मार्ग के रूप में हुगली का प्रयोग

9134. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन विकास निगम ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय सरिता मार्ग के रूप में हुगली का प्रयोग किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :(क) से (ग) : अन्तर्देशीय जल परिवहन पर भगवती समिति, 1970 में अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि गंगा-भागीरथी-हुगली नदी पद्धति को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए विचार किया जाये। भारत सरकार ने इस सिफारिश की जांच की और इस कार्य के लिए अन्य बातों के साथ-साथ गंगा भागीरथी–हुगली नदियों का अध्ययन करने के लिए मार्च, 1973 में एक समिति का गठन किया। 1 मार्च, 1974 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति का विचार था कि इस समय गंगा-भागीरथी-हुगली नदियां एक ऐसे निश्चित एवं सतत् नौगम्य जलमार्ग प्रदान नहीं करती जो गंगा को भागीरथी और हुगली से जोड़ दे। फरक्का बांध के पूरे होने के बाद यहां कलकत्ता के मुख्य पत्तनों को जोड़ने वाला एक जलमार्ग होगा। इसके आधार पर समिति ने सिफारिश की इस नदी पद्धति का अन्ततः राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए चयन किया जाय। प्रत्येक जलमार्ग को "राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Alleged Complaints against Executive Officer of Allahabad Cantonment Board

9135. Shri Janeshwar Misra: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints that the Executive Officer of Allahabad Cantonment Board got electoral rolls prepared during 1974 elections which containd discrepancies; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) Certain complaints about the electoral rolls prepared in 1973 applicable to the elections held in April 1974 were received.

(b) Investigations however showed that the electoral rolls had been prepared in accordance with the rules after giving due opportunity to the public and considering claims and objections received from them and as such no further action was required to be taken.

दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों को सहायता देना

9136. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लगभग 3,000 टैक्सियां हैं ;

(ख) क्या पेट्रोल का अधिक मूल्य होने के कारण इनमें लगभग 2000 टैक्सियां अप्रयुक्त पड़ी रहती हैं ; और

(ग) टैक्सी ड्राइवरों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 30-4-75 को दिल्ली में डी० एल० टी० टैक्सियों के लिये 4136 वैध परमिट थे। इसके अलावा उस तारीख को 292 डी० एल०वाई० टैक्सियां और 193 डी० एल० जैड० टैक्सियां भी चल रहीं थीं।

(ख) इस मामले में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। क्योंकि दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा टैक्सियों का उपभोग का कोई भी सर्वेक्षण और अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) पश्न नहीं उठता।

के० टी० स्टील, बम्बई को इस्पात का आवंटन

9137. **श्री शशि भूषण :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के० टी० स्टील, अमरनाथ, बम्बई को इस्पात का कुल कितना कोटा आवंटित किया गया है ;

(ख) उन्हें किस प्रयोजन के लिए इस्पात क कोटे का आवंटन किया गया था ;

(ग). क्या उन्होंने इस्पात का उस प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं किया है जिसके लिये उन्हें इस्पात आवंटित किया गया था, और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त फर्म को इस बीच काली–सूची में रखा गया है और यदि हां, तो कब से तथा उक्त फर्म और इसके निदेशकों के विरुद्ध क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है या की जायगी और उक्त फर्म के निदेशकों के नाम और पते क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोवियत संघ द्वारा भारत को राजनैतिक साहित्य की सप्लाई

9138. **श्री समर गुह :** क्या विदेश मन्त्री सोवियत संघ द्वारा भारत को राजनैतिक साहित्य की सप्लाई के बारे में 22 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आश्वासन दी गयी जानकारी के एकत्र न करने तथा इसे उन सदस्यों को जिन्होंने इसकी मांग की थी, सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या आश्वासन के आठ महिनों के पश्चात् आवश्यक जानकारी एकत्र करली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग). अतारांकित प्रश्न सं० 3224 के उत्तर में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए वांछित सूचना एकत्र की गई और 11 अप्रैल, 1975 को संसद् कार्य विभाग को पूरा उत्तर भेज दिया गया। इस सूचना को एकत्र करने में काफी समय लगा क्योंकि इसका संबंध सरकार के कई विभागों से था जैसे कि वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मन्त्रालय तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय। वित्त मन्त्रालय को भारत के विभिन्न भागों से अपने सीमाशुल्क समाहर्ता से भी सूचना एकत्र करनी पड़ी थी।

Memorandum submitted by Contractor of Udhampur Aerodrome against the Local Authorities

9139. Shri Dhan Singh Pradhan: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the name of Garrison Engineer in Udhampur in Jammu-Kashmir area of Northen Command as also the name of the Chief Engineer of Jammu-Kashmir;

(b) whether the contractor of the construction of Udhampur aerodrome had submitted to him in August or September, 1974 a memorandum about the misbehaviour of local authorities and their creating hurdles improperly in the work compelling him to take the shelter of the court and also a detailed statement of his claims;

(c) whether his Ministry had given orders to entrust the work to the contractor again, pay him the arrears and hold staff court of enquiry against the local authority; and

(d) whether despite these orders, the Chief Engineer of Jammu-Kashmir area did not take any action against the concerned local officer Garrison Engineer and other persons?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Major K. P. Anand, and Brig. M. K. Basu respectively.

(b) The contractor had submitted a representation on certain matters of dispute arising out his contract with M.E.S.

(c) On the basis of the report received on the Contractor's representation Engineer-in-Chief's Branch was directed to examine the extent to which the claims of the contractor are to be admitted and also to investigate lapses, if any, on the part of the MES officials.

(d) An arbitrator approved by the J. & K. High Court, whom the contractor had moved, has been appointed to look into the matters of dispute between the Department and the contractor. A Staff Court of Inquiry has also been ordered to look into the question of lapses, if any, on the part of the MES officials.

Payment of P.F. to Retired Workers of R.B.H.M. Jute Mills Katihar, Bihar

9140. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the workers of R.B.H.M. Jute Mills, Katihar (Bihar) who have retired between the period from March, 1966 to February, 1974 have not been paid their amount of provident fund though they have applied for it;

(b) whether the Secretary of the staff association of jute mills has sent a list of 108 retired workers to the Commissioner of the Central Provident Fund, New Delhi on 3rd April, 1975 and endorsed a copy to him; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Provident Fund Authorities have reported as under:—

(a) Some of the workers have been paid their claims and some of the claims have been returned being incomplete and defective and some are under check.

(b) Yes.

(c) The list is under verification and detailed reply showing the position of each claim will be placed on the Table of the House.

1238 LS—5.

हरियाणा सरकार द्वारा अपने कब्जे में की गई दिल्ली परिवहन निगम की बसें

9141. **श्री हरी सिंह :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की कुछ बसें अप्रैल 1975 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली और हरियाणा के बीच अन्तर्राज्यीय (सड़क) यात्री यातायात को बांटने के लिए कोई परस्पर फारमूला नहीं बनाया गया था। हरियाणा रोडवेज ने वे 35 सेवायें चलानी शुरू की जो दिल्ली और हरियाणा के बीच पारस्परिक करार के अन्तर्गत नहीं आती। दिल्ली परिवहन निगम भी ऐसी 5 सेवाएं चला रहा था। हरियाणा प्राधिकरण ने एक पक्षीय कार्यवाही की और उक्त निगम की कुछ अनधिकृत मार्गों पर चल रही बसों को अपने कब्जे में कर लिया।

नेपाली मजदूरों द्वारा भारतीय कांस्टेबलों को बंद किया जाना

9142. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1975 के 'मदरलैंड' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि छापा मारने वाली एक पार्टी द्वारा नेपाली मजदूरों से शराब निकालने के उपकरण और अवैध शराब पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश उत्पादन शुल्क विभाग के चार कांस्टेबलों को, नेपाली मजदूरों ने गलत ढंग से बन्द कर दिया था; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले के तथ्य ये हैं कि 24 मार्च, 1975 को पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०) के आबकारी निरीक्षक ने 7 आबकारी सिपाहियों को साथ लेकर द्वारीखाल जि० पौड़ी उत्तर प्रदेश के निकट सड़क पर काम कर रहे एक ठेकेदार के नेपाली मजदूरों पर छापा मारा और उनसे अवैध शराब और शराब निकालने के साज-सामान बरामद किये। मजदूरों ने प्रतिरोध किया और छापा मारने वाले दल पर आक्रमण किया जिसमें चार सिपाहियों को मामूली सी चोटें आई। ठेकेदार तथा 12 मजदूरों को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया था।

मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

9143. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को उनके मन्त्रालय में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी उक्त तिथि को 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे; और

(ग) उक्त भाग (ख) के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

कृषि श्रमिकों के लिए राज्यवार कल्याण योजनायें तथा उनकी संख्या

9144. **श्री टुना उरांव :** क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी रही ;

(ख) सरकार ने देश में, राज्यवार, गत तीन वर्षों के दौरान कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए कितनी प्रमुख कल्याण योजनाओं को अब तक स्वीकृति दी है और इन योजनाओं की योजनावार किस सीमा तक क्रियान्विति हो पाई है; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कृषि श्रमिकों के कल्याण केन्द्रों संबंधी विवरण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9693/75]

(ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान निम्नलिखित जगहों पर चार श्रमिक कल्याण केन्द्र खोलने के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव था :—

(1) चम्पाडांगा (हुगली जिला)

(2) झारग्राम (मिदनापुर जिला)

(3) कलियाचारक (माल्दा जिला)

(4) गंगारामपुर (पश्चिम दुर्गापुर जिला)

श्रम कल्याण केन्द्रों में, कृषिक श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ कार्यकलापों की व्यवस्था होगी। ये कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं :—

(1) अन्तरंग और बहिरंग खेलों द्वारा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएं।

(2) पुस्तकालय की सुविधाएं।

(3) प्राथमिक शिक्षा के लिए सुविधाएं।

(4) रेडियो और चलचित्र कार्यक्रम।

(5) समाचार पत्र और पत्रिकाएं।

मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अस्थायी पद

9145. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1975 को मन्त्रालय तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल कितने अस्थायी पद हैं, जो गत तीन वर्षों से अस्तित्व में हैं तथा उनके अनिश्चित काल तक चलने की सम्भावना है; और

(ख) इन पदों को स्थायी न करने के क्या कारण है जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

एम० ई० एस० के एसिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची

9146. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1973 में जारी की गई एम० ई० एस० के एसिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुत से स्थायी अधिकारियों को उनके गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के बहुत से अस्थायी/अर्द्धस्थायी सहयोगियों से कनिष्ठ दिखाया गया है;

(ख) क्या यह कार्यवाही गृह मन्त्रालय के दिनांक 20 अप्रैल, 1961 के ओ० एम० संख्या 9/45/60—ई० एस० टी० टी० (डी) की भावना के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस गलती को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन्। कुछेक मामलों में।

(ख) और (ग) एम० ई० एस० में अफसरों की वरिष्ठता सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (भर्ती पदोन्नति और वरिष्ठता) नियम द्वारा शासित होती है जिनमें अभी, गृह मन्त्रालय के 20.4.1961 के कार्यालय ज्ञापन सं० 9/45/60—एस्टे (डी) में निर्धारित उपबन्ध के अनुरूप व्यवस्था नहीं है। बहरहाल, सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता) नियम, 1949 में संशोधन करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गयी है ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, गृह मन्त्रालय के 20—4—1961 के कार्यालय ज्ञापन सं० 9/45/60 एस्टे (डी) के उपबन्धों को एम० ई० एस० के सम्बन्ध में भी लागू किया जा सके।

गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता

9147. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देने सम्बंधी कोई योजना तैयार की है जिससे इन गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों का संचालन प्रति व्यक्ति शुल्क लिये बिना ही हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक):

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Proposal for opening a Medical Store Depot in Madhya Pradesh

9148. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to open a Medical Store Depot in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the names of the places considered in this connection and the time by which a decision will be taken to open it?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) Yes.

(b) Jabalpur, Bhopal, Itarsi and Katni. Full details of the proposal and financial implications involved are still being worked out and a final decision in the matter will be taken as early as possible.

बालाचड़ी, सैनिक स्कूल, गुजरात

9149. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालाचड़ी, गुजरात स्थित सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने विद्यार्थी गुजरात से हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) सैनिक स्कूल, बालाचड़ी, गुजरात में इस समय विद्यार्थियों की कुल संख्या 434 है जिनमें से 351 विद्यार्थी गुजरात राज्य से हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के कर्मचारी

9150. **श्री रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली की विभिन्न यूनिटों द्वारा शुरू की गई भिन्न-भिन्न अनुसन्धान परियोजनाओं का स्वरूप क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक यूनिट के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और प्रत्येक यूनिट में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) इनमें से कितने अस्थायी और कितने स्थायी कर्मचारी हैं, और ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी सेवावधि पांच वर्ष, दस वर्ष और पन्द्रह वर्ष की हो चुकी है लेकिन वे अभी तक अस्थायी हैं;

(घ) क्या हाल ही में किसी यूनिट में कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस जारी किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की अन्य यूनिटों में इन कर्मचारियों को रखवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :(क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् की विभिन्न यूनिटों द्वारा शुरू की गई विभिन्न अनुसन्धान परियोजनायें मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :—

(1) संचारी रोग, (2) प्रजनन जीव विज्ञान, (3) पौषणिक, चयापचयी और व्यपजनन विकार और (4) स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9694/75]

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9694/75]

(घ) जी हां।

(ङ) छंटनी किए गये कर्मचारियों की सूचियां भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् द्वारा उसके अधीन सभी संस्थानों को और देश में मेडिकल कालेज आदि को इस अनुरोध के साथ भेज दी जाती है कि वे इन्हें उपयुक्त रिक्त स्थानों पर लगाने की कृपा करें।

खेतड़ी तांबा परियोजना का दिल्ली में उर्वरक बिक्री कार्यालय

9151. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना (एच० सी० एल०) ने उर्वरकों की बिक्री के लिये दिल्ली में एक बिक्री कार्यालय खोला है; यदि हां, तो कब और कितने किराये पर;

(ख) उक्त कार्यालय पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) यहां नियुक्त अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं और उन्हें कितना वेतन और भत्ते दिये गये अथवा देय हैं;

(घ) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना ने अभी भी उर्वरक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कार्यालय की उपयोगिता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खेतड़ी तांबा परियोजना ने दिल्ली में उर्वरक की बिक्री के लिए कोई बिक्री कार्यालय नहीं खोला है। हां हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने खेतड़ी तथा घटसिला के सन्यन्त्रों से प्राप्त उर्वरक और विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हेतु दिल्ली में एक विपणन प्रभाग खोला है। इस कार्यालय द्वारा अगस्त, 1972 से काम शुरू कर दिया गया था। दिल्ली में जिस भवन में कम्पनी का

विपणन प्रभाग तथा सम्पर्क और स्थानीय क्रय कार्यालय है, उसका वर्तमान किराया 14,924 रुपये प्रति माह है ।

(ख) इस कार्यालय पर मार्च, 1975 तक कुल लगभग 20,78,586 रुपये व्यय हुए हैं ।

(ग) 1. श्री एस० पी० भसीन, जनरल सेल्स मैनेजर,
मूल वेतन 3000/– रुपये तथा भत्ता 75 रुपए ।

2. श्री बी० चौधरी, सेल्स मैनेजर,
मूल वेतन 1900/– रुपये तथा भत्ता 1134 रुपए ।

3. डाक्टर यू० एन० मिश्र, मुख्य सस्य-वैज्ञानिक (एग्रोमांफिस्ट),
मूल वेतन 1680 रुपये तथा भत्ता 906 रुपए ।

4. श्री एम० के० भट, उप प्रबन्धक (बिक्री)
मूल वेतन 1500 रुपये तथा भत्ता 999 रुपए

5. श्री पी० एस० गहलौत, सहायक सेल्स मैनेजर (पी०)
मूल वेतन 1450 रुपये तथा भत्ता 399 रुपये

6. श्री आर० सरीन, सहायक सेल्स मैनेजर,
मूल वेतन 1250 रुपये तथा भत्ता 749 रु०

7. श्री बी० आर० कत्याल, सहायक सेल्स मैनेजर,
मूल वेतन 1200 रुपये तथा भत्ता 744 रुपये ।

8. श्री पी० के० जौहरी, सहायक सेल्स मैनेजर,
मूल वेतन 1190 रुपये तथा भत्ता 639 रुपये ।

9. श्री विनोद महाजन, सहायक सेल्स मैनेजर,
मूल वेतन 1100 रु० तथा भत्ता 836 रुपये ।

10. श्री प्रेम पण्डित, प्रचार अधिकारी,
मूल वेतन 1100 रु० तथा भत्ता 736 रुपये ।

11. श्री एम० बी० कुलकर्णी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
मूल वेतन 1250 रुपये तथा भत्ता 749 रुपये ।

12. श्री राजबीर सिंह, वरिष्ठ सेल्स आफिसर,
मूल वेतन 820 रु० तथा भत्ता 673.40 रु०

13. श्री एच० के० शर्मा, क्षेत्रीय सस्य वैज्ञानिक,
मूल वेतन 980 रुपये तथा भत्ता 746.80 रु० ।

14. श्री जी० सी० श्रोत्या, क्षेत्रीय सस्य वैज्ञानिक,
मूल वेतन 900 रुपए तथा भत्ता 623 रु०

15. श्री आर० गांधी, क्षेत्रीय सस्य वैज्ञानिक,
मूल वेतन 900 रुपये तथा भत्ता 788 रुपये ।

(घ) खेतड़ी तांबा परियोजना में उर्वरक सन्यन्त्र अभी चालू नहीं हुआ ।

(ङ) हिन्दुस्तान कापर लि० का दिल्ली स्थित विपणन प्रभाग नए उत्पाद ट्रिपल फास्फेट, तथा जिप्सम की बिक्री बढ़ाने सम्बन्धी कार्यों की देखभाल करता है। यह प्रभाग कम्पनी के निम्नलिखित उत्पादों की बिक्री के लिए भी उत्तरदायी है;

1. तांबा तार--छड़ें,
2. खिलेनियल,
3. निकिल सल्फेट
4. पीतल
5. सल्फूरिक ग्रम्ल।

राजस्थान में मृतकों के नामजदों को भविष्य निधि का भुगतान

9152. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मृतक कर्मचारियों ने नामजदों द्वारा भविष्य निधि में धनराशि वापिस निकालने के लिए दायर कुल मामलों में से कितने मामले प्रादेशिक निधि ग्रायुक्त, राजस्थान के विचाराधीन है ग्रौर इन मामलों में ग्रन्तर्ग्रस्त कितनी राशि थी ;

(ख) उक्त मामले कितनी ग्रवधि से विचाराधीन हैं।

(ग) मृतकों के नामजदों को भुगतान करने में ग्रसाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं; ग्रौर

(घ) भविष्य में इस प्रकार भुगतान को ग्रनुचित विलम्ब के बिना सुविधाजनक बनाने हेतु क्या प्रक्रिया ग्रपनाने का विचार है ग्रौर बकाया राशि का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है,

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है:–

(क) राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय के ग्रभिलेखों के ग्रनुसार, 31 मार्च, 1975 को 57 दावे ग्रनिर्णीत पड़े थे। 1–5–75 को निपटारे के लिए केवल 10 दावे लम्बित थे जिनमें लगभग 49,000 रुपये की राशि ग्रन्तर्ग्रस्त थी।

(ख) नो मामले एक महीने से ग्रधिक परन्तु तीन से कम महीने से लम्बित थे ग्रौर ऐसा केवल एक मामला है जो छः से ग्रधिक महीनों परन्तु एक वर्ष से कम ग्रवधि से लम्बित हैं।

(ग) विलम्ब के कारण मुख्यतया ये हैं कि दावों को ग्रपूर्ण एवं त्रुटिपूण होने के कारण ठीक किए जाने के लिए दावेदारों नियोजकों को वापस करना पड़ता है।

(घ) क्षत्रीय कार्यालय में नामांकन पत्रों को हिफाजत से रखने ग्रौर नामित व्यतियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए भविष्य में ो प्रतियों में नामांकन पत्न प्राप्त करने के सम्बन्ध में ग्रनुदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी क्षेत्रीय ग्रायुक्तो को भी ये हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं कि वे ऐसे मामलों का निपटारा जो सभी पहलुग्रों से मुकम्मल हो ग्रधिक से ग्रधिक 10 दिनों के भीतर कर दें। यदि ग्रभीष्ट प्रलेख नियोजक की ग्रोर से काफी समय तक प्राप्त न हो तो क्षेत्रीय भविष्य निधि निरीक्षकों को यह सलाह दी

जाती है कि वे नियोंजको से सम्पर्क स्थापित करें और वांछित प्रलेख एकत्र करें जिससे दावेदारों को अनुचित कठिनाइयां न हों।

यदि त्रुटियां दूर कर दी जाएं और अभीष्ट प्रलेख प्राप्त हो जाएं; तो अनिर्णीत पड़े दावे को महीने के भीतर निपटाया जा सकेगा।

बिहार में लप्सी क्यानाइट खानों का कार्य

9153. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, स्थित हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड घाटशिला के स्वामित्व में लप्सी क्यानाइट खानों की धातु लगभग समाप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं और इसे पुन: क्रियाशील बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sterlization targets for Madhya Pradesh

9154. Shri Nitiraj Singh Chaudhary: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the basis of fixing target for States under the Family Planning Programme and various factors taken into consideration while setting these targets;

(b) whether of all the States, the highest target has been set for Madhya Pradesh for 1974-75 and if so, the reasons therefor; and

(c) whether Madhya Pradesh has been given higher targets for sterilization operations than Uttar Pradesh (whose population is twice the population of Madhya Pradesh) while only half of the work has been done in Uttar Pradesh compared to that has been done in Madhya Pradesh based on per thousand sterilization operations performed and if so, the reasons why Uttar Pradesh was not given higher targets than Madhya Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) and (b). A note explaining the procedure adopted in fixing family planning targets for the various States for 1974-75 is annexed. The target fixed for 1974-75 for Madhya Pradesh came out to be the highest in respect of sterilizations only. The targets for IUD insertions and conventional contraceptives were comparatively low.

(c) Yes. The reasons are explained in the procedure of fixation of targets given in the note in reply to parts (a) and (b) of the Question. As the past performance of Madhya Pradesh happened to be higher than that of Uttar Pradesh, the target for 1974-75, fixed on the basis of past performance, also happened to be higher for Madhya Pradeseh than for Uttar Pradesh.

Statement

Procedure adopted in fixing Family Planning Targets for States, 1974-75

The objective of the Family Planning Programme for the Fifth Five Year Plan was initially set at a reduction of birth rate to 25 per thousand of population by the end of the Plan (1978-79). Keeping this objective in view, the performance targets at national level in terms of the sterilizations, IUD insertions and Conventional Contraceptive users were worked out for each year of the Plan. The all-India performance targets were then allocated to various States provisionally on the basis of past performance. The targets thus worked were discussed subsequently in the meetings of the Working Group of Fifth Five Year Plan set up by the Planning Commission and modified in consultation with State representatives, keeping in view the past performance and the capabilities of the States. Thus a mutually agreed set of targets for various States for the Fifth Plan period was tentatively arrived at.

Later, the objective of the Family Planning Programme in the Fifth Plan was modified and the revised objective was kept as reduction of birth rate to 30 per thousand of population by 1978-79. Accordingly, a revised set of performance targets in terms of sterilizations, IUD insertions and conventional contraceptive users was worked out for each year of the Plan for the country as a whole. The all-India performance targets were then distributed among various States and Union Territories in the same ratio as the previous targets, mutually agreed upon in the Planning Commission Working Group meetings.

श्रीलंका में तमिल श्रमिकों की दयनीय हालत

9155. श्री एम० कतामुत्तु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका में चाय और रबड़ बागानों के तमिल श्रमिकों द्वारा अपने बच्चे बेचे जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार को श्रीलंका में रहने वाले तमिल श्रमिको की रहन-सहन की दयनीय हालत की जानकारी है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है। श्रीलंका की सरकार ने इन रिपोर्टों की सच्चाई को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार किया है।

(ख) यह एक ऐसा मामला है जो कि श्रीलंका सरकार के आतंरिक अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन, कोलबों स्थिति भारतीय हाई कमीशन इस प्रश्न पर श्रीलंका प्राधिकारियों के साथ बराबर संपर्क बनायें हुए हैं।

हाफकिन इंस्टिट्यूट बम्बई के कर्मचारियों की छटनी

9156. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के महानिदेशक के 22 फरवरी, 1975 के निदेश के अनुसार हाफकिन इंस्टिट्यूट, बम्बई के 9 कर्मचारियों की हाल ही में छटनी कर दी गई है;

(ख) यदि हां तो उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कर्मचारी की सेवावधि और सेवा रिकार्ड क्या है; और

(ग) छंटनी के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) से (ग). एक विशेषज्ञ ग्रुप ने सिफारिश की है कि हाफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई में एंटेरोवाइ-रस यूनिट को पुनर्गठित किया जाए ताकि निगरानी कार्य को छोडकर विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। अनुसंधान कार्यक्रम में इस परिवर्तन को देखते हुए वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये इस यूनिट के स्टाफिंग पेटर्न में भी परिवर्तन कर दिया गया है। इस यूनिट में 41 पद थे और इन पदों में से 13 पद जिनमें 4 रिक्त पद भी शामिल हैं, अनावश्यक हो गए हैं।

2. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए परिषद ने 9 व्यक्तियों की सेवाएं जो सब से कनिष्ठ थे 31 मार्च, 1975 से समाप्त कर दी गई है। इस यूनिट में नियुक्त कर्मचारी अस्थायी थे और उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उनकी सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती थी।

3. जिन कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है, उनके नाम तथा सेवा संबंधी ब्यौरा नीचे विवरण में दिया गया है :–

क्रमांक	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	2	3	4
1	श्रीमती के० एम० काथे	स्वास्थ्य निरीक्षिका	22-2-1950
2	श्री डी० के० पाघ	प्रयोगशाला सहायक	15-7-1967
3	श्री एस० डी० देलवी	प्रयोगशाला परिचर	11-4-1968
4	श्री टी० आर० घनाटे	प्रयोगशाला परिचर	1-6-1960
5	श्री पी० आर० गुरव	प्रयोगशाला परिचर	14-12-1959
6	श्री एस० एच० इलीपयाती	पशु परिचर	9-12-1964
7	श्री आर० के० लाड	पशु परिचर	16-12-1964
8	श्री ए० एस० डोंडके	पशु परिचर	22-4-1965
9	श्री आर० जी० कारेकर	अवर श्रेणी लिपिक	30-1-1972

कम्बोदिया के विदेश मंत्री का दौरा

9157. **श्री बनमाली बाबू :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्बोडिया के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत के अपने दौरे के दौरान उनसे बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों विदेश मंत्रियों ने कम्बोडिया की स्थिति पर और अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में भारत, कम्बोडिया राष्ट्रीय संघ की शाही सरकार को जो समर्थन देता रहा है उस पर भी विचार-विमर्श किया । भारत ने कम्बोडिया राष्ट्रीय संघ की सरकार को कानूनी मान्यता भी दे दी है ।

मुख्य उपभोक्ताओं को 'बेस पाइन्ट्स' पर इस्पात सामग्री भेजना

9158. **श्री कृष्णचन्द हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात के वितरण सम्बन्धी नई उद्योग पद्धति के अन्तर्गत मुख्य उपभोक्ताओ को बेस पाइन्टस पर वितरण के लिये भेजी गई इस्पात सामग्री के भरे रेक के कितने भाग को पद्धति के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं ने वास्तव में उठाया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : हिन्दुस्तान स्टील लि० ने सूचित किया है कि उन्होने जो भी इस्पात सामग्री पूरी गाड़ियों में प्रारम्भिक स्थानों (बेस प्वाइन्टस) को भेजी है उपभोक्ताओ ने प्राय: उसे स्वीकार कर लिया है और माल ले लिया है इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० में भी ऐसा कोई उदाहरण नही है जहां उपभोक्ताओं ने पूरी गांडी (रेक) का माल न लिया हो ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

लोरेंस रोड, नई दिल्ली में आठ मंजिल शीतागार का गिरना

9159. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोरेंस रोड नई दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में आलू की 16,000 बोरियों के भार से एक आठ मंजिल शीतागार के पिछले भाग के गिरने से 14 व्यक्ति आहत हो गए थे ;

(ख) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) के मालिक का क्या नाम है ;

(ग) क्या शीतागार के निर्माण में प्रयोग की गई इमारती सामग्री की इस बीच जांच की गई है ; और यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) शीतागार के मालिक ने आहत हुए व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया; और

(ङ) क्या इन सब बातों के लिए एक व्यापक विधान बनाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) शीतागार एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का है जिसका नाम मैसर्स सूरी एण्ड सूरी (प्रा) लिमिटेड है ।

(ग) नमुने लिए गए हैं और जांच के लिए विशेषज्ञों को भेजे गए हैं ।

(घ) दो आहतों को अपने घर जाने के लिए प्रबन्धतंत्र द्वारा क्रमशः 100 रुपये और 50 रुपये का भुगतान किया गया है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फ्रांस की भारत विरोधी टेलीविजन फिल्मों के विरुद्ध अभ्यावेदन

9160. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम जर्मनी बावेरियन प्रसारण केन्द्र द्वारा प्रदर्शित फ्रांस की भारत विरोधी दो टेलीविजन फिल्मों, (एक) भारत यात्रा की डायरी (दो) दक्षिण की यात्रा, की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्हें इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इन फिल्मों के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार का ब्यौरा दिया गया है; और

(ग) अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) म्युनिख में रहने वाले एक भारतीय राष्ट्रिक ने बावेरियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी को पत्र लिखा है, उसकी प्रति सरकार ने देखी है जिसमें 'दक्षिण की यात्रा' नामक फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया गया है जो कि भारत पर "भारत यात्रा का लेखा-जोखा" (नोट बुक ऑन ए जरनी टु इंडिया) नामक फिल्म शृंखला में से एक थी।

(ग) उल्लिखित पत्र में उक्त फिल्म के कुछ दृश्यों का विरोध करते हुए उन्हें दर्शकों के लिए घृणास्पद बताया गया है जिनमें से एक में कुछ भारतियों को भद्दी स्थिति में दिखाया गया और यह भी बात उठाई है कि फ्रांस से मांगी हुई इस भारत विरोधी फिल्म शृंखला से जर्मन संघीय गणराज्य और भारत के एक दूसरे के समीप लाने में सहायता नहीं मिलेगी बल्कि, इसके विपरीत इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। ज्योंही बोन्न में भारतीय मिशन को बावेरियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी द्वारा इस फिल्म शृंखला के प्रदर्शन के बारे में पता चला त्योंही मिशन प्रमुख ने उनके साथ और जर्मन संघीय गणराज्य में संबद्ध प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया। बाद में बावेरियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी ने हमारे मिशन को यह आश्वासन दिया कि वे निकट भविष्य में भारत की संस्कृति और धर्म से सम्बद्ध अच्छी फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे।

भारतीय पत्तनों पर घाट-क्षमता

9161. **श्री वयालार रवि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय पत्तनों के घाटों पर कितनी अधिकतम डी०डब्ल्यू०टी० के जहाज आ सकते हैं;

(ख) क्या विभिन्न भागों में इस क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क)

पत्तन		अधिकतम डी०डब्ल्यू०टी० के जहाज जिन्हें घाटीय सुविधा दी जा सकती है
कलकत्ता	(1) कलकत्ता	15,000
	(2) हल्दिया तेल जेट्टी	87,500 डी०डब्ल्यू०टी०—50,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक लदे हुए
बम्बई	(1) सूखा माल	22,000 डी०डब्ल्यू०टी०
	(2) तेल पोत	53,000 —वही—
मद्रास		87,500 —वही— 77,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक लदे हुए
कोचीन	(1) एर्नाकुलम जलमार्ग (वार्क—28,000 डी० डब्ल्यू० टी० घाट, खुले घाट तथा एक तेल जेट्टी)	
	(2) मटनचेरी जलमार्ग, (4—18,000 डी० डब्ल्यू० टी० के वार्फ घाट)	
	(3) मटनचेरी, जलमार्ग (अन्य घाट)	16,808 डी०डब्ल्यू०टी०
विशाखापत्तनम		36,000 डी०डब्ल्यू०टी०
काण्डला		35,000
मारमुगाव	(1) सहवर्ती घाट	25,000—30,000 डी० डब्ल्यू० टी०
	(2) स्ट्रीम अंकरेज	1,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० (साफ मौसम में)
पारादीप	खनिज वाहक पोत	60,000 डी० डब्ल्यू० टी०
नवमंगलौर		20,000 —वही—
नवतूतीकोरिन		12,000 —वही—

(ख) जी, हां।

(ग)

पत्तन	प्रस्तावित अथवा दी गई अधिक सुविधाएं
1. हल्दिया . .	(1) पूरे लदे हुए 87,500 डी०डब्ल्यू०टी० के तेल पोत के लिए 1980 तक 40 फुट डुबाव की व्यवस्था होगी। (2) टेंकरों को छोड़ अन्य 80,000 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाज 1976 में 36 फुट का डुबाव तथा 1980 तक 40 फुट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
2. बम्बई . .	(1) 80,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के आकार के जहाजों को लेने के लिए न्हावाशेवा में सहायक पत्तन। (2) 87,500 डी०डब्ल्यू०टी० के टेंकरों की प्राप्ति के लिए बूचर द्वीप में एक अतिरिक्त तेल घाट-डैड फ्रेट 80,000 डी०डब्ल्यू०टी० ।
3. मद्रास .	(1) भारती गोदी को 87,500 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाजों को लेने के लिए 46 फुट तक के डुबाव को गहरा किया जा रहा है और उसे 1,00,000 डी०डब्ल्यू०टी० के खनिज वाहकों को सम्भालने के लिए और गहरा करने का प्रस्ताव है।
4. विशाखापत्तनम्	(1) 1,00,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के खनिज वाहकों को सम्भालने के लिए बाहरी बन्दरगाह का निर्माण किया जा रहा है और जिसे 1,50,000 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाजों को सम्भालने के लिए और गहरा करने का प्रस्ताव है। (2) लगभग 1,00,000 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाजों को सम्भालने के लिए एक तेल घाट का प्रस्ताव है।
5. मरमुगाव . .	(1) 60,000 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाजों को सभी ज्वार स्थितियों में सम्भालने के लिए अयस्क घाट और 1,00,000 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाजों को सम्भालने के लिए और गहरा करना। (2) आरम्भ में 50,000 डी०डब्ल्यू०टी० के और अन्त में 1,00,000 डी०डब्ल्यू०टी० के तेल वाहकों को सम्भालने के लिए एक तेल घाट।
6. नवमंगलौर . .	60,000 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाजों को सम्भालने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।
7. त्वतूतीकोरिन .	शुरू में 20,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के जहाजों को सम्भालने के लिए विकास किया जा रहा है। इसमें सुधार करके 35,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के जहाजों को सम्भाल सकेगा।

आयुध कारखानों/डिपो से हथियारों/विस्फोटकों की चोरी

9162. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक आयुध कारखाने/डिपो पर हथियारों/विस्फोटकों की चोरी के बारे में गहरी छान-बीन की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने सामान की चोरी हुई और चोरी गया कितना सामान बरामद किया गया;

(ग) क्या चोरी के माध्यमों का तथा अपराधियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या पुराने स्टाक से रद्द की गई तथा बेचे जाने वाली घातक सामग्री के कुछ भाग को मामूली मरम्मत के बाद सेवा योग्य बनाया जा सकता है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आर्डनेंस कारखानों में सुरक्षा-सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त और सन्तोषजनक है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में किसी आर्डनेंस कारखाने से हथियारों/विस्फोटकों की चोरी का कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पुराने रद्द स्टाकों में से घातक सामग्री जनता को नहीं बेची जाती, बल्कि कारखाने के प्रबन्धकों की निगरानी में उसे नष्ट कर दिया जाता है।

जहां तक आर्डनेन्स डिपुओं का प्रश्न है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रत्नगिरि एल्यूमिनियम संयंत्र

9163. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रत्नगिरि स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र पर मदवार कितना व्यय हुआ;

(ख) वर्ष 1975-76 में इस पर मदवार कितना व्यय करने का विचार है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों से इस संयंत्र के लिये निर्धारित धनराशि को अन्यत्र व्यय किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कहां और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) रत्नगिरि परियोजना पर अब तक कुल 1.50 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 1972-73 से 1974-75 तक तीन वर्षों की अवधि का मदवार व्यय इस प्रकार है :—

	(लाख रुपए)
(i) अचल सम्पत्ति . . .	2.96

		लाख रुपये
(ii)	परामर्श शुल्क . . .	4.80
(iii)	सर्वेक्षण तथा प्रारंभिक पूर्वेक्षण	1.47
(iv)	वेतन, मजदूरी तथा कार्यालय के विविध व्यय . .	34.60
(v)	सामान	1.00
		44.83

(ख) 1975–76 का प्रस्तावित व्यय

		(लाख रुपयों में)
(i)	समतल कार्य, सर्वेक्षण तथा प्रारंभिक पूर्वेक्षण	15.00
(ii)	परामर्श शुल्क . .	20.00
(iii)	वेतन, मजदूरी तथा कार्यालय के विविध व्यय	15.00
	कुल	50.00

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्ज लुक ग्राटो एंसीलरी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

9164. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज लुक ग्राटो एंसीलरी लिमिटेड मुख्यत: प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरण तैयार करने वाली कम्पनी है जो रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं को पूरा करती है ;

(ख) क्या लुक ग्राटो एंसीलरी लिमिटेड के कर्मचारियों को पिछले आठ महीनों से अपना वेतन नहीं मिला है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मेसर्स लुक ग्राटो एंसीलरी इण्डिया लिमिटेड ने रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ आर्डर निष्पादित किये हैं, लेकिन इसकी स्थापना केवल इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं की गयी है ।

(ख) इस फर्म के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस फर्म को सरकारी नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ग्राफ वियतनाम को सहायता

9165. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश मंत्री भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ग्राफ वियतनाम (डी० ग्रार० वी० एन०) के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में 10 ग्रप्रैल, 1975 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 5744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ग्राफ वियतनाम को क्या ग्रौर कितने मूल्य की तथा कितने यूनिटों से सहायता दी गई ;

(ख) क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ग्राफ वियतनाम की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ग्राफ वियतनाम में कुछ ग्रौद्योगिक उपक्रमों ग्रथवा ग्रस्पतालों की स्थापना करने में सहायता करने का विचार है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) भारत वियतनाम लोक गणराज्य के कुछ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के ग्रलावा कृषि एवं पशु पालन में भी सहायता दे रहा है। ग्रब तक खर्च की गई राशि लगभग 2,87,000 रुपये हैं ।

(ख) ग्रौर (ग). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में भविष्य निधि के दावों का निपटारा

9166. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रायुक्त, दिल्ली के कार्यालय में भविष्य निधि के भुगतान के बारे में श्रमिकों के बहुत से मामले/दावें ग्रनिर्णीत पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या इन दावेदारों को दावों के निपटाने के बारे में, इस कार्यालय द्वारा किसी न किसी बहाने परेशान किया जा रहा है ; ग्रौर

(ग) यदि भाग (क) ग्रौर (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन सभी ग्रनिर्णीत मामलों को उचित ग्रवधि में निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) ग्रौर (ख). जी, नहीं। ऐसे दावे जो हर तरह से मुकम्मल प्राप्त होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय में उसके प्राप्त होने के 10 से 15 दिनों के ग्रन्दर ग्राम तौर से भुगतान के लिए पास कर दिए जाते हैं। चूंकि दावा के निपटान में बड़ी रकमों का भुगतान ग्रन्तर्ग्रस्त होता है, इसलिए इस बात के लिए उचित जांच ग्रौर यथोचित सावधानी बरतनी पड़ती है कि ग्रधिक/गलत भुगतान न हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा के लिये की गई अदायगी

9167. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के पश्चिमी जोन ने कर्मचारी राज्य बीमा के हिसाब में 50,000 रुपये की राशि जमा नहीं कराई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम (पश्चिमी क्षेत्र) के वर्कशाप और चौकसी स्टाफ को, 1–4–73 से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया । परन्तु कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरण ने जून, 1967 (जब निगम का पश्चिमी क्षेत्र स्थापित हुआ था) से 31–3–1973 तक इस निगम से लगभग 59,930 रुपये का दावा किया है । चूंकि निगम के कर्मचारियों ने उपर्युक्त अवधि के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं उठाया अतः निगम प्रबंध ने महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अनुरोध किया है कि वे उसे उपर्युक्त अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने पर विचार करें । कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरण का निर्णय अभी तक सूचित नहीं किया गया है ।

कोयला खानों में दुर्घटनाओं के कारण मौतें

9168. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में कोयला खान अधिनियम तथा विनियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा ह जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन दुर्घटनाओं में मरने तथा जख्मी होने वाले खनिकों तथा अन्य श्रमिकों की संख्या कितनी है तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या खान सुरक्षा महानिदेशक ने कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयला खानों में श्रमिकों को पैदा होने वाले खतरों को देखते हुए गत एक वर्ष के दौरान धारा 22 लागू की थी ; और

(घ) यदि हां, तो यह धारा कितनी बार तथा किन-किन कोयला खानों में लागू की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1974 के दौरान कोयला खानों में 201 घातक दुर्घटनाएं और 2051 गम्भीर दुर्घटनाएं हुई । इन घातक दुर्घटनाओं में 234 व्यक्ति मारे गए और इन गम्भीर दुर्घटनाओं में 2150 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए । विशिष्ट अलग-अलग मामलों में ध्यान में आई त्रुटियों के कारण धारा 22 के अधीन जारी किए गए 79 नोटिसों और 23 आदेशों के अलावा, वाइंडिंग संस्थापनों के बारे में 150 नोटिस और भूमि के नीचे कोयला खानों में फ्लेम प्रूफ उपकरण के इस्तेमाल के सम्बन्ध में 162 नोटिस, विशेष सुरक्षा अभियानों के अनुसरण में हाल ही में जारी किए गए हैं ।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों पर खर्च और मितव्ययिता हेतु किये गये उपाय

9169. **श्री ईश्वर चौधरी** :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री नरेन्द्र सिंह :
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और मिशनों में से प्रत्येक पर गत वर्ष कितना खर्च हुआ;

(ख) अगस्त, 1973 से शुरू किये गये बचत अभियान के अन्तर्गत क्या उपाय किये गये और उनका क्या परिणाम निकला;

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न दूतावासों/मिशनों को क्या अनुदेश दिये गये और उनका किस हद तक पालन किया गया ; और

(घ) इस खर्च में विदेशी मुद्रा की कितनी राशि सम्मिलित है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) 1974–75 का व्यय लेखा अभी तक उपलब्ध नहीं है । फिर भी, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय राजदूतावास और मिशन को स्वीकृत अन्तिम अनुदान की राशि दी गई है ।

(ख) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.–9695/75) ।

आंध्र प्रदेश में एल्यूमीनियम फायल एककों की स्थापना

9170. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि राज्य में एल्यूमीनियम फायल एककों की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० ने आन्ध्र प्रदेश में 3,000 टन वार्षिक क्षमता के एक एल्यूमीनियम पन्नी संयंत्र लगाने के लाइसेंस के लिए नवम्बर, 1973 में आवेदन किया था । परियोजना पर कुल लागत 531 लाख रुपये आंकी गई थी । चूंकि भारत एल्यूमीनियम कम्पनी द्वारा सरकारी क्षेत्र में विशाल क्षमता स्थापित की जा रही है, इस लिए आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल का सम्मेलन

9171. **श्री नूरुल हुडा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, एमनेस्टी इन्टरनेशनल का औपचारिक रूप से एक सदस्य है जिसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुआ था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में परिवेक्षक रूप में अपना एक प्रतिनिधि भेजा था ;

(ग) उक्त सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का सारांश क्या है ; और

(घ) क्या सरकार इस सम्मेलन के निष्कर्षों से सहमत है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सम्मेलन में विचार-विमर्श मुख्य रूप से संगठन सम्बन्धी प्रश्नों पर ही हुआ था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नकली औषधि के बनने को रोकने के उपाय

9172. **श्री वसन्त साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नकली औषधियों के उत्पादन को रोकने के लिए प्रभावी एवं संयोजित कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या प्रारम्भ में महत्वपूर्ण नगरों में अच्छी किस्म की औषधियों के वितरण में आर्गेनाइज़ेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया का सहयोग लेने का कोई विचार है; और

(घ) राज्य स्तर पर प्रवर्त्तन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं और क्या नकली औषधियां बनाने वालों के विरुद्ध "आंसुका" का प्रयोग करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में परिभाषित "नकली ब्रांड वाली दवाइयों" के अन्तर्गत आने वाली जाली दवाइयों का निर्माण और बिक्री एक अपराध है । ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम तथा नियमावली में कड़ी सजा की व्यवस्था की गयी है जिसमें दस वर्ष तक की कैद भी शामिल है और जाली अथवा नकली दवाइयां बनाने वाले व्यक्तियों पर इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये निरीक्षकों द्वारा मुकदमें चलाये जा सकते हैं और जाली अथवा नकली दवाइयों के स्टाक को, इन दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी के प्रत्येक उपकरण को, इन दवाइयों के लाने ले जाने में प्रयुक्त पात्रों, पैकिंगों और वाहनों को भी जब्त किया जा सकता है । नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण रखने का कार्य राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो दवाइयों के निर्माण तथा उनकी बिक्री के लिये लाइसेंस देते हैं ।

नकली दवाइयों के निर्माण और उनकी बिक्री को रोकने के लिये केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन द्वारा उठाये गये कदमों का एक विस्तृत विवरण संलग्न नोट में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । [देखिए संख्या एल टी—9696/75]

(ग) फिलहाल नहीं ।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की अप्रैल, 1974 में हुई संयुक्त बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें औषधि नियंत्रण के कारगर उपाय करने के लिए संगठनात्मक पैटर्न के बारे में सुझाव दिए गए थे ताकि नकली दवाइयों के बनाने और बिक्री में लगे दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जा सके । इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों और राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का ध्यान नकली दवाइयों के मामलों में हुई वृद्धि की ओर आकृष्ट किया है और सुझाव दिया है कि वे अपने औषध नियंत्रण संगठन को उन तरीकों से दोषमुक्त करें जिनकी केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने सिफारिश की है । मंत्री महोदय ने इसके साथ एक नोट भी भेजा है जिसमें नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान को और भी तेज करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों का उल्लेख किया गया है ।

नकली दवाइयां बनाने वालों के विरुद्ध "मासुंका" का प्रयोग करने का विचार नहीं है ।

ऊर्जा तथा आर्थिक मामलों संबंधी सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना

9173. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा तथा आर्थिक मामलों संबंधी सम्मेलन की आरम्भिक बैठक में भाग लेने के बारे में फ्रांसीसी राष्ट्रपति (प्रैजीडेंट) के आमंत्रण को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा कैसा रुख अपनाये जाने का विचार है ;

(ग) शिष्टमंडल के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(घ) सम्मेलन के कब होने की संभावना है तथा सम्मेलन में कितने देशों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है ;

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां। यह बैठक वास्तव में पैरिस में 7 से 16 अप्रैल, 1975 तक हुई थी ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का यह विचार था कि मंत्री स्तर की प्रस्तावित बैठक का कार्य सूची में तेल, कच्चे माल, खाद्य और उर्वरक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली, विकासशील देशों की क्रय-शक्ति की समस्याओं तथा अत्यंत गम्भीर रूप से प्रभावित देशों की समस्याओं को अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए ।

(ग) प्रतिनिधिमण्डल में निम्नलिखित व्यक्ति थे :

1. श्री बी० के० सान्याल, सचिव (इ० डी०), विदेश मंत्रालय—नेता ।
2. श्री के० जी० वैद्य, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य ।
3. श्री एस० एम० हाशमी, स्थायी उप-प्रतिनिधि, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क—सदस्य ।
4. श्री के० के० भार्गव, परामर्शदाता, भारत का राजदूतावास, ब्रसल्स—सदस्य ।

5. श्री एस० के० कऽपालिया, परामर्शदाता, भारत का राजदूतावास, पैरिस—सदस्य ।

6. श्री ए० एस० मेहता, उप-सचिव, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय—सदस्य ।

7. श्री एन० के० सिंह, वाणिज्य मंत्री के विशेष सहायक—सदस्य ।

8. श्री यू० एन० अभयंकर, प्रथम सचिव, भारत का राजदूतावास, पैरिस—सदस्य ।

9. श्री एल० मानसिंह, उप-सचिव, विदेश मंत्रालय, प्रतिनिधिमंडल के सचिव ।

(घ) सम्मेलन पेरिस में 7 से 16 अप्रैल, 1975 तक हुआ; और उसमें निम्नलिखित ने भाग लिया :

संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जापान, अल्जीरिया, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला, भारत, ब्राजील, तथा जाईर ।

Agriculture Landless Labour

9174. Dr Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the number of land-less agricultural labour has been increasing; and

(b) if so, the percentage of labour dependent on agriculture and industry, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) Yes, Sir.

(b) The percentage of workers dependent on agriculture and industry is 26.3 and 22.4, respectively.

मोटर वैहिकल्ज एक्ट का संशोधन

9175. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वैहिकल्ज एक्ट में भारत में स्व-चालित वाणिज्यिक कारों के सम्बन्ध में बीमा करने का कोई उपबन्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां ।

(ख) स्वचालित टैक्सियों के बारे में बीमा संरक्षण प्रदान करने के लिए मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 में आवश्यक व्यवस्था शामिल करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है ।

कृषि और लघु उद्योगों में पुनर्वास के लिये प्रव्रजकों को दी जा रही सहायता

9176. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और लघु उद्योगों में पुनर्वास के लिए प्रव्रजकों को दी जा रही सहायता के मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) क्या बहुत समय पूर्व निश्चित सहायता के मानदंड अब मूल्यों में वृद्धि होने के कारण पुराने पड़ गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सहायता के मानदंड को उदार बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को दण्डकारण्य में तथा दण्डकारण्य और अंडमान को छोड़कर कृषि और लघु व्यवसायों में पुनर्वास के लिए दी जा रही सहायता के विवरण पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) को वर्ष 1974–75 की रिपोर्ट के परिशिष्ट 5, 6 और 7 में दिए गए हैं । प्रवासियों को अंडमान में बसाने के लिए दी जा रही सहायता की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं । प्रवासियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता देने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सहायता की दरों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उनमें संशोधन किया जाता है ।

विवरण

अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह प्रवासियों के लिए पुनर्वास सहायता

कृषक परिवार	
भूमि	5 एकड़
आवासीय प्लाट	1/3 एकड़
भरण-पोषण अनुदान : पुनर्वास के प्रथम वर्ष के दौरान छ : माह की अवधि के लिए नकद अनुदान की दर पर	
अन्य सहायता	(ऋण)
(i) दूसरे वर्ष में 6 महीने की अवधि के लिए भरण-पोषण सहायता	नकद अनुदान की दर का 50% की दर पर
(ii) आवास	3000 रु०
(iii) खेत के पशु	800 रू०
(iv) कृषि औजार तथा संयंत्र	400 रु० (कुछ पुराने मामलों में 500 रु० मंजूर किये गये)

(v) सहायक आय के लिए (पशुधन)	800 रुपए (मुख्य भूमि से लाये गए दुधारु पशुओं के लिए 1200 रु० मंजूर किए गए हैं)
(vi) बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक	1500 रुपए (इस मद के लिए पूर्व निर्धारित 1500 रु० की दर की समीक्षा तक सितम्बर, 1973 में लिटिल अंडमान भेजे गए 100 कृषक परिवारों के लिए स्वीकृत सहायता केवल 750 रु० प्रति परिवार है ।)
(vii) धान के खेतों में मेंढ़ बांधना तथा भूमि संरक्षण उपाय	1200 रु०
(viii) कुयें खोदने के लिए	200 रु०

[(ii), (iii), (iv), (v), (vi) तथा (vii) में वर्णित राशि अधिकतम सीमा है]

लघु व्यवसायी परिवार

व्यवसाय-एवं आवासीय भूमि	2/3 एकड़
आवासीय ऋण	3000 रुपए
लघु व्यापार ऋण	5000 रुपए तक

(उल्लिखित राशियों की सीमा अधिकतम है ।)

बिदेशों को भजे गये विशेषज्ञ

9177. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान विदेशों में कार्य करने हेतु कुल 1592 भारतीय विशेषज्ञों का चयन सर ारी माध्यम से किया गया है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास उनके वेतन तथा अन्य भत्तों को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा है ; और

(ग) वर्ष 1972 से विभिन्न देशों तथा महाद्वीपों को कुल कितने विशेषज्ञ भेजे गए तथा रिजर्व बैंक में उनके खाते में कितनी राशि है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) सीधे संविदा आधार पर भर्ती किए जाने वाले विशेषज्ञों के लिए विदेशों में उनके मालिक वेतन तथा अन्य भत्तों का विदेशी मुद्रा खर्च वहन करते हैं । आई० टी० ई० सी० कोलम्बो योजना और एस० सी० ए० ए० पी० विशेषज्ञों के वेतन और अन्य भत्तों के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाता है ।

(ग) 1972–73 से 1974 के अन्त तक कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग के जरिए कुल 2840 विशेषज्ञ चुने गए थे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ व्यक्ति खाते नहीं रखते हैं।

घटिया ओषधियां बनाने वाले ओषध एककों की स्थापना

9178. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल के वर्षों में देश में औषधि और भेषज निर्माता एककों की भारी संख्या में स्थापना हुई है और घटिया तथा नकली औषधियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या ऐसा कोई कानून है जिसके अधीन ये एकक अपने सम्पूर्ण उत्पादन-कार्यक्रम का कार्यभार सम्भालने के लिए केवल अर्हता-प्राप्त प्रौद्योगिविदों को ही, नियुक्त करने के लिए बाध्य किए जा सकें ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) औषधि एवं प्रसाधन-सामग्री नियमावली में विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके अनुपालन पर ही उनके निर्माण का लाइसेंस दिया जा सकता है। इनमें से एक पूर्वापेक्षित शर्त यह है कि प्रस्तावित निर्माण-कार्य योग्य तकनीकी स्टाफ के सक्रिय निदेश और व्यक्तिगत देख-रेख में होना चाहिए। गैर अनुसूचित औषधों और अनुसूची और ग (1) की औषधों के बनाने के लिए सक्षम तकनीकी स्टाफ की अर्हतायें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 71 और 76 में विहित हैं।

बज बज और लौंग आइलैंडज को अलिवयन प्लाईवुड लिमिटेड

9179. **श्री रानेन सेन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बज बज और लौंग आइलैंडज स्थित अलिवयन प्लाईवुड लिमिटेड में इसके कर्मचारियों की मंजूरी और वेतन की अत्यधिक राशि बकाया हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस समय इस कम्पनी की वित्तीय हालत खराब है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) यह मामला अनिवार्यतः राज्य कार्य-क्षेत्र में आता है, उपलब्ध सूचनानुसार, कम्पनी ने जनवरी, 1975 से कर्मचारियों को अर्जित मजदूरियों का और नवम्बर, 1974 से मासिक दर पर भुगतान पाने वाले कर्मचारी वर्ग को वेतन का भुगतान नहीं किया है। मामले पर राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र ध्यान दे रहा है। सूचित किया गया है कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति खराब है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड द्वारा प्रद्रावक संयंत्र (स्मैलटर प्लांट) पर कार्य

9180. **श्री राजदेव सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोरबा स्थान पर भारत का सब से बड़ा ऐल्यूमीनियम संयंत्र चालू कर दिया गया है ;

(ख) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने प्रद्रावक संयंत्र के लिए अपेक्षित 'डिजाइनिंग' 'मैन्युफैक्चर', 'इरेक्शन' और समूचे विद्युत् 'इलेक्ट्रिकस' को चालू करने सहित पूरा कार्य निष्पादित किया है ; और

(ग) यह अपना लक्षित उत्पादन कब तक प्राप्त कर लेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोरबा एल्यूमिनियम प्रद्रावक के प्रथम सोपान (25,000 टन प्रति वर्ष क्षमता) की स्थापना हो गई है और आवश्यक परीक्षणों के बाद इसे मई, 1975 में चालू करने का कार्यक्रम है ;

(ख) कोरबा संयंत्र के किए अपेक्षित मुख्य पावर इलेक्ट्रिक्स के डिजाइन, निर्माण, स्थापना, और कार्यान्वयन का पूरा काम भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा किया जा रहा है। प्रद्रावक के प्रथम सोपान का काम पूरा हो गया है और अब उसे चालू करने का काम चल रहा है।

(ग) प्रथम सोपान में चालू होने की तारीख से लगभग 2 माह में संयंत्र द्वारा 25,000 टन धातु उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से बिजली की उपलब्धि के अनुरूप प्रद्रावक संयंत्र की शेष तीन पौट-लाइनों के निर्माण का कार्य पुनः तैयार किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में कृषि श्रमिक

9181. **श्री टुना उरांव :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कृषि श्रमिकों की संख्या कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य में कृषि श्रमिकों की संख्या क्या थी ;

(ग) क्या पांचवी योजनावधि में राज्य में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को पुनः बसाने के लिए राज्य में कोई व्यापक कार्यक्रम शुरु किया है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1974–75 में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उस वर्ष क्षेत्रवार, पुनः बसाये गये कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या क्या है ; और

(ङ) पांचवीं योजनावधि में राज्य में भूमिहीन श्रमिकों के लिए इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिपुरा, में कृषि श्रमिकों की संख्या में कमी का रुख देखा गया जो निम्न प्रकार है :—

1971—72	4498
1972—73	4315
1973—74	3142

(इन आकड़ों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कृषि श्रमिक और शरणार्थी शामिल नहीं हैं) ।

(ग) से (ङ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक योजना बनाई गई है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शरणार्थियों को छोड़कर भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भूमि को आबाद करने और कृषि कार्यों तथा गृह निर्माण के लिए प्रति परिवार 1910 रुपये की व्यवस्था है । अब तक कृषि भूमि के संबंध में 2 मानक एकड़ों और गृह-स्थान के लिए 0.2 एकड़ों से अनधिक भूमि पर 4197 परिवारों को पुनः बसाया जा चुका है ।

सरकारी स्वागत समारोहों/रात्रि भोजों में आयातित शराब का उपयोग

9182. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों द्वारा आयोजित स्वागत समारोहों/रात्रि भोजों में आयातित शराब दिये जाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा आयोजित स्वागत समारोहों/रात्रि भोजों में देशी शराब का उपयोग करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) विभागीय अध्यक्षों द्वारा आयोजित स्वागत समारोहों/भोजों में आयातित और भारतीय दोनों प्रकार की व्हिस्की पेश की जाती है । लेकिन ऐसे अवसरों पर केवल भारत में ही बनी जिन और बीयर दी जाती है।

घटिया औषधियां बेचने के लिये विदेशी फर्मों के विरुद्ध जांच

9183. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घटिया उत्पादों की बिक्री के लिये कितनी विदेशी फर्मों के विरुद्ध जांच की जा रही है तथा जांच कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पोलियो वैक्सीन का उत्पादन करने के लिये बन्दरों का आयात

9184. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो वैक्सीन का उत्पादन करने के लिये बन्दरों का आयात करने हेतु धनराशि की कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो पोलियो वैक्सीन के उत्पादन में हुई कमी संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है और स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं। यह कमी मुख्यतः तकनीकी कठिनाइयों, बिजली के कभी-कभी चले जाने आदि से हुई है।

(ख) 1972–73 और 1973–74 में ट्रिवेलन्ट वैक्सीन की वास्तव में क्रमशः 1,72,500 तथा 19,350 मात्राएं तैयार की गयीं जबकि इस वैक्सीन को तैयार करने की वार्षिक क्षमता 12.50 लाख मात्राएं थीं।

उत्पादन में हुई कमी के कारणों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिये अध्ययन जारी है।

बोकारो में दूसरी धमन भट्टी के लिए अतिरिक्त कोकिंग कोयले की सप्लाई

9185. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय तथा भारत कोकिंग कोल लि० बोकारो स्थित दूसरी धमन भट्टी को चालू करने के सम्बन्ध में कठिन स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनका मन्त्रालय वर्ष 1975–76 की तीन तिमाहियों में बोकारो को अतिरिक्त कोकिंग कोयले की सप्लाई करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो बोकारो की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके मन्त्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तीसरी कोक ओवन बैटरी को चालू करने के लिए कोककर कोयले की अधिक आवश्यकता लगभग 69,000 टन प्रति मास है। यह आवश्यकता 1975 की चौथी तिमाही से होगी। इस अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करनी सम्भव होगी।

भारत पाक व्यापार करार में शामिल वस्तुओं पर भाड़ा दरों के बारे में समझौता

9186. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 नवम्बर, 1974 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार करार में शामिल वस्तुओं पर भाड़ा-दरों के बारे में कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच नौवहन सेवाओं के फिर से चालू करने के लिए 15 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसरण में नौवहन सेवा के वास्तविक प्रारम्भ के प्रबन्ध को अन्तिम रूप देने के लिए वाणिज्यिक स्तर को वार्ता के लिए एक पाकिस्तानी नौवहन प्रतिनिधि मण्डल भारत आया।

वार्ता के अन्त में जिन मोटे निष्कर्षों पर पहुंचा गया, वे निम्न प्रकार से हैं :—

(i) पाकिस्तान से विभिन्न भारतीय पत्तनों को कच्ची कपास जैसी आयात की मुख्य वस्तु पर भाड़ा की दरें निश्चित की गई।

(ii) पाकिस्तान से विभिन्न भारतीय पत्तनों को कच्ची कपास की ढुलाई के लिये भाड़ा दरें निम्न प्रकार से होंगी :—

	भाड़ा दर	नंबर अधिप्रभार	कुल
	यू०एस०ए० डालर (प्रति मीटरी टन)	यू०एस०ए० डालर (प्रति मीटरी टन)	यू०एस०ए० डालर (प्रति मीटरी टन)
(क) करांची से बम्बई/भावनगर को	30.00	6.00	36.00
(ख) करांची से कोचीन को	31.70	6.30	38.00
(ग) करांची से मद्रास को	35.40	7.10	42.50
(घ) करांची से कलकत्ता को	36.25	7.25	43.50

(iii) प्रतिकूल दिशा में भी भाड़ा दरें वही होंगी।

(iv) 30 नवम्बर, 1974 के भारत–पाक व्यापार समझौते में उल्लिखित इंजीनियरी माल पटसन से बनने वाली वस्तुओं, लौहायस्क, रेलवे उपकरण, चावल और चाय जैसी अन्य चीजों पर भाड़ा दरों को दोनों देशों के निर्यात/आयात संगठनों से उचित परामर्श के बाद ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिये राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाना

9187. **श्री भगत राम राजा राम मनहर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिये दी जाने वाली धन–

राशि सहायता अनुदान व्यवस्था के अन्तर्गत न दी जाकर 'सीमित साख-पत्र व्यवस्था' (लिमिटेड लेटर आफ क्रेडिट सिस्टम) के अन्तर्गत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत वर्ष प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास के लिए धन न तो उधार पद्धति के सीमित पत्र के अन्तर्गत और न ही सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास पर व्यय केन्द्रीय नगद बकाया राशि में से सीधे व्यय के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

रुपये लाखों में

राज्य	अन्तिम आवेदन
1	2
आंध्र	425.00
आसाम	71.72
बिहार	500.00
देहली	43.93
गोवा	60.00
गुजरात	440.00
हरियाणा	110.00
हिमाचल प्रदेश	105.00
जम्मू-कश्मीर	36.78
कर्नाटक	320.00
केरल	284.72
मध्य प्रदेश	409.80
महाराष्ट्र	710.00
मणिपुर	25.00
मेघालय	20.00
नागालैण्ड	14.00
उड़ीसा	194.00

1	2
पंजाब .	95.00
राजस्थान	178.00
तमिल न डु	400.00
उत्तर प्रदेश . .	755.00
पश्चिम बंगाल .	350.00
कुल	5553.00

Adequate Medical Facilities in Kargil, Leh, Noobra, Jasmath, Chung Chung, Suru of Ladakh

9189. Shri Kushok Bakula: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether adequate medical facilities have not been provided in Kargil, Leh, Noobra, Jasmath, Chung Chung, Suru of Ladakh; and

(b) if so, the steps being taken to improve the medical facilities in these areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning: (Shri A. K. M. Ishaque): (a) The required information has been called for from the State Government and shall be laid on the Table of the Sabha.

(b) According to the information received from the Government of Jammu and Kashmir, the following health services are available in the rural population in Ladakh:—

(i) Hospitals—3
(ii) Primary Health Centres—3
(iii) Sub-Centres—2
(iv) Maternity & Child Health Centres—2
(v) Family Planning Centres—2
(vi) Allopathic dispensaries—16
(vii) Mobile medical unit—2
(viii) Amchi Centres (Indigenous system)—30
(ix) Medical Aid Centres—40
(x) V.D. Clinic—1
(xi) Moblie Vaccination Squad—1
(xii) Public Health Sanitation Team—2

For improving the health services in Ladakh, the following measures are proposed to be taken:—

(a) Establishment of 7 Amchi Centres.
(b) Improvement of existing Primary Health Centres.
(c) Purchase X-ray equipment for treatment of T.B. patients.

(d) Upgrading of 2 allopathic dispensaries to fulfledged Primary Health Centres.

(e) Opening of an ancillary medical training school.

(f) Addition of 25 bedded paediatric wards to the hospitals at Leh and Kargil.

(g) Construction of hospital buildings at Leh and Kargil.

(h) Construction of dispensary building at Panikar with staff quarters.

(i) Building of staff quarters for hospitals at Leh and Kargil.

उड़ीसा को कच्चे माल की सप्लाई

9190. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा को वर्ष 1974–75 के दौरान स्टील स्टैन्लेस स्टील, एल्यूमीनियम उद्योगों तथा ट्यूब उद्योगों आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

न्यू मंगलौर पत्तन में नियुक्तियां

9191. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मंगलौर पत्तन में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 27 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है;

(ख) : यदि हां, तो इन अधिकारियों में कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ;

(ग) क्या न्यू मंगलौर पत्तन की नियुक्त समिति और विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधि हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क). नव मंगलौर पत्तन में इस समय विभिन्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2 (राजपत्रित) पदों पर निम्न अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) संबंधित समिति में नियुक्ति के लिये पत्तन में कोई अनुसूचित जनजाति का अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

1238 LS—7.

प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण मस्तिष्क को क्षति तथा अन्धापन होना

9192. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि प्रोटीन और कैलोरी की भारी कमी के कारण भारत में लगभग 10 लाख बच्चे मस्तिष्क की क्षति तथा अन्धेपन से पीड़ित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता लेने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में स्थानीय तौर पर तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से किये जा रहे उपायों की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) प्रोटीन और कैलोरी की भारी कमी के कारण भारत में लगभग 10 लाख बच्चों के मस्तिष्कों को क्षति पहुंची है तथा वे अंधे हो गये हैं इसके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। वैसे जो प्रारंभिक अध्ययन किये गये हैं उनसे इतना मालूम हुआ है कि जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में ही प्रोटीन कैलोरी की अधिक कमी से सीखने की मानसिक शक्ति को क्षति पहुंच सकती है। बच्चों में अंधेपन का एक प्रमुख कारण आहार में विटामिन 'ए' की भारी कमी है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) तुरन्त प्रभावित हो सकने वाले वर्गों के लिए भारत सरकार ने जो विभिन्न पोषण कार्यक्रम चलाये हैं उनकी रूपरेखा का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का सारांश इस प्रकार है:——

(।) अनुपूरक आहार कार्यक्रम

(1) प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए दिन के भोजन का कार्यक्रम लगभग 19 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को भोजन देने की व्यवस्था की गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके अन्तर्गत 50 लाख बच्चे और आ जायेंगे ऐसी आशा की जाती है।

(2) स्कूल जाने की आयु से छोटी आयु के बच्चों, गर्भवती और शिशुओं वाली महिलाओं के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम शहरों की गन्दी बस्तियों और देश के आदिवासी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का लाभ लगभग 40 लाख बच्चे उठा रहे थे जबकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 60 लाख और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे ऐसी आशा की जाती है।

(3) बालबाड़ी आहार कार्यक्रम बालवाड़ियों के माध्यम से चलाया जा रहा है और इसके अन्तर्गत अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में 22 लाख बच्चे लाभ पा रहे हैं।

(2) **अन्य कार्यक्रम**

(1) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम इस प्रकार चलाया जा रहा है जिससे देश में शाक वाटिकायें, स्कूल वाटिकायें, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के धंधे चलाकर इनसे फल, सब्जियां, अण्डे, मछली आदि जैसे पौष्टिक आहार पैदा किये जायं और उनके उपभोग से देहात में लोगों का पोषण स्तर सुधारा जाय ।

(2) विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों में होने वाले अंधेपन की रोकथाम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अंधापन पैदा करने वाले विटामिन 'ए' की कमी को रोकने के लिए बच्चों को बड़ी मात्रा में हर 6–6 महीने के बाद विटामिन 'ए' खाने के लिए दिया जा रहा है । चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 1 करोड़ 40 लाख बच्चे इसका लाभ उठा रहे थे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आशा है कि लगभग 6 करोड़ बच्चे यह लाभ उठाने लगेंगे ।

(3) माताओं और छोटे बच्चों में पोषण की कमी के कारण होने वाली रक्त क्षीणता की रोकथाम :

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रसूति और बाल स्वास्थ्य क्लीनिकों, पूर्व प्रसव और प्रसवोत्तर क्लीनिकों, आदि के माध्यम से बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाओं को नित्य प्रति लोह और फोलिक एसिड की गोलियां दी जा रही हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ 80 लाख बच्चों और ऐसी महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवीं योजना में आशा है लगभग 5 करोड़ बच्चों और महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ मिलने लगेगा ।

इनके अतिरिक्त "बच्चों" की देख-रेख की मिली जुली सेवायें नामक एक कार्यक्रम चलाने का विचार है जिसके अन्तर्गत स्कूल पूर्व आयु वाले बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाओं को जिन पर इसका तुरन्त प्रभाव पड़ सकता है, एक साथ कुछ मिली जुली सेवायें दी जायेंगी । इन सेवाओं में ये चीजें सम्मिलित होंगी :––

(क) अनुपूरक आहार, (ख) स्वास्थ्य सुधार, (ग) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (घ) परिवार नियोजन (ङ) अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था ।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा नोटिस की अवधि के एवज में एक महीने का वेतन का भुगतान किया जाना

9193. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, नई दिल्ली के कुछ कर्मचारियों को नोटिस की अवधि के एवज में उस समय एक महीने का वेतन अदा करना था जब वे उनके मन्त्रालय के अधीन अन्य संगठनों में कार्यभार सम्भालना चाहते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात इस सम्बन्ध में उक्त संस्था पर लागू भारत सरकार के नियमों और आदेशों का उल्लंघन है; और

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों को यह राशि वापिस करने के उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

Targets of Transport facilities in M.P.

9194. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether targets have been finalised in respect of transport facilities for Madhya Pradesh during the first year of Fifth Five Year Plan; and

(b) if so. the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H M. Trivedi): (a) and (b). In the first year of the Fifth Plan (i.e. 1974-75), an outlay of Rs. 120 lakhs was approved for road transport schemes in Madhya Pradesh. Out of this amount, the State Government's contribution was to be Rs. 80 lakhs and that of the Central Government (Ministry of Railways) Rs. 40 lakhs. While the State Government paid their contribution in full, the Ministry of Railways contributed only Rs. 16.44 lakhs. It was expected that the entire amount of Rs. 96.44 lakhs would be utilised during the relevant year on the following programmes:—

	(Rs. in lakhs)
(i) Purchase of vehicles	40.50
(ii) Land and Building	25.00
(iii) Plant and Machinery	8.50
(iv) Furniture and Fixture	1.50
(v) Compensation to private operators whose routes are to be taken over	4.50
(vi) Interest Payment	16.44
Total	Rs. 96.44 **lakhs**

Loss to Bhilai Steel Plant

9195. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Bhilai Steel Plant suffered a loss in 1973-74; and

(b) if so, the amount thereof and how this compares with the loss suffered in Durgapur and Rourkela plants and the reasons for the loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) No, Sir, Bhilai Steel Plant earned a profit of Rs. 17.78 crores in 1973-74.

(b) Does not arise.

Employees in Hoshangabad and East Nimar Districts who are Members of E.S.I.S.

9196. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of employees in Hoshangabad and East Nimar Districts in Madhya Pradesh who are the members of the Employees State Insurance Scheme and the facilities being provided to them; and

(b) whether there is any proposal to purchase a vehicle for employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information:—

(a) There are 7,000 employees in Hoshangabad and East Nimar Districts in Madhya Pradesh State covered under the Employees' State Insurance Scheme and entitled to benefits provided by the Scheme. Full medical care including hospitalisation facilities, is being provided to the insured persons. Their family members are being provided with expanded medical care i.e. full medical care short of hospitalisation.

(b) No such proposal has been received from the State Government.

Adverse Effect of Iron and Steel shortage on Small Industrial Units of M. P.

9197. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the shortage of iron and steel has had considerable adverse effect on small industrial units of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the steps taken to normalize production of small industrial units?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) and (b). The supply position of steel has improved considerably in the last one year. Production of saleable steel from integrated steel plants was higher during the year 1974-75 by 5.4 lakh tonnes as compared to the previous year, representing an increase of 12.4 per cent. The input of saleable steel into the economy during the year 1974-75 is higher by 11.04 lakh tonnes which represents an increase of 20 per cent as compared to the previous year, 1973-74. There is adequate availability of most categories of steel and pig iron. Most of the State Small Scale Industries Corporations in the country including that of Madhya Pradesh, are reported to be holding adequate stock of steel materials.

सेवा से निकाले गये वायु सैनिकों (एयरमैन) को रोजगार

9198. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर से दिसम्बर, 1971 की अवधि में बीच सेवा से निकाले गये कुछ वायु

सैनिकों को सिविल विभागों में रोजगार प्राप्त करने के मामले में कोई सहायता नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे वायु सैनिकों के नाम तथा आय विवरण क्या हैं; और

(घ) क्या उन्हें पुनः रोजगार दिलाने के लिये कोई कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) सरकार की यह नीति है कि ऐसे सभी भूतपूर्व सैनिकों को सिविल विभागों में नौकरी पाने में मदद की जाए जिनके नाम विभिन्न रोजगार कार्यालयों और इस मन्त्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय में दर्ज हैं तथा जो सभी दृष्टियों से पात्र हैं तदनुसार, सितम्बर से दिसम्बर, 1971 के दौरान सेवामुक्त हुए जिन वायु सैनिकों के नाम वहां दर्ज हैं और जो नौकरी पाने के पात्र हैं, उन्हें इस मन्त्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा विभिन्न सिविल विभागों में नौकरी पाने में, उसी प्रकार मदद दी गयी है/दी जा रही है जिस प्रकार कि अन्य ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती है ।

(ख) से (घ). सम्बद्ध रिकार्ड एक हस्तचालित 'कार्ड सिस्टम' पर रखे जा रहे हैं और इस ब्यौरे को इकट्ठा करने में इतना अधिक प्रयास लगेगा कि प्राप्त परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे ।

किरकी स्थित गोला-बारुद कारखाने द्वारा प्राथमिकता के अनुसार क्रयादेशों का पंजीकरण

9199. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरकी स्थित गोलाबारुद कारखाना प्राथमिकता के क्रमानुसार गोला-बारुद के क्रयादेशों का पंजीकरण नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन पार्टियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने गत एक वर्ष के दौरान कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, कटक तथा अहमदाबाद से अपने क्रयादेश पंजीकृत कराये हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी नहीं श्रीमन् । गोलाबारूद कारखाना किरकी, गोला-बारुद के लिए आर्डर प्राथमिकता के आधार पर ही दर्ज कर रहा है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले एक वर्ष में जिन पार्टियों ने आर्डर दर्ज कराये हैं उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

विवरण

पिछले एक वर्ष में जिन पार्टियों ने अपने आर्डर दर्ज कराये हैं उनकी संख्या और नाम

क्रम संख्या	पार्टी का नाम
	कानपुर से : कुल संख्या—31
1	मैसर्स भारत गन हाउस
2	,, महबूब आलम एण्ड सन्स
3	,, भारत आर्म्स कार्पोरेशन
4	,, अब्दुल रहमान एण्ड सन्स
5	,, चेत राम शर्मा
6	,, इण्डियन आर्म्स कार्पोरेशन
7	,, हसनुद्दीन एण्ड सन्स
8	,, के० जी० ठाकुरदर
9	,, नेशनल गन हाउस
10	,, लार्डस गन हाउस
11	,, इन्टरनेशनल आर्म्स कार्पोरेशन
12	,, कानपुर आर्म्स कार्पोरेशन
13	,, सिंह एण्ड सन्स
14	,, गेजेज आर्म्स कार्पोरेशन
15	,, स्वास्तविक आर्म्स कार्पोरेशन
16	,, आनन्द ट्रेडर्स
17	,, चौधरी गन हाउस
18	,, अनुराग आर्म्स
19	,, स्वदेशी गन हाउस
20	,, पंजाब आर्मरी
21	,, ए० के० नियोगी
22	,, जी० के० विश्वास
23	,, इकबाल आर्मरी
24	,, स्ट्रैन्स आर्म्स
25	,, इण्डिया गन हाउस
26	,, गुप्ता शस्त्रागारालय

क्रम संख्य		पार्टी का नाम
27	मैसर्स	किसान आर्मरी
28	,,	हिन्द आर्म्स
29	,,	ए० के० विश्वास
30	,,	विजय आर्मरी
31	,,	पी० डी० गुवा
		लखनऊ से : कुल संख्या–21
1	,,	लखनऊ गन हाउस
2	,,	के० पी० सेल्स
3	,,	सिंह गन हाउस
4	,,	इण्डिया आर्म्स कार्पोरेशन
5	,,	कैपिटल गन हाउस
6	,,	इकराममुल हक
7	,,	इकबाल आर्म्स कार्पोरेशन
8	,,	मीना गन हाउस
9	,,	जनता आर्मरी
10	,,	नेशनल गन सर्विस
11	,,	कानपुर आर्म्स कार्पोरेशन
12	,,	नेशनल गन हाउस
13	,,	ए० के० नियोगी
14	,,	इलाही बख्श
15	,,	लखनऊ आर्म्स कार्पोरेशन
16	,,	बन्दूक हाउस
17	,,	एक्को इन्डस्ट्रीज
18	,,	संसार गन हाउस
19	,,	सरहिन्द गन हाउस
20	,,	मात्रा स्टोर्स
21	,,	दीक्षित आर्म्स कार्पोरेशन

1	2	3	4

दिल्ली से : कुल संख्या—22

1	मैसर्स	पण्डित आर्म्स स्टोर्स
2	,,	सिंह गन हाउस
3	,,	राजधानी ट्रैडर्स
4	,,	ओरिएन्टल आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन
5	,,	दिल्ली गन हाउस
6	,,	एच०एन० कोहली
7	,,	जतिन्दर पाल सिंह
8	,,	कैपिटल गन हाउस
9	,,	दलीप सिंह एण्ड सन्स
10	,,	बी०आर० साहनी
11	,,	पण्डित नूर सिंह दास
12	,,	सिंह आर्म्स हाउस
13	,,	आनन्द आर्मरी
14		गुड विज आर्म्स
15	,,	मन्टोन एण्ड कम्पनी
16	,,	इस्टर्न आर्म्स कम्पनी
17	,,	नेशनल स्टोर्स
18	,,	दिल्ली आर्मरी
19	,,	शक्ति लाल तनेजा
20	,,	प्राइमर (प्रीमियर) गन हाउस
21	,,	सिंह बदर्स
22	,,	सिंह फायर आर्म्स कम्पनी

कटक से : कुल संख्या—1

1	,,	ए० टी० डा० एण्ड कम्पनी

अहमदाबाद से : कुल संख्या—2

1	,,	बी० आर० कोआप० स्टोर्स
2	,,	बी० डी० पटेल

गैर-संरकारी संगठनों को परिवार नियोजन के लिये दिये गये अनुदान तथा सहायता

9200. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को गत दो वर्षों में राज्य-वार अनुदान तथा सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) परिवार नियोजन के क्षेत्र में उन संगठनों ने कितना काम किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) परिवार नियोजन कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों को राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अनुदान दिये जा रहे हैं। 1973–74 की अपेक्षित सूचना, जितनी उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दे दी गई है । 1973–74 और 1974–75 के बारे में सारी सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्वित के किए स्वैच्छिक संगठनों को अधिकाधिक संख्या में शामिल करना भारत सरकार की घोषित नीति है । अनुदान लेने वाले स्वैच्छिक संगठन प्रेरणा प्रशिक्षण अनुसन्धान और सेवा कार्य में लगे हुये हैं और आम तौर पर वे अपना कार्य सम्पन्न कर रहे हैं।

विवरण

1973–74 के दौरान राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा परिवार नियोजन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को संस्वीकृत किए गए सहायता अनुदान :

राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राशि
	(रुपये)
आंध्र प्रदेश	18,79,291.00
असम	90,522.00
बिहार	1,69,391.38
गुजरात	24,71,261.75
केरल	1,63,363.00
मध्य प्रदेश	3,65,237.00
महाराष्ट्र	14,46,000.00
मणिपुर	9,100.00
मेघालय	20,000.00
तमिलनाडु	8,15,558.00
उड़ीसा	1,60,763.97
राजस्थान	6,44,549.00

1	2	3
		(रुपये)
त्रिपुरा		15,400.00
हिमाचल प्रदेश		शून्य
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		शून्य
गोआ, दमन और दीव		14,100.00
अरुणाचल प्रदेश		शून्य
पांडिचेरी		शून्य
मिजोरम		शून्य
दादर और नगर हवेली		शून्य
चण्डीगढ़		65,000.00
नागालैंड		शून्य
उत्तर प्रदेश		5,99,301.00
दिल्ली		6,96,638.49
लक्षद्वीप		शून्य

शेष राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाक्साईट निर्माता

9201. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाक्साईट का निर्माण करने वालों के नाम क्या हैं और इसकी खानें कहां-कहां पर हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में खान-वार बाक्साईट का कितना उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०–9697/75]

हजारीबाग जिले के बेरोजगार कोयला खनिकों को मुआवजा

9202. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिले में खान मालिकों द्वारा बिना उनकी गलती के, निकाले गए लगभग 30,000 कोयला खनिकों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार खान मालिकों को मजबूर करेगी कि वे अपनी कोयला खानों में सुरक्षा उपायों में सुधार होने तक अथवा उनके लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध होने तक, कोयला खनिकों को

खाली अवधि का मुआवजा दें ताकि वे बिहार की वर्तमान चिन्ताजनक स्थिति में विद्रोह न कर सकें; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या अन्य उचित कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

लोह खान से निकाले गये 'ओवर बर्डन' अयस्क का उच्च स्तरीय लोह अयस्क में बदलना

9203. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह अयस्क खान से निकाले गये 'ओवर बर्डन' 100 वर्ष की अवधि के बाद फिर से उच्च स्तर का लोह अयस्क हो जाता है ;

(ख) क्या प्रमुख भूवैज्ञानिकों ने इस बारे में अब तक कोई अनुसन्धान किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय हित में इस मामले की जांच विश्व प्रसिद्ध भूवैज्ञानिकों द्वारा कराने का है ; और

(घ) देश में प्रति वर्ष लोह अयस्क खानों से कुल कितना 'ओवर बर्डन' निकाला जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) लोह अयस्क के अधिकांश निक्षेपों जैसे बिहार-उड़ीसा, बैलाडिला, बैलारी-हास्पेट और बल्ली-राजहरा क्षेत्र की खानों में 'ओवर बर्डन' की मात्रा नगण्य है ।

पश्चिम अफ्रीकी देशों से भारतीय डाक्टरों की वापसी

9204. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री पश्चिम अफ्रीकी देशों से भारतीय डाक्टरों की वापसी के बारे में 6 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व उत्तर में उल्लिखित पांच डाक्टरों के 1972 के पश्चात् अर्थात् प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की अवधि के बाद, वहां ठहरने के क्या कारण हैं तथा उन में से प्रत्येक की भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) दिनांक 6 मार्च, 1975 को उत्तर दिये जाने के पश्चात् उनके विरुद्ध क्या ठीक-ठीक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उनकी वापसी की ऐसी तिथि क्या निर्धारित की गई है कि यदि वे जब तक भारत नहीं लौटते तो उन डाक्टरों के विरुद्ध पासपोर्ट जब्त करने सहित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) डाक्टर पी० एस० जैन, ओ० पी० चड्ढा और सी० आर० मलिक, ये तीन डाक्टर भारत सरकार को सूचित किए बिना अपनी विदेश नियुक्ति की स्वीकृति अवधि के पश्चात् अनुपस्थित रहते रहे ।

विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह नाइजीरिया में भारतीय दूतावास के जरिये इन व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें यह निदेश दें कि वे भारत में तत्काल रिपोर्ट करें अन्यथा उनके पासपोर्ट जब्त कर लिये जाएं। डा० ए० के० डे और एन० पकरासी ने 1973 में जब वे नाइजीरिया में थे, सरकारी सेवा से इस्तीफा भेज दिए थे। इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया था कि विदेश में नियुक्ति पर रहते हुए इस्तीफा मंजूर न किया जाए। तदनुसार विदेश मंत्रालय के जरिए नाइजीरिया में भारतीय दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे इन डाक्टरों को अपने मूल काडर में रिपोर्ट करने के लिए कह दें। नार्थ वेस्टर्न स्टेट सरकार ने अब सूचित किया है कि डा० एन० पकरासी मई, 1976 में अपने वर्तमान कण्ट्रेक्ट की समाप्ति पर भारत वापस आ जाएंगे। डा० ए० के० डे 16-1-1974 से 30-6-1975 की अवधि तक अध्ययन के लिए उस सरकार द्वारा स्वीकृत अवकाश पर इंगलैण्ड में हैं और उनका अब जो पता दिया गया है उस पर उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

Demands of Mica Workers of Bihar

9205. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the Deputy Minister in the Ministry along with some officers recently toured the Mica-bearing areas in the country and if so, the names of the areas in Bihar visited by him;

(b) whether any memorandum or charter of demands was presented to him on behalf of the Mica Workers and if so, the main demands contained therein; and

(c) the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) Yes; they visited Kodarma Mica Mines Area.

(b) Yes; the memorandum from Metalliferrous Mines Officers and Workers Association (RASHTRIYA MAZDOOR CONGRESS) Dhodha Kola contained the following main demands:—

(1) Irrigation facilities should be provided in mica mines areas.

(2) Minimum wages for mica mine workers should be fixed.

(3) A Wage Board for mica mine workers should be set up.

(4) An office of Deputy Regional Provident Fund Commissioner should be set up at Kodarma.

(5) The mica mine workers should be provided with facilities for housing medical care and supply of drinking water.

(c) Demands Nos. 1—4 are under examination.

As regards demand No. (5) action to introduce new welfare facilities is taken on the recommendations of the State Advisory Committee and the Central Advisory Board. It may, however, be stated that the welfare activities are dependent on the amount of duty of customs collected on the export of Mica. In this connection, it may be noted from the figures below that expenditure on welfare activities in Bihar region has already exceeded its income.

Year	Income Rs.	Expenditure Rs.
1971-72	11,86,000.00	30,21,366.00
1972-73	17,24,000.00	27,42,878.00
1973-74	19,86,000.00	29,25,676.00

युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को पेट्रोल पम्प का आवंटन

9206. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को पेट्रोल पम्प के आवंटन के बारे में 19 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार गुरदासपुर जिले में (जिस के लिए स्थल सम्बन्धी योजना रक्षा मंत्रालय को स्वीकृति के लिये भेजी जा चुकी है) नारोरा मज्जासिंह में पम्प लगाने की योजना के मूल प्रस्तावक, स्वर्गीय मेजर भगत सिंह (वीर चक्र) के आश्रितों को पेट्रोल पम्प (जिसके लिये रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजे जाने पर भारतीय तेल निगम ने सर्वेक्षण किया था) आवंटित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) जिला गुरदासपुर में नारोरा मज्जासिंह में प्रस्तावित पम्प के लिए डीलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में भारतीय तेल निगम ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है । वर्तमान नीति के अनुसार, इस प्रस्तावित पम्प के लिए डीलर की नियुक्ति के लिए मार्च, 1974 में समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया गया था जिसमें इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन-पत्र मांगे गये थे । इस सम्बन्ध में चुनाव समिति ने 26 और 27 अप्रैल, 1974 को इन्टरव्यू लिये ।

2. समाचार-पत्रों में दिये गये विज्ञापन के उत्तर में 45 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । इन सभी प्रार्थियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया जिसमें स्वर्गीय मेजर भगत सिंह (वीर चक्र) के पिता सरदार ईश्वर सिंह भी शामिल थे । लेकिन, सरदार ईश्वर सिंह सहित, कुल 26 निम्नलिखित उम्मीदवार चुनाव समिति के समक्ष इन्टरव्यू के लिये आये :—

1. लेफ्टिनेन्ट कर्नल संत सेवक सिंह
2. श्री नरेन्द्र मोहन ढींगरा और कैप्टन पूरन चन्द ढींगरा
3. कैप्टन बाल कृष्ण
4. स० चनन सिंह दुरंगला

5. ले० कर्नल टहल सिंह
6. स० ईशर सिंह (स्वर्गीय मेजर भगत सिंह, वीर चक्र, के पिता)
7. स० चनन सिंह पठानकोट
8. स० हरकीरत सिंह
9. श्री हरदयाल सिंह आहूजा
10. श्री ध्यान चन्द
11. स० बलजीत सिंह
12. स० बिशन सिंह
13. स० गुरचरन सिंह
14. स० दरशन सिंह
15. मेजर स्वर्ण सिंह
16. आन० कैप्टन रणजीत सिंह
17. श्री बलदेव चन्द गुप्ता
18. मैसर्स गनपत राय एण्ड सन्स
19. स० हरभजन सिंह और स० मोहन सिंह
20. श्री एस० पी० ग्रोवर
21. श्री रोशन लाल
22. कैप्टन वीर सिंह जाज
23. स० ज्ञान सिंह
24. स० सुरिन्दर सिंह
25. श्री बलवन्त राय
26. श्री एस० वी० डी० सोंधी ।

'बी' स्थानों के आवंटन से सम्बन्धित वर्तमान नीति के अनुसार, अन्य बातें समान होने पर, कार्रवाई में ड्यूटी पर मारे गये रक्षा सेवाओं के अफसरों तथा जवानों के आश्रितों व अन्य भूतपूर्व सनिकों को दूसरे लोगों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है लेकिन इन सभी मामलों में उम्मीदवारों के चुनाव के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय भारतीय तेल निगम के प्राधिकारियों द्वारा लिया जाता है । पेट्रोल की सीमित उपलब्धता और बजट सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण, जिला गुरदासपुर में नौशेरा मज्जासिंह में डीलर-स्वाधिकृत अथवा डीलर द्वारा चलाये जाने वाले पेट्रोल पम्प के लिए उम्मीदवार चुनने से सम्बन्धित प्रस्ताव को, ऐसे अन्य प्रस्तावों सहित, भारतीय तेल निगम के 1975–76 के बजट में शामिल किया गया है । नौशेरा मज्जासिंह में पेट्रोल पम्प के डीलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय भारतीय तेल निगम द्वारा, उपयुक्त समय पर, उस समय लागू नीति के आधार पर लिया जायेगा ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाये गये खनिज पदार्थ

9207. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन–कौन से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाये गये थे; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर खनिज निक्षेपों को निकालने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) : उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में पाये गए महत्वपूर्ण खनिज हैं—चूना–पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, तांबा, निकिल, कोबाल्टा युक्त सल्फाइड, आधार धातु वाले सल्फाइड, क्रोमियम, मैग्नेटाइट, एस्बेस्टस—अल्ट्रामैफिक्स, ग्रेफाइट, कोयला, सिलिमैनाइट, कोरूडंम, कांच–रेत तथा प्लास्टिक मिट्टी।

(ख) विस्तृत भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण अभी भी जारी हैं तथा इन भंडारों को खुदाई के बारे में आर्थिक उपादेयता प्रमाणित होने पर ही प्रभावी कदम उठाना सम्भव हो सकेगा। कोयला, चूनापत्थर तथा सिलिमैनाइट की पहले से ही खुदाई हो रही है।

केरल म वायुसेना भर्ती केन्द्र

9208. **श्री वयालार रवि :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के लोगों की लम्बे समय से आ रही राज्य में वायुसेना भर्ती केन्द्र खोलने की मांग की जानकारी है ; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां , श्रीमन् ।

(ख) एरणाकुलम कोचीन में भर्ती कार्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

बड़े बढ़े टैंकरों के लिए घाट लगाने की सुविधाएं

9209. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2 लाख और उससे अधिक डी०डब्ल्यू०टी० के बड़े बड़े टैंकर खरीदने का है ;

(ख) क्या हमारे किसी भी पत्तन पर ऐसे बड़े बड़े टैंकरों के लिये घाट लगाने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जहाजों की खरीद नौवहन कम्पनियों द्वारा की जाती है न कि सरकार द्वारा । यूगोस्लाविया में निर्माणाधीन प्रत्येक 269, 000 डी० डब्ल्यू० टी० की क्षमता के तीन वी० एल० सी०सी० के अलावा किसी और ऐसे तेल वाहक के प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : यह सच है कि इस आकार के जहाजों को फिलहाल किसी भी बड़े पत्तन पर नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि सलाया में विचारित अपतट गंतव्य स्थान प्रत्येक 2,69,000 डी०डब्ल्यू०टी० की क्षमता के जहाजों को ठहरा सकेगा।

सामरिक आधारों पर नई रेल लाइनों का निर्माण

9210. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय ने गत 15 वर्षों में देश की रक्षा के लिये सामरिक आधार पर रेल मन्त्रालय से किसी नई रेल लाइन का निर्माण करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस आधार पर मंजूर की गई और बनाई गई रेल लाइनों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों अथवा संसद सदस्यों ने भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा आधारों पर किसी लाइन की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेलें लाइनों के नाम क्या हैं और उनकी लम्बाई एवं अनुमानित लागत क्या है और इन लाइनों के निर्माण में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सामरिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 15 वर्षों के दौरान कुछ नयी रेल लाइनों का निर्माण किया गया है। इससे अधिक ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) और (घ). रक्षा प्रयोजनों के लिए कुछ रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा कुछ माननीय संसद सदस्यों से कतिपय सुझाव प्राप्त हुए थे। चूंकि परिचालन की द्रष्टि से इनका पर्याप्त औचित्य नहीं था, इसलिए इनके सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा सका।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को दिल्ली/नई दिल्ली में प्लाटों का आवंटन

9211. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व-पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगालदेश) से आये शरणार्थियों को गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में कोई प्लाट आवंटित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और उन शरणार्थियों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली/नई दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान प्लाट दिये गये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख). दिनांक 4-1-1966 और दिनांक 13-8-1967 के प्रेस नोटों के अनुसार, 1-4-1972 से 31-3-1975 तक विगत तीन वर्षों के दौरान चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में 33 प्लाट आवंटित किए गए थे। एक विवरण जिसमें उन 33 प्रार्थियों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें प्लाट आवंटित किए गए थे संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	अलाटी का नाम
1.	श्री एस० विश्वास
2.	श्री सी० एल० विश्वास
3.	श्री सिसर कुमार गुप्ता
4.	श्री उपल घोष
5.	श्री बिनोय के राय
6.	श्री प्रफुल्ल कुमार शोम
7.	श्री ए० के० सेन
8.	श्री जे० एम०मिश्रा
9.	श्री बी० एम० चौधरी
10.	श्री क्लिीप कुमार सेन गुप्ता
11.	श्री चितरंजन राय
12.	ग्रुप कैप्टन ए० के० बसु
13.	श्री क्जिय कृष्ण चौधरी
14.	श्री शम्भू नाथ सेन
15.	श्री नकुल चन्द्र गुहा राय
16.	श्री ललित मोहन दास
17.	श्रीमती [illegible]
18.	श्री प्राण गोपाल सेन
19.	श्री जे० एम० भट्टाचार्य
20.	श्री आर० एन० दास गुप्ता
21.	श्री महिम रंजन बरुआ
22.	श्री श्यामल कान्ति बोस
23.	श्री जतिन्द्र नाथ मजूमदार
24.	श्री हिमांशु भूषण सरकार
25.	श्री जगन्नाथ दास
26.	श्री डी० पी० मैत्रा
27.	श्री मनोरंजन बरुआ
28.	श्री मनिन्द्र चन्द्र देब
29.	श्रीमती रेणुका दत्ता
30.	श्री धीरेन्द्र चन्द्र बिश्वास
31.	श्रीमती पार्वती मुकर्जी
32.	श्री मलेय कुमार चटर्जी
33.	श्रीमती अनिमा देवी ब्रह्मचारी

फर्मों/कम्पनियों/व्यावसायिक उपक्रमों में सेवा निवृत्तसेना अधिकारियों को दिया गया रोजगार

9212. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, पृथक पृथक प्रत्येक वर्ष, गैर सरकारी फर्मों/कम्पनियों अथवा व्यावसायिक उपक्रमों में अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात रोजगार पर नियुक्त किए गए; लेफ्टीनेंट जनरल, मेजर जनरल तथा ब्रिगेडियरों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ ऐसी फर्मों/कम्पनियों व्यावस/यिक उपक्रमों में भी नियुक्त हैं जो सशस्त्र सेनाओं को उपकरण अथवा अन्य साज सामान की सप्लाई करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों/कम्पनियों/व्यावसायिक उपक्रमों जिन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सेना, नौसेना तथा वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में जिन थलसेना अफसरों को प्राइवेट फर्मों/कम्पनियों/व्यापारिक उपक्रमों में नौकरी दी गयी है उनकी सूची संलग्न है। यह सूची केवल उन्हें अफसरों तक सीमित है जिन्होंने सेवामुक्त होने के दो वर्ष के भीतर नौकरी ले ली थी।

(ख) सम्भव है इनमें से कुछ फर्में सशस्त्र सेनाओं को उपस्कर आदि सप्लाई कर रहे हों। ऐसी फर्मों की कोई नियत सूची नहीं है। बहरहाल, सेवा अफसरों को अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि सेवा के दौरान अफसरों का सम्बन्धित संगठन से कोई लेन-देन नहीं था और अब जो नौकरी ली जा रही है वह मात्र सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ सम्पर्क-कार्य करने के लिए नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1972

क्रम सं०	अफसर का नाम
1.	लेफ्टि० जनरल एस० एन० मुबाई
2.	लेफ्टि०ज नरल के० एन० दुबे
3.	मेजर जनरल मोहिन्दर सिंह
4.	ब्रिगेडियर एन० एफ० मास्टर
5.	ब्रिगेडियर एस० जे० एस० भोंसले
6.	ब्रिगेडियर कृष्णजीत सिंह
7.	ब्रिगेडियर नरेश प्रसाद
8.	ब्रिगेडियर एस० एन० सेन
9.	ब्रिगेडियर आर० डी० लॉ
10.	ब्रिगेडियर विश्व मित्र
11.	ब्रिगेडियर एस० पोनाम्बलम

1973

12. लेफ्टि० जनरल के० पी० कैंडेण्थ
13. लेफ्टि० जनरल जे० एस० अरोड़ा
14. लेफ्टि० जनरल आर० एस० नरोना
15. मेजर जनरल बी० एम० अहलूवालिया
16. ब्रिगेडियर एस० ए० मोरे
17. ब्रिगेडियर ओ० पी० विग
18. ब्रिगेडियर एन० सेन
19. ब्रिगेडियर सी० वी० अडवानी
20. ब्रिगेडियर एस० मानसिंह
21. ब्रिगेडियर ई० जे० इंजीनियर
22. ब्रिगेडियर ए० डी० अग्रवाल
23. ब्रिगेडियर पी० मोदी
24. ब्रिगेडियर एम० जयरामन
25. ब्रिगेडियर जो० डी० वर्मा

1974

26. लेफ्टि० जनरल हर प्रसाद
27. लेफ्टि० जनरल एच० के० सिवल
28. लेफ्टि० जनरल एम० एन० बत्तरा
29. मेजर जनरल एस० वाई० मुंशी
30. मेजर जनरल के० डी० वसिष्ठ
31. मेजर जनरल पी० चौधरी
32. मेजर जनरल अमरीक सिंह
33. मेजर जनरल जो० सी० नागरा
34. ब्रिगेडियर ए० के० नायडू
35. ब्रिगेडियर एफ० पी० शिन्दे
36. ब्रिगेडियर मदन मोहन
37. ब्रिगेडियर एन० ए० पाटिल
38. ब्रिगेडियर एस० एल० जुनेजा
39. ब्रिगेडियर बृज चन्द्र

40. ब्रिगेडियर एस० एल० छिब्बर

41. ब्रिगेडियर एस० सी० भट्टाचार्य

42. ब्रिगेडियर पी० एल० चटर्जी

43. ब्रिगेडियर के० के० खन्ना

44. ब्रिगेडियर एस० पी० बख्शी

45. ब्रिगेडियर एस० नीलकण्ठन

46. ब्रिगेडियर ज० एस० वाकंकर

47. ब्रिगेडियर जे० एस० बावा

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आयोजित वाणिज्यिक विमान चालक परीक्षा का पूरा करना

9213. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त बहुत से वायु सैनिकों ने नागर विमानन मन्त्रालय द्वारा आयोजित वाणिज्यिक विमान चालन की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वायु सैनिकों का विवरण क्या है ;

(ग) क्या उन्हें पुनः रोजगार पर लगाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में वायु सेना के 47 कार्मिकों को, वायुसेना में उनके उड़ान अनुभव के आधार पर, व्यावसायिक पायलट लायसेन्स दिये गये हैं । उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और इस सूचना को इकट्ठा करने में इतना समय और प्रयास लगेगा कि प्राप्त परिणाम उसके अनुरुप नहीं होंगे ।

(ग) और (घ) बेरोजगार पायलटों को नौकरी प्राप्त करने में सभी सम्भव सहायता दी जा रही है । उनकी सहायता के निमित्त निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:--

(1) सिविल विमानन विभाग में सहायक एयरोड्रोम अफसर के पद पर सीधी भर्ती के नियमों में संशोधन करके व्यावसायिक पायलट लायसेन्स को एक स्वीकार्य अर्हता के रूप में शामिल किया गया है;

(2) कृषि मन्त्रालय बेरोजगार व्यावसायिक पायलटों को फसलों पर फुहार सम्बन्धी कार्यों के लिए कन्वर्जन प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गया है ;

(3) इण्डियन एयर लाइन्स तथा एयर इण्डिया से कहा गया है कि जहां कहीं सम्भव हो, वे बेरोजगार व्यावसायिक पायलटों का इस्तेमाल करे ;

(4) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं सम्भव हो, वे व्यावसायिक पायलट लायसेंसधारियों को अपने यहां नौकरी देने के सम्बन्ध में विचार करें ।

करों का अपवंचन करने वाले व्यक्तियों/फर्मों को दिया संरक्षण वापस लेने का प्रस्ताव

9214. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों ने करों का अपवंचन करने वाले अथवा आयकर अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और फर्मों को विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए क्रयादेश दिये थे, ठेके दिये थे और उन्हें नीलामकर्ता नियुक्त किया था;

(ख) करों का अपवंचन करने वाले अथवा अन्य आर्थिक अपराध करने दलों को दिया संरक्षण वापस लेने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का नियमों में किस प्रकार के संशोधन करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रखा जाएगा।

कुछ राज्यों द्वारा राष्ट्रीय राजपथों के लिये बजट में उपबन्धित राशि से अधिक व्यय करना

9215. **श्री जाम्बुवंत धोते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें, जो राष्ट्रीय राजपथों के कार्य निष्पादन की ऐजेंसियां हैं, समय रहते अधिक धनराशि के प्रस्ताव प्रस्तुत किये बिना ही बजट में उपबन्धित धनराशियों से अधिक व्यय कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ग) क्या भारत के नियन्त्रक और महालेखाकार ने इस प्रकार के अतिरिक्त व्यय को रोकने के लिये राज्यों के महालेखाकारों को निदेश जारी किये थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां। विनियोग लेखों से इस बात का अवश्य पता चलता है कि कुछ मामलों में स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय हुआ है।

(ख) स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय को रोकने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिये भुगतान क्रिया विधि में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) जी नहीं।

शाहजहां रोड नई दिल्ली से दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

9216. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहां रोड से दिल्ली परिवहन निगम की नियमित बस सेवा न होने के कारण शाहजहां रोड और पन्डारा रोड, नई दिल्ली के निवासियों को बहुत असुविधा अनुभव करनी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के निवासियों को राहत देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी):(क) और (ख) पण्डारा रोड, शाहजहां रोड नये और पुराने डिजाइन पद्धति के अन्तर्गत चल रही कई सेवाओं से शहर की विभिन्न बस्तियों से जुड़ा हुआ है जो निम्न प्रकार है:——

पुराने मार्ग	**नये मार्ग**
5 जेड	21 एक्स
5 बी	26 एक्स
6 जेड	40 एक्स
12 जेड	45 एक्स
19	430 एक्स
12ए	502 एक्स
19 बी	503 एक्स
22 जेड	मिनी बस मार्ग
36	

चूंकि उपरोक्त सेवाओं से इस बस्ती के निवासियों की यथेष्ट रूप से सेवा हो रही है, अतः यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि शाहजहां रोड/पंडारा रोड से कोई नई सेवा शुरू की जाये।

तांबा अयस्क के उप-उत्पाद के रूप में चांदी और स्वर्ण का निकाला जाना

9217. **श्री के० मालन्ना :**
श्री राजदेव सिंह :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि इण्डियन कापर कम्पलैक्स घाटशिला (बिहार) में स्थित इसके बहुमूल्य धातु सन्यन्त्र में हिन्दुस्तान कापर लमिटेड द्वारा तांबा अयस्क से उप-उत्पाद के रूप में चांदी और सोना निकाला जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि० को इंडियन कापर कम्पलैक्स, घाटशिला (बिहार) में प्रति वर्ष 1000 कि० ग्राम चांदी तथा 10 कि० ग्राम स्वर्ण उत्पादन के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। सन्यन्त्र का बहुत कुछ निर्माण हो चुका है।

कुपोषण की समस्या

9218. **श्री राम हेडाऊ :**
श्री भगत राम राजा राम मनहर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुपोषण के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कुपोषण की समस्या की गम्भीरता को कम करने तथा राष्ट्र के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क): जी हां ।

(ख) देश में समय-समय पर जो नमूना सर्वेक्षण किये गये हैं उनके परिणामों से पता चलता है कि देश में खासकर निम्न समाजार्थिक वर्गों के छोटे बच्चों और गर्भवती तथा छोटे शिशुओं वाली महिलाओं में प्रोटीन कैलोरी की कमी के कारण अल्प विकास, विटामिन 'ए' की कमी, रक्त क्षीणता और 'बी' काम्पलेक्स की कमी आम तौर पर पाई जाती है ।

(ग) ऐसे वर्गों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिये भारत सरकार निम्नलिखित पोषण कार्यक्रम चला रही है:—

(1) प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए दिन में भोजन का कार्यक्रम ।

(2) स्कूल जाने की आयु से छोटी आयु के बच्चों, गर्भवती और शिशुओं वाली महिलाओं के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम ।

(3) अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम ।

(4) देहात के लोगों के लिए व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम ।

(5) बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण पैदा होने वाले अंधेपन की रोकथाम ।

(6) गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाओं और छोटे बच्चों में पौष्टिक आहार की कमी के कारण होने वाली रक्त क्षीणता की रोकथाम ।

इनके अतिरिक्त सरकार छोटी आयु के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराती महिलाओं के लिए एक योजना चलाने पर विचार कर रही है जिसे "बाल विकास की मिली-जुली सेवा योजना" कहा जायेगा ।

इस्पात संयंत्रों के जन-सम्पर्क विभाग के वरिष्ट अधिकारियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान न होना

9219. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राउरकेला इस्पात सन्यन्त्र तथा दुर्गापुर, बोकारो तथा भिलाई के इस्पात संयंत्रों के जन-सम्पर्क विभागों के अध्यक्षों को स्थानीय भाषाओं का ज्ञान है; और

(ख) क्या विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी स्थानीय भाषाएं नहीं जानते हैं ?

इस्पात और खान मत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जन-सम्पर्क विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में भी अधिकतर अधिकारी स्थानीय भाषायें जानते हैं ।

परिवार नियोजन शिक्षकों की नियुक्ति

9220. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रसार के लिए सरकार का परिवार नियोजन शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : परिवार नियोजन शिक्षक पहले ही विभिन्न स्तरों पर नियुक्त किये जा चुके हैं ।

कन्हार नदी पर पुल का निर्माण

9221. कुमारी कमला कुमारी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि यदि विन्धमगंज और कृषि के निकट पालामऊ (बिहार) और मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) की सीमा पर कन्हार नदी पर एक सड़क पुल बनाया जाता है तो इससे दिल्ली और कलकत्ता की बीच की दूरी लगभग 150 किलो मीटर कम हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार निकट भविष्य में इस योजना को लागू करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) प्रस्तावित पुल से मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 के साथ साथ इन दो स्थानों के बीच की दूरी की अपेक्षा दिल्ली और कलकत्ता के बीच की दूरी कम नहीं होगी । इसके अलावा उक्त पुल तैयार हो जाने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा और इसलिये यह राज्य के क्रियाकलापों के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में क्षय चिकित्सालयों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का क्षेत्र-कार्य

9222. कुमारी कमला कुमारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के क्षय चिकित्सालयों के क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड स्टाफ) अपने क्षेत्रों में कार्य के लिये कभी नहीं जाते हैं और डाक्टरों द्वारा उनकी ड्यूटी पर निगरानी नहीं रखी जाती ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार सभी प्रभारी डाक्टरों को अनुरोध करेगी कि वे अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के दैनिक कार्यक्रम की विवरणिका पेश करें ; और

(घ) क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा अपना कर्तव्य न किये जाने पर उच्च अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध कितनी बार कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) यह बात सही नहीं है । फील्ड स्टाफ अपने-अपने इलाकों में जाता रहता है और डाक्टर लोग उनके कार्य का उचित निरीक्षण करते रहते हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फील्ड स्टाफ अपने दैनिक काम-काज की डायरी रखते हैं जिसकी कार्यभारी डाक्टर नियमित रूप से जांच करता है ।

(घ) अपने कर्तव्य न करने पर तीन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई ।

Hindi Type Writers

9223. Shri Sudhakar Pandey: Will the Minister of **Labour** be pleased to state the action proposed to be taken to provide Hindi Type writers to those offices which still have English type writers in the Ministry?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Ministry of Labour (Main Sectt.) have an adequate number of Hindi typewriters. Instructions issued by the Ministry of Home Affairs regarding the purchase of Hindi typewriters have been brought to the notice of all attached and subordinate offices.

देश में 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' का मनाया जाना

9224. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अप्रैल, 1975 पूरे देश में 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' के रूप में मनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस दिन को मनाने के लिये सरकार ने क्या नई कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान 7 अप्रैल, को प्रवृत्त होने के उपलक्ष में इसका वार्षिकोत्सव प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है । हर साल इस समारोह के मूल विषय के रूप में ऐसे विषय को चुना जाता है जो जन स्वास्थ्य संबंधी तत्कालिक महत्व रखता हो । वर्ष 1975 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का मूल विषय 'चेचक की वापसी सीमा' था ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने रेडियो और टेलिविजन पर विशेष प्रसारण कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा राज्यों, मेडिकल कालेजों क्षेत्रीय प्रचार एककों आदि के लिये निर्देश पद तैयार करने सम्बंधी अपने सामान्य कार्यकलाप के अलावा अनेक फोल्डर, हैंड बिल, पोस्टर आदि बनाए और बांटे ।

चेनाई जयम नामक भारतीय मालवाहक जहाज के इंजन कक्ष में आग लगना

9225. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1975 के दूसरे सप्ताह में ईंधन लेने के लिये अगस्टा मिसिली में रुके हुये चेनाई जयम नामक भारतीय मालवाहक जहाज के इंजन कक्ष में आग लगी थी ;

(ख) इस के परिणामस्वरूप हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ग) इस घटना का पूरा ब्यौरा क्या है और क्या आग लगने के कारणों की इस बीच जांच पड़ताल की गई है ; और

(घ) इस जहाज की कुल कितनी क्षति हुई है और क्या पीड़ितों को इस बीच कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां। एम० वी० चेनाई जय्म जहाज में 12 अप्रैल, 1975 को अगस्त में आग लगने की दुर्घटना हुई।

(ख) आग लगने के फलस्वरूप पांचवें इंजीनियर श्री रवि राम चगन्ती की मृत्यु हो गई और चौथे इंजीनियर श्री टी० के० विश्वास झुलस गया। उसके स्वास्थ्य में संतोषजनक रूप से सुधार हो रहा है।

(ग) दुर्घटना का पूरा ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं है। परन्तु अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार यह पता चलता है कि जहाज में तेल डालते समय, टी० वी० ओ० चल रहे जनरेटर पर भारी मात्रा में तेल बहने के कारण आग लग गई।

(घ) जहाज में बिजली की तारों, मशीनरी, जनरेटर, आदि को काफी क्षति पहुंची है।

श्री रवि राम के वारिस निम्नलिखित मुआवजे के हकदार हैं :—

मुआवजा	35,520.00 रुपये
अन्य राशि	3,275.00 रुपये

उन्हें अपने हक में उत्तराधिकार पत्र प्राप्त करने के लिये अनुरोध किया गया है और भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

भारतीय सेना के 'मेजर जनरल' को सेवा-निवृत्त करना

9226. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय सेना में एक मेजर जनरल की ब्रिगेडियर रैंक में पदावनति की गई है, और उन्हें सेवा-निवृत्त होने की सलाह दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, यह समाचार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 9 अप्रैल, 1975 को छपा था, 12 अप्रैल, 1975 को नहीं।

(ख) यह समाचार सही नहीं था और 10 अप्रैल, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इसका खण्डन प्रकाशित हुआ था।

विशाखापत्तनम परियोजना

9227. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि प्रस्तावित विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के अन्तर्गत विस्थापित किये जाने वाले प्रत्येक परिवार के पुनर्वास के लिए दी जाने वाली स्वीकृत 500 रुपये की राशि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत कम है तथा इस से किसी भी प्रकार से वांछनीय उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह स्थिति सरकार के समक्ष इस अनुरोध के साथ रखी है कि सहायता की इस राशि को बढ़ा कर कम से कम प्रति परिवार 1000 रुपये कर दी जाये जो उचित है ; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है तथा वर्ष 1975–76 के लिए कितनी सहायता स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान के रूप में प्रत्येक परिवार को 500 रुपये तक दिए जायेंगे। शेष खर्च की पूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जानी है । यह राशि भूमि अर्जन के लिए दिए गए मुआवजे के अलावा है और सरकार के विचार में यह राशि बहुत कम नहीं है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि 500 रुपए प्रत्येक परिवार के हिसाब से प्राप्त केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रख कर पुनर्वास योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपने बजट में धन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 1975–76 के लिए स्वीकृत की जाने वाली वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि पुनर्वास कार्यक्रम कितने चरणों में पूरा किया जाएगा। इस बात पर इस समय राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

गोदावरी के जल का विशाखापत्तनम की ओर रुख बदलना

9228. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्र तथा वहां स्थापित होने वाले अन्य उद्योगों को पानी की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशाखापत्तनम की ओर गोदावरी के जल का रुख बदलने सम्बन्धी योजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि यह धनराशि ऋण के रूप में दी जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऋण की कोई किस्त दे दी है क्योंकि आंध्र प्रदेश ने केन्द्र के आश्वासन पर अपनी निधि में से आवश्यक प्रारम्भिक जांच कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अनुमान है कि 1971 के मूल्यों के आधार पर 11.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है जिसमें लागत के अनुमानों को अद्यतन किया जाएगा।

(ख), (ग) और (घ). जल प्रदाय योजना इस्पात कारखाने का ही अंग होगी। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की जांच कर लेने के पश्चात जल प्रदाय योजना का काम ठीक समय पर हाथ में लिया जाएगा। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में ये सभी ब्यौरे होंगे जैसे किस किस्म के पानी की कितनी आवश्यकता होगी, कार्य को कितने चरणों में पूरा किया जाएगा आदि आदि। इस योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति मिल जाने तथा इस काम के लिए धन की व्यवस्था हो जाने के पश्चात् ही इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

लोहे और इस्पात की कमी से प्रभावित हुए पंजाब के लघु एकक

9229. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 की पिछली तिमाही में लोहे और इस्पात की कमी ने पंजाब के लघु एककों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). पिछले कुछ महीनों में लोहे और इस्पात सामग्री की अधिकांश श्रेणियों की पर्याप्त उपलब्धि रही है । देश की अधिकांश राज्य लघु उद्योग निगमों (पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम भी शामिल है) के पास भी इस्पात का काफी स्टाक रहा है ।

भारत–अरब सांस्कृतिक परिषद्

9230. **श्री एन० आर० वेंकारिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदभावना को बहतर बनाने हेतु भारत-अरब सांस्कृतिक का गठन करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुपोषण के कारण मृत्यु

9231. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुपोषण के कारण प्रति वर्ष, राज्य-वार, कितनी मौतें होती हैं; और

(ख) देश में बच्चों की पोषण समस्या पर ध्यान देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) इसकी संख्या प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है जिसके अनेक कारण हैं।

(ख) सरकार पहले से ही देश में बच्चों की पोषण सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित पोषण कार्यक्रम चला रही है :—

1. प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
2. स्कूलपूर्व बच्चों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम ।
3. मुख्यत: देहाती इलाकों के बच्चों के लिए बालवाडी आहार कार्यक्रम ।
4. देहाती लोगों के लिए व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम ।
5. बच्चों में विटामिन ए की कमी से होने वाले अन्धेपन की रोकथाम ।
6. छोटे बच्चों में पोषण संबंधी रक्तक्षीणता की रोकथाम ।

इसके अतिरिक्त सरकार स्कूलपूर्व बच्चों के लिए 'समन्वित शिशु विकास सेवाओं' की एक योजना पर विचार कर रही है ।

गुजरात को इस्पात का ग्रावंटन

9232. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 की तुलना में वर्ष 1974-75 में गुजरात को इस्पात के ग्रावंटन ाई वृद्धि हुई है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है

इस्पात ग्रौर खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) ग्रौर (ख) लोहे ग्रौर इस्पात के वितरण की प्रणाली के ग्रन्तर्गत राज्यवार ग्रावंटन नहीं किये जाते हैं । ग्रवधि विशेष में उपलब्धि तथा इस्पात के ग्रन्ततः उपयोग जिसके लिए इसकी मांग की गई हो तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रख कर प्रेषण किये जाते हैं । इस समय लोहे ग्रौर इस्पात की ग्रधिकांश किस्में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

वर्ष 1973-74 ग्रौर 1974-75 के दौरान तकनीकी सहायता संबंधी कार्यक्रम

9233. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तकनीकी तथा ग्रार्थिक सहयोग कार्यक्रम के ग्रंतर्गत पंजीकृत की गई भारतीय विशेषज्ञता, प्रशिक्षण सुविधाग्रों ग्रौर उपकरण के लिये विकासशील देशों के ग्रनुरोधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ; ग्रौर

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973-74 ग्रौर 1974-75 के दौरान तकनीकी सहायता कार्यक्रम पर कितना खर्च किया गया ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) ग्रौर (ख) जी हां । इथोपिया, सोमालिया, गिनी, श्रीलंका, मालदीव, ग्रफगानिस्तान, यमन लोक जनगणराज्य, तंजानिया, गुयाना, फिजी, मरिशस, लाग्रोस ग्रादि देशों द्वारा भारतीय तकनीकी तथा ग्रार्थिक सहयोग कार्यक्रम के ग्रंतर्गत सहयोग के लिए ग्रनुरोधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

(ग) 1973-74 वर्ष के दौरान 1,16,48,089.00 रुपये खर्च हुए । 1974-75 के लिए बजट प्रावधान 3,34,55,000.00 रुपये का रहा । 1974-75 के वास्तविक खर्च के ग्रांकड़े ग्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

दंडकारण्य परियोजना के उमरकोट के जोनल प्रशासकों के विरुद्ध ग्रारोप

9234. **श्री ग्रनादि चरण दास** : क्या **पूर्ति ग्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य परियोजना के उमरकोट जोन के जोनल प्रशासक ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन ग्रौर पुनर्वास कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों को वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों से रोकने के लिए सरकारी शक्ति एवं बल का प्रयोग किया था ;

(ख) क्या कर्मचारियों के दोनों संगठनों ने भ्रष्ट प्रक्रियाग्रों तथा कर्मचारी विरोधी कार्यवाहियों के ग्रनेक ग्रारोप प्राधिकारियों के ध्यान में लाये थे ग्रौर उनकी जांच की गई थी ; ग्रौर

(ग) क्या इस अधिकारी ने उड़ीसा के हाल के मध्यावधि चुनाव में एक राजनीतिक दल के पक्ष में खुले रूप से प्रचार करके अपने आप को एक राजनैतिक दल के साथ सम्बद्ध किया और अब उक्त राजनैतिक दल के 'सेटलर' सदस्यों से यूनियन, जो कि 'इण्टक' से सम्बद्ध है, के सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगवाये हैं और यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ओ० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

बम्बई में छोटी माता नामक महामारी का फैलना

9235. **श्री शशि भूषण :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की गन्दी बस्तियों में गत तीन महीनों से छोटी माता नामक महामारी फैल रही है ;

(ख) क्या नगर निगम को इस महामारी के फैलने की जानकारी बिल्कुल नहीं है ; और

(ग) बम्बई शहर में कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं और इस महामारी की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) . बम्बई नगर निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में छोटी माता नामक बीमारी के महामारी के रूप में फैलने जैसी कोई बात नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता । छोटी माता को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र के महिला संबंधी मांगपत्र (चार्टर) का अनुसमर्थन करने की मांग

9236. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि संयुक्त राष्ट्र के महिला सम्बन्धी चार्टर का अनुसमर्थन करने के लिए मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) इस विषय में कोई संयुक्त राष्ट्र चार्टर नहीं है, तो भी संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्रों में स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने के विषय पर कई अभिसमय और प्रस्ताव पारित किए हैं ।

मेक्सिको में (19 जून से 2 जुलाई, 1975 तक) अंतर्राष्ट्रीय महिला दल के आगामी विश्व सम्मेलन में सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर लाने और लिंगभेद के कारण भेदभाव समाप्त करने के लिए, कार्यवाही की विश्व योजना तैयार की जाएगी ।

अपनी नीति के अनुरूप सरकार उन सभी कार्यवाहियों का सम न करेंगी ताकि महिलाओं के हित को बढ़ावा मिले ।

दक्षिण कनारा जिले में अड्या पड़ी सड़क का निर्माण

9237. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बाजपे हवाई अड्डे के समीप दक्षिण कनारा जिले के अड्या पड़ी गांव में एक सड़क की मंजूरी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो सड़क की मंजूरी किस वर्ष में दी गई थी तथा इस सड़क के निर्माण में अब तक कितना कार्य हुआ है ;

(ग) सड़क के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (घ) उक्त सड़क एक स्थानीय सड़क है और इसका रख-रखाव तालुका विकास बोर्ड मंगलौर कर रहा है। इसलिये संबंधित स्थानीय संस्था या राज्य सरकार इस कार्य से संबंधित है। अतएव उपर्युक्त सड़क मुख्य रूप से राज्य के क्रिया कलापों के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस सड़क के निर्माणार्थ 27,500 रुपये का अनुमान स्वीकृत किया गया था और यह कार्य ग्रामीण संचार कार्यक्रम के अंतर्गत 1961–63 के दौरान शुरू किया गया और पूरा किया गया। यह तार कोल नहीं की गई है।

खिड़की के शीशों का धूप के चश्मों में प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध

9238. श्री राम हेडाऊ : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेत्र सम्बन्धी शीशों का आयात करने पर प्रतिबन्ध है और बाजार में अधिकांश बिकने वाले धूप के चश्मे खिड़की के शीशों से बनाये जाते हैं जिससे शंका न करने वाले धूप का चश्मा पहनने वालों को गम्भीर हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो गांवों, छोटे कस्बों और नगरों में भी बच्चों के लिये धूप का चश्मों में खिड़की के शीशों के प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने, जो देश में अन्धेपन के बढ़ावे के लिये उत्तरदायी हैं, के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) नेत्र सम्बन्धी शीशों के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है। देश की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैसर्ज भारत आफथल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर को अपने उत्पादन के अतिरिक्त मोटे शीशों के आयात और वितरण के लिए 1 अप्रैल, 1974 से वितरक एजेंसी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तथापि लेन्सों के आयात की अनुमति नहीं है जिनमें बाइफोकल शीशे भी शामिल हैं।

सरकार को इस बात का पता नहीं हैं कि बाजार में बिकने वाले अधिकांश धूप के चश्में खिड़की के साधारण शीशे से बनाये जाते हैं। खिड़की के साधारण शीशे से बनाए गए धूप के चश्मों का प्रयोग उनके पहनने वालों की आंखों पर दबाव डालता है परन्तु उससे अन्धापन नहीं होता है।

खिड़की के साधारण शीशों से बने धूप के चश्मे पहनने के खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देने और उन्हें सतर्क करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार कार्यक्रम को तेज़ करने का विचार है।

प्रधान मंत्री को विदेशों से आमंत्रण

9239. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने प्रधान मंत्री को वर्ष 1975–76 के दौरान सरकारी तौर पर आमंत्रित किया है ; और

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा कौन-कौन से आमंत्रण पत्र स्वीकार किये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में प्रधान मंत्री को कई देशों से निमंत्रण मिले हैं । अतिथिय देशों से सलाह मशविरा करके इन निमंत्रणों का समुचित समय पर लाभ उठाया जाएगा । 1975–76 के दौरान यात्राओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

उधमपुर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य

9240. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उधमपुर हवाई अड्डे के निर्माण कार्य के बारे में इसके ठेकेदार ने उच्च न्यायालय में एक मुकद्दमा दायर किया था और क्या उच्च न्यायालय ने आयुक्त की नियुक्ति की थी जिसने घटनास्थल पर जाकर जांच करने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद उच्च-न्यायालय को एक रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) उक्त रिपोर्ट में आयुक्त द्वारा पता लगाये गये तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या आयुक्त ने यह भी पता लगाया है कि इस हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई है और इसमें परिवर्तन किए गए हैं ; और

(घ) क्या इस न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर दस्तावेजों में गड़बड़ी करने के लिए उत्तरदायी गेरिसन इंजीनियर को नौकरी से हटा दिया गया है अथवा उसकी वहां से बदली कर दी गई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) आयुक्त ने एम०ई०एस० के पदाधिकारियों द्वारा पेमाइस लेवल के रिकार्डों के रख-रखाव में कुछ विसंगतियों और अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है ।

(घ) चूंकि आयुक्त ने किसी व्यक्ति विशेष को इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है इसलिए गैरिसन इंजीनियर को नौकरी से हटाने अथवा स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठा । एक स्टाक जांच-अदालत बिठायी गयी है जो इस मामले की जांच-पड़ताल करेगी । संबंधित पदाधिकारी (पदाधिकारियों) के विरुद्ध कार्रवाई इस स्टाफ जांच-अदालत के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी ।

बंगलादेश को वित्तीय सहायता

9241. **श्री एन० आर० बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बंगलादेश को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; ग्रौर

(ग) वर्ष 1975–76 में कितनी सहायता देने की व्यवस्था की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) ग्रौर (ख) : एक विवरण जिसमें ग्रावश्यक सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) 1975–76 में दी जाने वाली सहायता के बारे में ग्रभी तक कोई निर्णय नहीं हुग्रा है ।

विवरण

1973-74 ग्रौर 1974-75 के दौरान बंगला देश को दी गई वचनबद्ध सहायता

(रुपये करोड़ों में)

(क) सरकार से सरकार को सहायता :		
1973–74	माल की सप्लाई के लिए 10 करोड़ रुपये का ऋण (मई 1973 में घोषित)	10.00
1974–75	(i) बंगलादेश में छटक में सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपया (मई, 1975 में घोषित)	5.00
	(ii) ग्रावश्यक वस्तुग्रों की सप्लाई के लिए 10 करोड़ रुपये का ग्रापात कालीन राहत ऋण (ग्रगस्त, 1974 में घोषित)	10.00
	योग (1973–75)	25.00
(ख) वाणिज्य ऋण :		
1973–74	(i) गाड़ियों, यानों, कपड़ा बनाने वाली मशीनरी, कृषि मशीनरी ग्रादि की सप्लाई के लिए 25 करोड़ रुपये का ग्राई० डी० बी० ग्राई० स्पेशल बैंक ऋण (मई, 1973 में घोषित)	25.00
	(ii) 15 करोड़ रुपये वस्त्र सप्लाई के लिये 365 दिन के लिए बैंक सुविधा	15.00
1974–75	(i) मुख्य सामान सप्लाई करने के लिए 10 करोड़ रुपये का भारत का ग्रौद्योगिक विकास बैंक का स्पेशल बैंक ऋण	10.00
	(ii) वस्त्र ग्रौर कृषि मशीनरी सप्लाई के लिए तथा एक तीन पहिए वाली गाड़ी की परियोजना की स्थापना के लिए 8 करोड़ रुपये का भारत का ग्रौद्योगिक विकास बैंक सामान्य निर्यात ऋण	8.00
	(iii) वस्त्र सप्लाई के लिए 5 करोड़ रुपये की बैंक सुविधा ।	5.00
	योग (1973–75)	63.00
	कुल योग (क ख)	88.00

पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण को प्राथमिकता दिया जाना

9242. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **नौवहन ग्रौर परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मार्च, 1966 की राष्ट्रीय विकास परिषद् की विशेष समिति द्वारा कुछ राज्यों/क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किये जाने के पश्चात् इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय

राजपथों की मंजूरी और निर्माण को चौथी और पांचवी पंच वर्षीय योजनाओं में कोई प्राथमिकता दी गई है,

(ख) यदि हां, तो पहाड़ी क्षत्रों के रुप में परिभाषित किये गये क्षत्रों में प्राथमिकता के आधार पर बनाये गये राष्ट्रीय राजपथों के नाम क्या है, और

(ग) उन राष्ट्रीय राजपथों के नाम क्या हैं जिनका पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नवीनतम हालात, के अनुसार चालू वित्तीय कठिनाई की दृष्टि से कुछ समय के लिये मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों में नई सड़कों को शामिल करने का कोई विचार नहीं है ।

तेल तथा उर्वरकों के संबंध में पेरिस में हुई बैठक के भारत के प्रतिनिधि

9243. **श्री बनमाली बाब** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या तेल के ऊंचे मूल्य तथा उर्वरकों के बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या के समाधान के लिए पेरिस में हुई बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के अधिकारी भी सम्मिलित थे ;

(ख) यदि हां, तो विश्व ऊर्जा संकट के समाधान हेतु भारत के प्रतिनिधियों ने क्या विचार रखे ;

(ग) बैठक के मुख्यत: क्या परिणाम निकले ; और

(घ) पेरिस बैठक में हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :(क) जी हां ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल का यह निश्चय था कि मंत्रि-स्तर पर होने वाली प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची में तेल, कच्छा माल, खाद्य पदार्थ और उर्वरक ; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली और विकासशील देशों की क्रय शक्ति की समस्याएं और अत्यंत : गंभीर रुप से प्रभावित देशों की समस्याएं शामिल की जाना चाहिए ।

(ग) खेद की बात है कि तीसरी बैठक में सहमत कार्यसूची तैयार नहीं की जा सकी और मीटिंग स्थगित हो गई ।

(घ) अत्यंत गंभीर रुप से प्रभावित देशों के सम्मुख जिनमें भारत शामिल है, उत्कट समस्याओं के तत्काल समाधान की आवश्यकता को सभी भागीदार देशों ने स्वीकार किया और वह सभी मसौदा कार्यसूचियों में सम्मिलित कर ली गई जो कि तैयारी बैठक के दौरान विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी ।

भारत में प्रत्येक सौ श्रमिकों पर कारखाना दुर्घटनाएं

9244. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री ईश्वर चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत में प्रत्येक 100 श्रमिकों पर कारखानों की दुर्घटनाओं की दर का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, जापान और सोवियत संघ में दुर्घटनाओं के संगत आंकड़े क्या हैं ।

(ग) क्या औद्योगिक दुर्घटनाओं की ऊंची दर के कारण देश को भारी नुक्सान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) श्रम ब्यूरो के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत चालू कारखानों में नियोजित प्रति सौ श्रमिकों पर दुर्घटनाओं के कारण 1970 से 1972 के दौरान चोटों की अखिल भारत आवृत्ति दरें नीचे की गई हैं :—

प्रति 100 श्रमिकों पर आवृत्ति दर

चोटों का स्वरूप	1970	1971 (अ०)*	1972 (अ) †
(1)	(2)	(3)	(4)
घातक .	0.01	0.02	0.02
गैर-घातक .	6.74	7.65	6.44
जोड़ . . .	6.75	7.58	6.46

स्रोत : कारखाना अधिनियम, 1948 अधीन वार्षिक विवरणियां ।

(अ) †अंतिम

*मणिपुर के सम्बन्ध में सूचना सम्मिलित नहीं है ।

† केरल और मणिपुर के सम्बन्ध में सूचना सम्मिलित नहीं है ।

1973 और 1974 वर्षों के लिए इसी प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है

(ख) 1970–72 वर्षों के दौरान निर्माणकारी उद्योगों के लिए विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से परिकलित, घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं की दरें, निम्न प्रकार थी :—

देश	कोड	1970	1971	1972
1. यूनाइटेड किंगडम	I/सी	0.04	0.04	0.04
2. संयुक्त राज्य .	I/डी	0.03	—	—
3. पश्चिमी जर्मनी	II/ए	0.18	0.19	0.18

देश	कोड	1970	1971	1972
4. जापान .	I/डी	0.04	0.03	0.03
5. भारत . .	I/सी	0.14	0.19†	0.15†

कोड :—

(i) प्रतिवेदन दुर्घटनाएं ए. प्रति तीन सौ दिनों के प्रति 1000 श्रम घंटा दरें ।

(ii) प्रतिकृत दुर्घटनाएं सी. नियोजित किए गए प्रति 1000 व्यक्तिय दरें (औसत संख्याएं) ।

डी. काम किए गए प्रति दस लाख श्रम घंटा दरें ।

†अनंतिम

–उपलब्ध नहीं ।

सोवियत संघ के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) कुल हानि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत निर्मित राज्य कारखाना नियमों में निर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है लगातार पुनरीक्षित किया जा रहा है जहां कहीं आवश्यक होता है अभिवर्धित और संशोधित किया जा रहा है । राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के माध्यम से सुरक्षा सम्बन्धी परीक्षण और शिक्षा भी दी जा रही है ।

भारत द्वारा हाइड्रोजन बम का विस्फोट

9245. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा हाइड्रोजन बम का विस्फोट किये जाने की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो यह विस्फोट कब तक किये जाने की आशा है ; और

(ग) इस कार्य पर सरकार कुल कितनी राशि खर्च करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बिहार में भू-सर्वेक्षण

9246. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में (दक्षिण बिहार को छोड़ कर) भू-सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क)) जी, हां

(ख) गंगा के उत्तर में बिहार के इलाकों में गहराई तक गंगा की जलोढ़ मिट्टी पायी जाती है, इस लिए उनमें कोई उपयोगी खनिज भंडार नहीं है । भारतीय भू-विज्ञान सवक्षण संस्था द्वारा चम्पारन जिले के तराई क्षेत्र में शिवालिक पर्वतमाला के कुछ भाग में भू-वैज्ञानिक मानचित्रण तथा उत्तरी बिहार के लगभग 24,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में भूतल जल के लिए भूजलीय खोज कार्य किया गया है । संस्था ने हाल ही में उत्तरी बिहार के जलोढ़ इलाके में चतुर्धातुक बनावट के मानचित्रण का काम भी आरम्भ कर दिया है ।

Invitations to Prime Minister from Interational Women's Organisations abroad

9247. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister of India has been invited by International Women's Organisations of some foreign countries and the U.N.O. at various places on the occasion of the International Women's Year; and

(b) if so, the names of the countries she proposes to visit with a view to participating in the functions to be organised on the occasion of the International Women's Year, indicating the names of such functions?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) and (b). The Prime Minister has received invitation from diverse societies and organisations abroad to participate in their International Women's Year celebrations. As yet she has no plan to go abroad for any programme being organised on this occasion.

भूगर्भीय और पर्यावरण संबंधी युद्ध

9248. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूगर्भीय और पर्यावरण संबंधी युद्ध के बारे में भारत ने कोई ठोस प्रस्ताव रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में अलग-थलग डालने के लिये चीन द्वारा निरन्तर प्रयास

9249. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन द्वारा अब भी दक्षिण पूर्व एशिया में भारत को अलग थलग करने के प्रयास निरन्तर जारी हैं;

(ख) क्या चीन भारत विरोधी गतिविधियों के लिये नेपाल तथा अन्य देशों का उपयोग कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसका मुकाबला करने के लिये भारत द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) चीन द्वारा अब भारत विरोधी गतिविधियां तेज किये जाने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ङ) क्या समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है कि चीन भारत के साथ संबंध स्थापित करने को तैयार नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत के प्रति चीन के रुख के बारे में सरकार को जानकारी है जो कि उनके भारत विरोधी प्रचार से परिलक्षित होता है ।

(ग) परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा यथावश्यकता कदम उठाये जाते हैं।

(घ) से (च) चीन ने भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने की भारत की सुविक्षित इच्छा और इस नीति के अनुसरण में सरकार द्वारा किये गए ठोस कार्यों का उत्तर न देना ही पसन्द किया है ।

भारत–अमरीका संयुक्त आयोग को भंग करना

9250. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने भारत-अमरीका आयोग को भंग करना स्वीकार कर लिया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारत को आरम्भ से ही इस आयोग के गठन से कोई लाभ नहीं पहुंचा है ;

(ग) यदि हां, तो यह बात कहां तक सही है; और

(घ) यह आयोग संभवत: कब भंग हो जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग गठित करने के समझौते पर 28 अक्तूबर, 1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे ।

तब से इस संयुक्त आयोग के अधीन गठित किए गए तीन उप आयोगों की बैठकें वाशिंगटन और दिल्ली में हुई हैं और ऐसे व्यवहारिक कार्यक्रमों का अध्ययन किया जा रहा है जिन पर काम किया जा सके ।

संयुक्त आयोग की पहली बैठक अभी तक नहीं हुई है ।

भारत और क्यूबा के बीच व्यापार सम्बन्ध

9251. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाना में श्री वाई० बी० चव्हाण और क्यूबा सरकार के प्रतिनिधियों

के बीच मार्च में हुई वार्ता के दौरान भारत और क्यूबा के बीच व्यापार संबंधों के विस्तार के लिए सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनुवर्त्ती कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो भारत-क्यूबा व्यापार के विकास को मूर्त्त रूप प्रदान करने के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार गतिविधियों के किसी आदान-प्रदान की योजना बनाई गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) हवाना में, हमारे विदेश मंत्री तथा क्यूबा के नेताओं के बीच विविध विस्तृत बातचीत में भारत और क्यूबा के बीच सहयोग का सामान्य उल्लेख तो हुआ था, लेकिन भारत-क्यूबाई व्यापार के विषय में खास-तौर पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ था ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलादेश को सहायता

9252. **श्री लालजी भाई :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के स्वाधीन होने के बाद से अब तक भारत सरकार ने वहां की सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कितनी धनराशि की सहायता की है;

(ख) इस सहायता की क्या शर्तें थीं; और

(ग) बंगलादेश को यह धनराशि किन-किन कामों को करने के लिए दी गई थी ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9678/75]

अरब सागर में तेल के कुएं

9253. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब सागर, अर्थात बम्बई हाई में खोदे जा रहे तेल के कुओं की कानूनी स्थिति क्या है;

(ख) भारत हिंद महासागर में पूरे अधिकार के रूप में समुद्र-तट से कितनी दूरी तक कुऐं खोदने का दावा कर सकता है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र में उठाये जा रहे समुद्र के घाटों सम्बन्धी विवाद के प्रति भारत का क्या रवैया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) बोम्बे हाई में खोदे जाने वाले तेल के कुऐं भारत की महाद्वीपीय सीमा में ही हैं । 1956 के जनेवा में महाद्वीपीय सीमा पर जो अभिसमय हुआ था उसके अनुसार किसी भी तटवर्ती देश को

अपने महाद्वीपीय सीमा के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने एवं उनका उपयोग करने का एक छत्र प्रभुसत्तात्मक अधिकार है । 30 अगस्त, 1955 को भारत के राष्ट्रपति ने एक उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की थी कि भारत को अपने प्रदेश के मन्निकर तथा प्रादेशिक तथा जल क्षेत्र से आगे के महाद्वीपीय शैल्फ़ के समुद्र तल और अवभूमि पर पूर्ण एवं एकान्तिक प्रभुसत्तात्मक अधिकार है और सदैव रहा है ।

(ग) समुद्री कानून पर संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन का तीसरा सत्र इन दिनों जनेवा में चल रहा है जिस का उद्देश्य महाद्वीपीय सीमा सहित समुद्री कानून की सभी समस्याओं के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है । भारत इस मत को मानता है कि यह द्वीपीय शैल्फ़ चूंकि किसी तटवर्ती देश की भूसीमा का स्वाभाविक विस्तारण ही होता है, अतः इसका विस्तार इसके बाह्य किनारे तक होना चाहिए जहां वह अगाध मैदान या समुद्र तल से मिलता है ।

भारत-ईराक संयुक्त आर्थिक आयोग

9254. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईराक के साथ बनाया गया संयुक्त आर्थिक आयोग भारत के लिये हित-कारी रहा है;

(ख) आयोग के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इस आयोग की कितनी बैठकें हुई हैं और अब तक इस ने किन योजनाओं और परियोजनाओं को आरम्भ किया है; और

(ग) इसकी भावी योजनायें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मार्च 1974 में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए गठित भारत-ईराक संयुक्त आयोग की पहली बैठक जनवरी, 1975 में बगदाद में हुई थी । इस बैठक में पेट्रोलियम और पेट्रोकैमिकल्स, उद्योग, कृषि और सिंचाई, व्यापार, संस्कृति और तकनीकी सहयोग तथा परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में कई परियोजनाओं के बारे में विचार विमर्श हुआ था । इस संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक अगले वर्ष के आरम्भ में भारत में होने वाली है जब इसके कार्य की प्रगति पर विचार किया जाएगा ।

बागडोगरा एयरपोर्ट रोड पर रक्षा कर्मचारियों द्वारा दुकानें लूटना

9255. **श्री शरद यादव : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1973 में बागडोगरा एयरपोर्ट रोड पर कुछ रक्षा कर्मचारियों द्वारा बहुत सी दुकानें लूटी गई थीं;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई थी ;

(ग) क्या इन घटनाओं से संबद्ध रक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इन गरीब दुकानदारों को मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) 28 जुलाई, 1973 की रात को बागडोगरा वायुसेना स्टेशन के परिसर के एकदम बाहर दंगे की एक घटना हो गयी जिसमें बागडोगरा वायुसेना स्टेशन के कुछ वायुसैनिक तथा बाजार के सिविलियन लोग शामिल थे। इस दंगे में कुछ दुकानें लूट ली गयीं और कुछ को आग लगा दी गयी। इस घटना की परिस्थितियों की जांच के लिए पूर्वी एयर कमान ने एक जांच-अदालत और फिर एक अतिरिक्त जांच-अदालत बिठायी। इन अदालतों ने किसी भी रक्षा कार्मिक को लूट अथवा आगजनी का दोषी नहीं पाया लेकिन कुछ वायुसैनिकों को भूलचूकों का दोषी पाया जिसके लिए उन्हें दण्डित किया जा चुका है। चूंकि दुकानों के लूटे जाने और उनको आग लगा दिये जाने के लिए रक्षा कार्मिक जिम्मेदार नहीं थे, इसलिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दुकानदारों को क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन

9256. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन, स्थान, अवधि और सम्मेलन में चर्चा के विषयों सहित तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रमण्डीय शासनाध्यक्षों की बैठक 29 अप्रैल से 6 मई 1975 तक किंगस्टन जमैका में हुई। सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें प्रमुख निम्नलिखित थे—राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र में कार्यमूलक सहयोग, दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति, विश्व व्यापार, वित्त एवं विकास संबंधी मामले, हिन्द-चीन की हाल की घटनाएं तथा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति।

Infiltration by Pakistan Army Personnel in Poonch and other areas of Kashmir

9257. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Pakistan army personnel infiltrated in the Poonch and other areas of Kashmir and opened fire at the Indian army during the last week of March, 1975;

(b) whether Pakistanis continue to indulge in such provocative acts; and

(c) if so, the action being taken by India in this regard?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) and (c). Stray incidents of firing and intrusions across the Line of Control by Pakistani forces are occasionally reported. These incidents are sought to be resolved or prevented through flag meetings between local commanders. Our security forces are maintaining constant vigilance on the borders and have orders to take firm action where necessary.

भारत को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के बारे में बातचीत

9258. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नुरुल हुडा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन का ध्यान 4 मार्च, 1975 के 'न्यूयार्क टाइम्स' द्वारा प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत कई प्रकार के अमरीकी हथियार खरीदने के लिये चुपचाप बातचीत कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । सरकार ने यह रिपोर्ट देखी है ।

(ख) इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है ।

बंगलादेश के लोगों का आसाम में प्रवेश

9259. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री डी० के० पण्डा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बंगला देश से बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हजारों लोगों ने आसाम में प्रवेश किया है तथा वे विभिन्न क्षेत्रों में चले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) वर्ष 1974 के दौरान तथा इस वर्ष के पहले दो महीनों में बंगलादेश के 13966 नागरिकों का, जो अवैध रूप से आसाम में घुस आये थे, पता चला था और उन्हें बंगलादेश वापस भेज दिया गया था ।

कनाडा में भारतीयों को भयभीत किया जाना

9260. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री अर्जुन सेठी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन : श्री राम सहाय पांडे :
सरदार महेन्द्र सिंह गिल : श्री बनमाली बाबू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन का ध्यान 13 अप्रैल, 1975 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "व्हाइट टैरर स्ट्राइक्स इंडियन्स इन कनाडा" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) कनाडा स्थित हमारे हाई कमिश्नर और वेनकुवर स्थित हमारे प्रधान कौंसिल ने इस घटना के बारे में पूछताछ की है और कनाडा के सम्बद्ध अधिकारियों के साथ ऐसे तरीके अपनाने पर बातचीत की है जिससे कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाऐं न होने पावें।

जनकपुरी, नई दिल्ली में मच्छरों के प्रकोप का सामना करने के लिए कार्यवाही करना

9261. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री एम० दीवीकन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मच्छरों के गम्भीर प्रकोप का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिस के परिणाम-स्वरूप जनकपुरी कालोनी, नई दिल्ली में अनेक बीमारियां फैल सकतीं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): जनकपुरी कालोनी में नालियों को गलत ढंग से बिछाने के कारण वहां मच्छर पैदा करने वाली स्थितियां हो गई हैं। दिल्ली नगर निगम से इस कालोनी में लारवा-रोधी कार्यों को तेज करने के लिए अनुरोध किया गया है।

Fixation of Uniform Wages for Bidi Workers

9262. Dr. Laxminarayan Pandeya:
Shri Ramavtar Shastri:

Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce uniform rates of wages for the bidi workers in the country;

(b) whether the rates of wages of the bidi workers vary in different States at present; and

(c) if so, what action is proposed to be taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c). The question of narrowing down disparities in the wages of bidi workers in different States has been under examination for some time. A meeting of the State Labour Ministers convened in January, 1973 had made recommendations for increasing the then wages of bidi workers to Rs. 3.25 per day with variation upto Rs. 3.50 for rolling 1000 bidis of standard size. The Labour Ministers' Conference held at New Delhi on September 27-28, 1974, has recommended that the wages be further revised within the range of Rs. 4.50 and Rs. 5.00 for rolling 1000 bidis without prejudice to higher wages already obtaining at some places, and that the new rate be brought into effect as early as possible and in any case not later than the 1st May, 1975. The State Governments have been requested to implement the above recommendation.

Enquiry into Dispute of Construction of Udhampur Aerodrome

9263. Dr. Laxminarayan Pandeyas
Shri Mahadeepak Singh Shakya:
Shri Lalji Bhai:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether charges of improper maintenance of documents pertaining to the construction of Udhampur aerodrome, tampering with those documents and

bungling against the Garrison Engineer of Udhampur have been proved and for this reason, the District and Sessions Judge, Udhampur has held the above official record as unreliable;

(b) whether the said engineer was suspended keeping in view the gravity of the charges proved against him and if not, the reasons therefor; and

(c) the justification for instituting staff court enquiry by the officers of the same department againts the aforesaid engineer for the charges mentioned above even after the enquiry by the District and Sessions Judge, Udhampur and a report in this respect having been submitted to the High Court and the time by which this enquiry is likely to be completed?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). The Commissioner appointed by the J&K High Court has pointed out certain discrepancies and irregularities in the maintenance of measurement/level records. As the Commissioner has not held any particular person responsible for the irregularities, the question of suspension of the Garrison Engineer has not arisen. A Staff Court of Inquiry has been set up and it will look into the matter. Action to be taken against official(s) cocerned will depend upon the findings of the Staff Court of Inquiry which is necessary for fixing responsibility. The Court of Enquiry is headed by an Air Vice Marshal and will consist of 3 other Air Force Officers and 2 Engineer Officers not connected with the particular project. The Staff Court has been ordered to assemble on 12th May, 1975.

शिपयार्डों की स्थापना

9254. श्री डी० के० पंडा :
श्री एच० एन० मुकर्जी :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपयार्ड स्थापना के बारे में विदेशी सलाहकारों का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) सभी तीन सलाहकारों से रिपोर्ट हाल ही प्राप्त हुई है और इस समय संवीक्षाधीन है ।

बिहार और देश के अन्य राज्यों में 'काला-अजार' का फैलना

9265. श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री राम गोपाल रेड्डी :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपय करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में 'काला-अजार' की महामारी के फैलने के समाचार की ओर दिलाया गया है और यह रोग अन्य राज्यों में भी फैल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके फैलने से रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां । बिहार के कुछ जिलों में काला-अज़ार का रोग होने के समाचार मिले हैं । राज्य सरकार से कहा गया है कि वह उन इलाकों में कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करें जहां रोग फैला हुआ है ताकि बालूमक्खियों द्वारा यह रोग आगे न फैलाया जा सके । इस रोग के इलाज के लिए उपयुक्त औषधियों की सप्लाई में सुधार करने की दिशा में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

सीमा सड़कों का निर्माण/मरम्मत और रक्षा मंत्रालय

9266. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सीमा सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) केन्द्रीय अथवा राज्य लोक निर्माण विभाग, जहां सीमा सड़कें विद्यमान हैं की आने वाली लागत की सड़क निर्माण और रखरखाव पर तुलना में पूंजीगत (अनावर्तक) और राजस्व (आवर्तक) लागत कितनी है: और

(ग) दोनों प्रकार की एजेंसियों में समानता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में नये निर्माण/सुधार के लिए जो सड़कें/मार्ग शामिल किये गये हैं उनकी कुल लम्बाई 13,809 किलोमीटर है और अनुरक्षा के लिए शामिल सड़कों/मार्गों की लम्बाई 10,340 किलोमीटर है ।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण और अनुरक्षा की लागत की जांच करने के लिए 1970 में नियुक्त तकनीकी और वित्त विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सीमा सड़क संगठन की लागतों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/राज्य लोक निर्माण विभागों की लागत के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया था । समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सीमा सड़क संगठन द्वारा बनवायी गई सड़कों की लागत की लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्मित सड़कों की लागत से तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि मूलतः सीमा सड़क संगठन जिन क्षेत्रों और स्थितियों में कार्य करता है वे अन्य से बिल्कुल भिन्न होते हैं । उदाहरणतया सीमा सड़क संगठन मुख्यतः पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करता है जहां कोई ठेकेदार नहीं मिलता, जबकि लोक निर्माण विभाग आमतौर पर ठेकेदारों के जरिये काम करता है । इसके अलावा, पहाड़ी सड़कों की लागत अनेक जटिल पहलुओं पर निर्भर करती है जो अलग-अलग सड़कों और अलग-अलग एजेंसियों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न होते हैं ।

(ग) सीमा सड़क संगठन विकट और दूरस्थ क्षेत्रों में काम करता है जहां सामान्यतः कोई अन्य एजेंन्सी काम नहीं करती है । इसके अलावा, सीमा सड़क संगठन के कार्य में कुशलता, तेजी और विश्वस्नीयता होती है । अतः विभिन्न एजेंसियों की लागत में समानता लाना व्यावहारिक नहीं है ।

खेतड़ी ताम्बा परियोजना के चेयरमैन के कार्यालय का कलकत्ता को स्थानान्तरण

9267. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की खेतड़ी ताम्बा परियोजना के चेयरमैन ने अपना कार्यालय कलकत्ता को स्थानान्तरित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसका खेतड़ी ताम्बा खानों के प्रबन्ध पर प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जी हां। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा भारतीय ताम्र निगम लि० बिहार का प्रबन्ध ग्रहण करने के बाद अपना पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय, जून 1972 में कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिया था। हिन्दुस्तान कापर लि० के मुख्यालय को कलकत्ता इसलिए स्थानान्तरित किया गया था ताकि वह चार राज्यों में व्याप्त अपनी विभिन्न परियोजनाओं का भली भांति प्रबन्ध कर सकें।

मख्यालय कलकत्ता बदल देने का खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रबन्ध पर कोई प्रतिकूल असर नहीं हुआ है ।

नई मजूरी प्रणाली

9268. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री नवल टाटा ने नई मजूरी प्रणाली का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) एक नई मजूरी नीति की आवश्यकता के बारे में श्री नवल टाटा के विचार समय-समय पर समाचार पत्रों में छपते रहे हैं। राष्ट्रीय मजूरी नीति और एक युक्तियुक्त मजूरी संबंधी ढांचे की आवश्यकता को भली भांति स्वीकार किया गया है और इस दिशा में समुचित उपाय अपनाने के सम्बन्ध में सरकार गौर करती चली आ रही है।

राज्यों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना

9269. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सहयोग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की सहायता से विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने औषधालय कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) राज्यों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोलने के बारे में केन्द्र की कोई योजना नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली में आयोजित खनिक अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस

9270. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में नई दिल्ली में खनिक अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, इस कांग्रेस का क्या प्रभाव पड़ा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां । नई दिल्ली में 42वीं खनिक अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन 23 से 27 मार्च, 75 तक किया गया ।

(ख) इस कांग्रेस ने, जिसका आयोजन खनिक अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तथा आतिथ्य भारतीय राष्ट्रीय खान कामगार संघ द्वारा किया गया, कई अनुशंसायें की । खनिज नीति समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय टिन परिषद् तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में कामगारों का प्रतिनिधित्व और 'अंकटड' में सहभागिता;

(2) एक अन्तर्राष्ट्रीय तांबा परिषद् की स्थापना;

(3) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्थाओं द्वारा खान कामगारों के लिए समुचित सुरक्षा, अच्छी काम की दशाओं तथा अधिकाधिक कल्याण कार्यों के लिए किए गए अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और अनुशंसाओं का परिपालन;

(4) खनिज संसाधनों के संरक्षण तथा संभावित विकल्पों के विकास के बारे में शीघ्र अध्ययन;

(5) खनिकों द्वारा उत्पादित यूरेनियम का केवल शान्तिपूर्ण कार्यों में उपयोग;

(6) यूरेनियम खानों के कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था;

(7) यूरेनियम उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी समस्याओं की जांच के लिए एक विशेष यूरेनियम समिति का गठन ।

कांग्रेस द्वारा पारित कई प्रस्तावों में चली तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के श्रमिक वर्ग के हितों की जोरदार हिमायत की गई ।

ऊर्जा तथा कच्ची माल सम्बन्धी नीति प्रस्ताव में कांग्रेस में तेल की खपत वाले सभी देशों की सरकारों से कहा कि वे ऊर्जा नीति पर विशेष ध्यान दें और यह अनुशंसा की कि कोयले तथा भूरे कोयले जैसे देशी ऊर्जा स्रोतों को दीर्घकाल में निश्चित तथा पर्याप्त सप्लाई का आधार बनाएं। प्रस्ताव में तेल उत्पादक और तेल उपभोक्ता दोनों ही प्रकार के देशों से अपील की गई कि वे ऊर्जा बाजार को स्थिर रखें और ऐसे टकरावों से बचें जो श्रमिक वर्ग के हितों पर कुठाराघात करते हों।

बैठकों में हुई चर्चा और पारित प्रस्तावों से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं को बाहरी देशों के खनि कामगारों की समस्याओं तथा उनके समाधान के संबंध में सीधी जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी तथा दृष्टिकोण की इस व्यापकता से भारतीय खान कामगारों या उनके हितों सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में उनका प्रभावी सहयोग मिलेगा।

भारतीय नौवहन निगम का पुनर्गठन

9271. **श्री के० एम० मधुकर :**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय नौवहन निगम के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें तथा उद्देश्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन लेबर कांफ्रेन्स में नियोक्ताओं और श्रमिकों के ग्रुपों का गठन

9272. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित इण्डियन लेबर कांफ्रेंस की तिथि के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या कांफ्रेंस में नियोक्ताओं और श्रमिकों के ग्रुपों के गठन में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) और (ग) : यह मामला विचाराधीन है।

कीनिया, यूगांडा, टांगानिका और जंजीबार (तंजानिया) से भारतीय राष्ट्रिकों का स्वदेश लौटना

9273. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीनिया, युगांडा, टांगानिका और जंजीबार (तंजानिया) में इन देशों के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या थी;

(ख) उपर्युक्त भारतीय नागरिकों में से कितने व्यक्तियों ने इन नये अफ्रीकी देशों की नागरिकता मांगी तथा कितने व्यक्तियों ने ब्रिटिश पासपोर्ट मांगे तथा कितने व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीयता मांगी ;

(ग) उपर्युक्त भारतीयों में से उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो भारत लौट आये हैं और देश में स्थायी रूप से बस गये हैं ;

(घ) क्या इन देशों में अब भी कुछ भारतीय रह गये हैं तथा क्या वे वहीं की नागरिकता स्वीकार करेंगे अथवा भारत लौट आयेंगे ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) से (ङ) हमारी सूचना के अनुसार 1974 वर्ष के अंत में कीनिया में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या 5,000 थी, उगांडा में 180 और तंजानिया में 4,000 इनमें से अधिकांश तकनीकी अथवा व्यावसायिक काम धंधें में लगे हैं और कुछ व्यापार करते हैं । जहां तक उन भारतीय राष्ट्रिकों का प्रश्न है जो उन देशों के स्वतंत्र होने के समय वहां रहते थे और जो या तो भारत लौट आए हैं या दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली है । ऐसे लोगों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है ।

अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल के कार्य की दशा

9274. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मालूम है कि अहमदाबाद स्थित सविलि अस्पताल का कार्यकरण सर्वथा असन्तोषजनक है ;

(ख) क्या उक्त अस्पताल में उपलब्ध उपकरण तथा अन्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं अपर्याप्त है ;

(ग) क्या वहां की नर्सें तथा वार्ड वौयज़ बड़े-बड़े आपरेशनों के बीच अनुपस्थित रहते हैं अथवा अपने कार्य-स्थलों से चले जाते हैं ;

(घ) क्या उक्त अस्पताल में अवैतनिक रूप से काम कर रहे कुछ प्रसिद्ध डाक्टर तथा सर्जन इस अस्पताल के कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक कार्यकरण के स्तर में गिरावट के कारण निरन्तर निराश तथा दु:खी होते जाते रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार उक्त सिविल अस्पताल में इस स्थिति को ठीक करने तथा वहां फिर से कुशलता तथा अनुशासन लाने के लिये शीघ्र ही क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही भेज दी जायेगी ।

इस्पात वितरण व्यवस्था

9275. **श्री के० मालन्ना : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पूर्व स्टील अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा लागू पुनरीक्षित इस्पात वितरण व्यवस्था से समुचे देश में उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलना आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह लाभ किस प्रकार का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सम्भवत: अभिप्राय संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा सितम्बर, 1974 में इस्पात के वितरण के लिए बनाई गई संशोधित प्रणाली से है। मुख्यतया उपभोक्ता केन्द्रों में इस्पात की अधिकतर श्रेणियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि इस्पात प्राप्त करने की दुष्कर प्रणाली की समाप्ति और परिणामस्वरुप उपभोक्ता ओंके पास मालसूची में आई कमी और खुले बाजार में इस्पात के मूल्यों से गिरावट आने से पता चलता है कि संशोधित वितरण प्रणाली इस्पात उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद रही है।

स्वेज नहर को नौवहन के लिये खोलना

9276. **श्री के० मालन्ना :**
श्री एन० ई० होरो :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र ने स्वेज नहर को नौवहन के लिये खोलने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो मिश्र द्वारा इस बारे में रखी गई शर्तों संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :(क) जी हां।

(ख) नहर संचालन के नियम और शर्तें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम

9277. **श्री के० मालन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन--भारत सरकार मच्छर उन्मूलन परियोजना का दूसरा चरण 30 जून, 1975 को आरम्भ होना है ;

(ख) इस परियोजना के कार्य में आरम्भ से अब तक कितनी प्रगति हुई तथा भारत को संयुक्त राज्य अमरीका की पी० एल० 480 योजना के माध्यम से कितनी सहायता प्राप्त हुई ; और

(ग) वर्तमान कार्य प्रणाली के अधीन मच्छर उन्मूलन परियोजना की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) वर्तमान करार 30 जून, 1975 को समाप्त हो जायेगा।

(ख) और (ग) : इस यूनिट को चलाने का लक्ष्य यह है कि क्या उत्पत्ति तकनीकों का इस्तेमाल कर मच्छरों पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। इस परियोजना में अध्ययन के लिये जिन तीन प्रजातियों को चुना गया है वे हैं—(1) क्यूलेक्स फ़न्टीगन्स जो भारत के अधिकांश भागों में फ़ाइलेरिया रोग का माना हुआ मच्छर है, (2) ईडीज ईजिप्टाई जो भारत के अधिकतर शहरों में पाये जाने वाला माना हुआ शहरी मच्छर है और डेंगू तथा चिकुनगुन्य विषाणुओं का वाहक है और (3) एनोफ़िलीज स्टिफ़ेंसाई, जो भारत में मलेरिया फ़ैलाने वाले रोग वाहक मच्छरों में से एक है, में डी० डी० टी० और अन्य सामान्य कीटनाशक दवाइयों को हजम करने की शक्ति पैदा हो गई है। इस यूनिट पर 1969 से 1973 तक कुल 76,84,359 रुपये खर्च हुये थे।

कोयला खानों में असुरक्षित दशाओं के कारण मौतों के सम्बन्ध में 6–3–1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2433 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[Correction of Answer to USQ No. 2433 dated 6.3-1975 Re: Deaths in Coal Mines due to unsafe conditions.]

कोयला खानों में असुरक्षित दशाओं के कारण मौतों के सम्बन्ध में श्री प्रसन्न भाई मेहता के 6–3–1975 के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2433 के भाग (क) के दिए गए उत्तर को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :—

"(क) घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 1973 के दौरान 172 और 1904 के मुकाबिले में 1974 में क्रमश: 201 और 2051 थी"।

प्रमाणिकृत

ह०

(बालगोविन्द वर्मा)

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTIONS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने छात्र परिषद के युवकों पर किये गये हमले के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इससे केवल केन्द्रीय सरकार ही निपट सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं उठाया जा सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने कल भी आपसे इस सम्बन्ध में नियम 377 के अन्तर्गत अनुमति देने का अनुरोध किया था किन्तु आपने अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : कल आप और अधिक महत्व के विषयों में उलझे रहे अत: उसे नहीं उठाया जा सका।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह बहुत ही गम्भीर मामला है **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : यह संघ सम्बन्धी मामला नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे किस राज्य में उठाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं कल देखा जायेगा (**व्यवधान**)। विधेयक पर अभी चर्चा होनी है मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I have to make a submission. What Bill is pending? That is a separate Bill. This subject belongs to the Centre.

Mr. Speaker: The Bill is about Harijans. You should raise points on it. I cannot allow it at this stage.

आप सब बैठ जाइये। मैंने अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**) नियम यह है कि जब अन्य अवसर उपलब्ध हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती (**व्यवधान**)

The new members have established a new precedent. They speak whenever they like.

Shri Vasant Sathe (Akola): Mr. Speaker, Sir. yesterday, they wasted the whole day. They did not allow discussion on the untouchability offences Bill. They are shedding crocodile tears.

Mr. Speaker: I am not allowing it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको इस सम्बन्ध में अनेक बार लिखा है (**व्यवधान**)। सरकार को इस सम्बन्ध में हस्तक्षप नहीं करना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप सरकार से इस पर वक्तव्य दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा चल रही है।

Shri Madhu Limaye: My point of order is that old rules relating to adjournment motion............

Mr. Speaker: I am not ready to discuss adjournment motion.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'आंसुका' का क्या हुआ ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के बारे में नोटिस दिया है, सरकार सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है आप सरकार से इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर आपके निर्देश प्राप्त करने के लिये नहीं हूं। आपको हर बात मेरी अनुमति से उठानी चाहिये (**व्यवधान**) अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक पर चर्चा चल रही है। इन बातों को चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है तथा मन्त्री महोदय बहस का उत्तर देंगे। (**व्यवधान**) आप मुझे यह अथवा वह करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। मैंने अपना निर्देश दे दिया है। इधर अथवा उधर से बोलने वाले सदस्यों की कोई बात रिकार्ड नहीं की जायेगी (**व्यवधान**) सब बैठ जाइये।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

हिंडालको के कर्मचारियों द्वारा हिंडालको के प्रेसीडेन्ट को लिखे गये कथित पत्र के बारे में

अध्यक्ष महोदय : हिंडालको के बारे में श्री जनेश्वर मिश्र और श्री मधु लिमये का विशेषाधिकार का प्रश्न है । हिंडालको के एक अधिकारी ने वहां के एक दूसरे अधिकारी को पत्र लिखा है और उसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाया जा रहा है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने श्री राज नारायण को पत्र की मूल प्रति देने को कहा है ताकि उसकी जांच हो सके । उसके बाद श्री सुब्रह्मण्यम ने उस पत्र को दिखाया है इस पत्र की तिथि 11–11–1974 है । **(व्यवधान)** अगर तथ्यों के संबंध में विवाद है तो यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता ।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): It was alleged that it was a forged letter. Shri Subramaniam said it and we are prepared to accept it as a challenge.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप हमें जरा सुनिये तो ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी को सुनने के लिये तैयार हूं । इसे विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता । प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस पत्र की मूल प्रति दी जाये ताकि उस पर और जांच की जा सके । श्री राज नारायण ने कहा है कि उसे वह पत्र प्राप्त नहीं हुआ । किन्तु उन्होंने उस पत्र को दिखाया है । **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने कल लिखित रूप से एक विशेष अनुरोध किया था । **(व्यवधान)**

Mr. Speaker: Have you to say anything even after my ruling?

मैंने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इसे विशेषाधिकार के रूप में नहीं उठाया जा सकता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । मुझे निवेदन करने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्देश दे दिया है । इसके पश्चात् इस पर मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे सकता । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें **(व्यवधान)** ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE—contd.

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेंस्यूटिकल्स लिमिटेड

नई दिल्ली फर्टीलाईजर्स एंड केमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड, और पाईराईट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स, लिमिटेड के वर्ष 1973–74 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे और औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन और सिफारिशें ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं —

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9667/75]

(ख) (एक) फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स, ट्रावनकोर, लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स, ट्रावनकोर, लिमिटेड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9668/75]

(ग) (एक) पाईराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमीकल्स, लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाईराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9669/75]

(2) (एक) औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(तीन) औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

(चार) औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति का पूर्ण प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9670/75]

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : श्री ए० सी० जार्ज की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9671/75]

संघ सरकार (रेल) 1973-74, और संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, 1972-73, विनियोग लेखे, रेल, 1973-74 भाग I और II, तथा ब्लाक लेखे, तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि लेखे, रेल, 1973-74 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1973-74 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां—खंड 1—अप्रत्यक्ष कर तथा खंड 2—प्रत्यक्ष कर (हिन्दी संस्करण)।

(2) वर्ष 1973-74 के लिये विनियोग लेखे, रेल, भाग 1—समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) वर्ष 1973-74 के लिये विनियोग लेखे, रेल, भाग 2—विस्तृत विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) वर्ष 1973-74 के लिये ब्लाक लेखे (ऋण लेखे समेत पूंजी विवरणों सहित), तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेल (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9672/75]

बम्बई पत्तन न्यास का 1973-74 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन. गुजरात माल वहन करारोपण (संशोधन) नियम, 1974, गुजरात माल वहन करारोपण अधिनियम, 1962 के अधीन गुजरात अधिसूचना, राष्ट्रीय राजपथ के संबंध में केन्द्र और हरियाणा के बीच समझौता और मोटर गाड़ी कर के बारे में अधिसूचनाएं

परिवहन और नौवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1973-74 के वार्षिक लेखे तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9673/75]

(2) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उदघोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात माल बहन कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 32 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात माल वहन कराधान (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच/जी/240/74 जीटीए/1269/77159/ई में प्रकाशित हुए थे ।

(3) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 9674/75]

(4) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी को गई अधिसूचना के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात माल वहन कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात अधिसूचना संख्या जो/जो/74/22 एमवीए/7570/85258–ई (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जनवरी, 1975 के गुजरात सरकार राज पत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(5) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9675/75]

(6) राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में स्थित राजपत्र के किसी ऐसे भाग के, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में उल्लेख किया गया है, विकास अथवा रख-रखाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा हरियाणा राज्य सरकार के बीच हुए दिनांक 17 फरवरी, 1975 के समझौते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 9676/75]

(7) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गयी उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटर-गाडो कर अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या जो/एच/जी/74/228–एमवीए–5668–814 (i)–ई, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) अधिसूचना संख्या जो एच/जी/74/21/एमवीए–7570/85258–ई, जो दिनांक 30 जनवरी, 1975 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/75/68 एमटीए–1774/1736(i)–ई, जो दिनांक 27 मार्च, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(8) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9677/75]

औषध और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1975

श्री ए० के० एम० इसहाक : मैं औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध तथा प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 358 में प्रकाशित हुए थे , सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 9678/75] ।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, तथा आसाम से कच्चे तेल के उत्पादन और आसाम के लिए अतिरिक्त तेल शोधन कारखाने के सम्बन्ध में विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): श्री सी० पी० माझी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9679/75]

(2) आसाम राज्य में अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता स्थापित किये जाने के लिये की जा रही मांग के विशेष सन्दर्भ में राज्य से कच्चे तेल के उत्पादन की संभावनाओं सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9680/75]

प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1973–74 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): मैं कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 9681/75]

लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में दिये गये आश्वासनों, वचनों आदि पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

(एक)	विवरण संख्या 28	ग्यारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(दो)	विवरण संख्या 24	तीसरा सत्र, 1971
(तीन)	विवरण संख्या 28	चौथा सत्र, 1972
(चार)	विवरण संख्या 18	छठा सत्र, 1972
(पांच)	विवरण संख्या 21	सातवां सत्र, 1973
(छः)	विवरण संख्या 15	आठवां सत्र, 1973
(सात)	विवरण संख्या 13	नौवां सत्र, 1973
(आठ)	विवरण संख्या 14	दसवां सत्र, 1974
(नौ)	विवरण संख्या 7	ग्यारहवां सत्र, 1974
(दस)	विवरण संख्या 6	बारहवां सत्र, 1974
(ग्यारह)	विवरण संख्या 2	तेरहवां सत्र, 1975

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9682/75]

मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का 1972–73 के लिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण का 1973–74 के लिए, मैसूर आयरन एंड स्टील लि० का 1973–74 के लिए, गुजरात खनिज विकास निगम लि० का 1973–74 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, और समीक्षाएं, तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र संबंधी पहिया तथा धुरी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, लखापरीक्षित लेखा और इस समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति दर्शाने वाला विवरण

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन, लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणयां [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9683/75]

(ख) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9684/75]

(ग) (एक) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9685/75]

गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड

(2) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई अधिसूचना के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड अहमदाबाद का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9686/75]

(3) (एक) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की पहिया तथा धुरी संयंत्र सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की पहिया तथा धुरी संयंत्र सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के नवम्बर, 1974 तक समाप्त हुई अवधि में कार्यान्वयन में हुई प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9687/75]

विशेषाधिकार का प्रश्न—जारी

QUESTION OF PRIVILEGE—Contd.

हिंडालको के कर्मचारियों द्वारा हिंडालको के प्रेसीडेन्ट को लिखे गये कथित पत्र के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह स्पष्ट बता दिया है कि मंत्री महोदय द्वारा पत्र दिखाये जाने और उनके वक्तव्य के पश्चात् इस मामले को विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री मधु लिमये और श्री जनेश्वर मिश्र ने 10 बजे से पहले सूचनाएं दी हैं। मेरा अनुरोध है कि आप उनकी बात विशेषाधिकार के प्रश्न पर सुनलें (**व्यवधान**) प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत सूचनाएं दी गई हैं । आप उन्हें अनुमति दीजिये (**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): Sir, I have a point of order. This cannot happen. If you give ruling under the pressure of Smt. Indira Gandhi, we will not allow to happen like that. You want to run Government of Smt. Indira Gandhi and not the House.

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रक्रिया की बात कह रहा हूं और वह अपनी आवाज से मुझे दबाना चाहते हैं किन्तु मैं ऐसे दबने वाला नहीं । मैं उन सब की आवाज से ऊंची आवाज निकाल सकता हूं । (**व्यवधान**)

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai): It is a clear case of privilege. Why don't you allow.

Shri Janeshwar Misra: The original letter is with me. Why do you give the ruling so quickly.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न पर सब की बात सुनी है । अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो मुझे यह पसन्द नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आप प्रधान मंत्री को संरक्षण दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी श्री मधु लिमये को बताया था कि . . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपने सदन को नहीं बताया ।

Mr. Speaker: Kindly do not interrupt me. You are saying that you people will not allow all this. This is not a new thing for me. What will you do?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष सदन का स्वामी नहीं सेवक होता है ।

Mr. Speaker: Neither I have tried to become nor I am. I can say with my conscience in it that whatever ruling I have given, it was given after studying the case.

प्रो० मधु दण्डवते : आपने श्री मधु लिमये को कहा था कि अगर और बातें हो तो उन्हें बतायें, उन्होंने आपको लिखा भी है. . . . . . (**व्यवधान**)

Mr. Speaker: Shri Madhu Limaye met me in my Chamber in connection with some other case. I told him that I have consulted *May's Parliamentary Practice* but it does not come under the privilege question. I asked him to bring it in some other form.

Shri Madhu Limaye (Banka): I want to suggest some other form now.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : आपने निर्देश दे दिया है उसके बाद इन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती ।

अगर आप इन सदस्यों को अपने निर्देश के बाद भी निवेदन करने की अनुमति दे रहे हैं तो आप एक बुरी परम्परा का निर्माण कर रहे हैं। सदन में आपने ऐसे कई निर्देश दिये होंगे जिसमें इधर अथवा उधर के लोग सन्तुष्ट न हों अतः मेरे विचार से यह सदस्यों का कर्त्तव्य है कि हम सब निर्देश का सम्मान करें। आपके निर्देश देने के बाद भी अगर सदस्य सन्तुष्ट नहीं होते तो उनके पास ऐसे मामलों को उठाने के और भी उपाय हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने कल मुझे इस पर निर्देश देने के लिये कहा था मैंने इस पर निर्देश दे दिया।

Shri Madhu Limaye: I have a point of order Sir. I will read out a passage from the book of Shri Kaul and Shakdhar. After that you give ruling keeping its in view.

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है क्योंकि श्री सुब्रह्मण्यम ने श्री जनेश्वर मिश्र के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि उन्होंने जाली पत्र प्रस्तुत किया है (**व्यवधान**) ......

अब आप प्रधान मंत्री से पूछ रहे हैं ......(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री से मुझे कुछ भी सूचना नहीं मिली है।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या हम इस पर पुनः बहस कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye: On what you have given your ruling?

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार को प्रश्न इसलिये उठाया गया क्योंकि श्री राज नारायण ने कहा कि जांच के बारे में उन्हें कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई। श्री सुब्रह्मण्यम ने पत्र प्रस्तुत कर दिया और फिर विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye: You have not understood the issue. It is not any issue.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर अपना विनिर्णय दे दिया है।

Shri Madhu Limaye: I want to put this issue that Shri Subramaniam has said that it was a forged letter and Shri Janeshwar Misra is of the opinion that the letter of Shrimati Indira Gandhi is forged one. This means either Shri Misra is deceiving or the Prime Minister and Shri Subramaniam (interruptions). Let me read from the book of Shri Kaul and Shakdhar.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Let Shakdhar Sahib take his book back.

Shri Madhu Limaye: His book should be burnt because Government is put to difficulties.

श्री सी० एम० स्टीफन : (मुवुत्तपुजा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने दो निर्णय दिये हैं। जिनमें एक मुख्य है। दूसरा निर्णय आपने दिया है कि आगे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये। और उन्हें कुछ कहना हो तो उन्हें लिखित रूप में देना चाहिए। फिर किस आधार पर श्री मधु लिमये बोल रहे हैं। हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्न का सम्बन्ध है यह श्री राज नारायण के जाली दस्तावेजों पर आधारित नहीं है। सरकार ने कहा है कि विभाग ने सुझाव दिया है कि वे और भी साक्ष्य पेश करें और उसकी जांच की जाये। श्री राज नारायण ने कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला। पहली सूचना में जो कुछ था मैंने उस पर निर्णय दे दिया है।

श्री मधु लिमये : मैंने अपनी सूचना में यह कहा कि श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध जो आरोप हैं वे विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने चाहिएं और श्री जनेश्वर मिश्र समिति के समक्ष स्पष्टीकरण दें। यदि यह सिद्ध हो जाये कि उन्होंने सभा के समक्ष जाली दस्तावेज रखा है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

If Shri Subramaniam is telling a lie and the Hon'ble Members are right then the honour of the House lies only in taking action against Shri Subramaniam.

अध्यक्ष महोदय: नियम स्पष्ट है कि विशेषाधिकार विशिष्ट होना चाहिए और विवादग्रस्त नहीं होना चाहिए।

Shri Madhu Limaye: If the Hon'ble Member has placed forged letter his membership should be terminated.

अध्यक्ष महोदय : इस पर और अधिक चर्चा की मैं अनुमति नहीं देता हूं। यदि कोई नई बात है तो आप उसे मेरे ध्यान में लाइए मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने दूसरे पक्ष के दो सदस्यों को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है अतः विपक्षी सदस्यों को भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विनिर्णय का सम्बन्ध है उस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : पहली बात यह है कि जो वक्तव्य दिया गया है वह सही नहीं है। यह वक्तव्य कि अध्यक्ष द्वारा आज निर्णय देने के लिए दिन निश्चित किया गया था सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि ऐसा है तो इसे कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी प्रथा नहीं है।

Shri Madhu Limaye: It has been my suggestion from the very beginning that ruling should be given in the order paper and it should be in writing.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय, कल विपक्षी नेताओं ने आपको एक पत्र लिखा कि इस मामले के कतिपय पहलू हैं जिनका बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः आपके निर्णय देने से पूर्व इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर हमें अपने विचार पूर्ण रूप से व्यक्त करने चाहिएं। अतः हमें आशा थी कि ...... **(व्यवधान)** आप इस बात पर हमारे विचार सुनते और इससे पहले ही आपने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे माननीय मित्र श्री लिमये ने पहले ही शकधर और कौल द्वारा लिखित पुस्तक का हवाला दिया था किन्तु मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ 137 का हवाला देना चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि किसी भी सभा में समिति के समक्ष जाली तथा झूठे दस्तावेज पेश करना सभा को धोखा देना है और विशेषाधिकार भंग करना है । सभा इस समय एक जाली दस्तावेज से सम्बद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने जो कुछ मैंने कहा वह समझा होता तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं होती । आप कृपया बैठ जाइए मैंने आपको बार बार कहने की अनुमति नहीं दी है । अगर आपको कुछ नई बात कहनी है तो आप कह सकते हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री जनेश्वर मिश्र, और श्री मध लिमये ने प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था और उसमें आपको सम्भवतः कल निर्णय देना था । सभा इस मामले में सत्यता का पता लगाये बगैर इसे छोड़ नहीं सकती है । सभा के किसी सदस्य ने स्पष्टतः जालसाजी की है और वह इसका अपराधी है । अतः इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता है । सत्यता का पता लगाने की बात अपराधी पर नहीं छोड़ी जा सकती है । इस मामले में हमारा निवेदन है कि हमें अपने पूरे विचार व्यक्त करने के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए । पत्र में सर्वश्री श्यामनन्दन मिश्र, ज्योतिर्मय बसु, मधु लिमये, समर गुह, पी० के० देव, जनेश्वर मिश्र, पी० जी० मावलंकर और राम रतन शर्मा ने हस्ताक्षर किये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने पत्र के बारे में, जो मुझे लिखा है, व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मूल प्रस्ताव इस बात पर आधारित था कि वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने गलत बात कही है कि उन्होंने श्री राज नारायण को कहा कि वे इसे पेश करें । उन्होंने 11 नवम्बर का पत्र पेश किया है जो उन्होंने उन्हें लिखा है । नियमों के अनुसार विशेषाधिकार इसी तक विशिष्ट रूप से सीमित होता है । इस सम्बन्ध में तथ्य विवादग्रस्त हैं । इसे विशेषाधिकार के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से सभा में लाया जा सकता है । मैंने इस पर निर्णय दे दिया है । यदि आपको कुछ नई बात कहनी है तो कहिए ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1970–71 के लिए प्रमाणित लेख और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०9688/75]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 1973-74 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1975, और धातुयुक्त खान (संशोधन) विनियम, 1975

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1973—74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 9689/75]

(2) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1975 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 512 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) धातुयुक्त खान (संशोधन) विनियम, 1975 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 513 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9690/75]

कतिपय विदेशी संसदों के सदस्यों को प्राप्य वेतन, भत्ते तथा सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिका

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्दगांव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

कतिपय विदेशी संसदों के सदस्यों को प्राप्य वेतन, भत्ते तथा सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिका की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9691/75]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

(एक) 'मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 2 मई, 1975 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि वह लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित करने हेतु 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करे और उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों का ऐसी विधि से जैसे सभापति निदेश दें, निर्वाचन करें।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए :—

(1) श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ
(2) श्रीमती प्रतिभा सिंह
(3) श्री वी० वी० राजू
(4) श्री जी० आर० पाटिल
(5) श्री टी० के० श्रीनिवासन
(6) डा० के० मैथ्यू कूरियन
(7) श्री रवि राय

(दो) 'मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 2 मई, 1975 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि वह लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित करने हेतु 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करे और उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सात सदस्यों का ऐसी विधि से, जैसा सभापति निदेश दें, निर्वाचन करें ।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए :—

(1) श्री भोला प्रसाद
(2) श्री जगदीश प्रसाद माथुर
(3) श्री वीरेन्द्र पाटिल
(4) श्री सुल्तान सिंह
(5) श्री श्रीमान प्रफुल्ल गोस्वामी
(6) श्री हृष देव मालवीय
(7) पंडित भवानी प्रसाद तिवारी

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

हिंडालको के कर्मचारियों द्वारा हिंडालकों के प्रेसिडेंट को लिखे गये कथित पत्र के बारे में—जारी

Shri Janeshwar Mishra: Either we have committed forgery or Shrimati Indiraji has written a false letter. Therefore we want to make submission on this point. If it is proved that I have placed a forge letter, I am prepared to resign and if Smt. Indiraji has written a false letter, she should resign. This is an important issue.......... (*interruptions*).

Mr. Speaker: Please sit down. I have repeatedly said this is no issue now. I am now proceeding further.

Shri Shyam Nandan Mishra: We want your ruling in this matter in writing.

Mr. Speaker: There is no question of a written ruling.

Shri Janeshwar Mishra: Mr. Speaker, Sir, for the letter which I read, Shri Subramaniam said that it was photo copy and was not original. Today I have brought the original copy to show you but you have already given a ruling.

अध्यक्ष महोदय : श्री खाडिलकर, आपको क्या कहना है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी पक्ष की ओर प्रतिष्ठा नहीं है। सभा में कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र : कभी वे उपाध्यक्ष थे That is why he is advising for controlling the House.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : व्यवस्था का प्रश्न है। आप उन्हें सभा पटल पर इसे रखने से कैसे रोक सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : निर्णय का सम्बन्ध इस से था कि श्री राज नारायण को सूचित किया गया या नहीं। उन्होंने वह पत्र पेश किया है अतः जालसाजी का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप प्रधान मंत्री को बचाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हैं ? . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से लड़ना चाहते हैं।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 21वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि श्री ए० के० गोपालन को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये।

क्या सभा समिति द्वारा सिफारिश की गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति देती है ?

अनेक सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

35वां और 36वां प्रतिवेदन और अध्ययन दलों के दौरों के प्रतिवेदन

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (मुख्यालय) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा विस्तारण निदेशालय

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (बैंककारी विभाग)—भारतीय रिजर्व बैंक तथा उससे सम्बद्ध संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा नियुक्ति के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 36वां प्रतिवेदन।

(3) समिति के अध्ययन दल 1 के बम्बई, पूना, गोआ, बंगलौर, मद्रास और हैदराबाद के जनवरी, 1975 के दौरान अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

(4) समिति के अध्ययन दल 2 के कलकत्ता और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के जनवरी, 1975 के दौरान अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

रेयन कारखानों के श्रमिकों की शिकायतों के बारे में याचिका
PETITION RE: GRIEVANCES OF WORKERS OF RAYON FACTORIES

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरम) : मैं रेयन कारखानों के श्रमिकों की शिकायतों के बार में श्री एस० के० दास तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

यह एक प्रतिवेदन है जो 1959 में प्रकाशित हुआ था और सरकार ने इसमें की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। इससे सात हजार मजदूर प्रभावित हैं।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्या के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: PROBLEMS OF REFUGEES FROM FORMER EAST PAKISTAN

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : क्योंकि मैंने संसद में यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों को बसाने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रही है, इसलिए शीघ्र ही उन पुनर्वास योजनाओं का पता लगाने जिन्हें आरम्भ या जारी रखने की आवश्यकता है, उनमें से यथा-संभव अधिकतम योजनाओं को राज्य सरकार की विकास योजनाओं से आमेलित करने और उस वित्तीय सहायता का मूल्यांकन करने जिसकी आवश्यकता होगी, बहुत शीघ्र ही पश्चिम बंगाल सरकार, योजना आयोग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी ग्रुप गठित करने का प्रस्ताव है। आशा है कि कार्यकारी ग्रुप अपनी रिपोर्ट यथा-शीघ्र प्रस्तुत कर देगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने इस मामले के बारे में प्रश्न उठाया था तो मंत्री महोदय ने कहा कि वे वक्तव्य के दौरान इसका उत्तर देंगे किन्तु उन्होंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही तयार था। आपने दूसरा पूछा था।

श्री समर गुह : किन्तु उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वक्तव्य के दौरान इसका उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही देखूंगा यदि उसमें है तो मैं उनसे ऐसा करने के लिए कहूंगा।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1972–73

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1972-73

विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं वर्ष 1972–73 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक—जारी

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) BILL—contd.

अध्यक्ष महोदय : श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा 7 मई, 1975 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा आगे विचार करेगी अर्थात् :—

> "कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आपको पहले एक पत्र लिखा है। मुझे कार्यसूची की इस मद संख्या 19 को देखकर आश्चर्य होता है क्योंकि कल पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि जब तक विधेयक का ठीक नहीं किया जाता है यह पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री के भाषण के बाद आपको बताऊंगा और आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: उपाध्यक्ष महोदय ने पहले ही निर्णय दिया है कि यदि यह अभिप्राय है तो मेरे विचार से यह ठीक है। अतः हमें प्रारूप तैयार होने तक इस पर विचार स्थगित करना चाहिए।

तत्पश्चात् श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी ने कहा कि यह केवल पुरःस्थापित किया जाना है। विधेयक अगले सत्र में आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उपाध्यक्ष महोदय के अन्तिम निर्णय को देख लिया है जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले में कोई निर्णय नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं, आप कार्यवाही देखें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया है। गृह मंत्री ने कहा था कि वे इसका प्रारूप फिर से तैयार कर सकते हैं। अध्यक्ष विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और अध्यक्ष के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसमें इसके अलावा कई और भी बातें हैं। अब स्थिति क्या है। आप अभी पुरःस्थापित करना चाहते हैं और यदि अभी पास नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई जल्दी नहीं है। साथ ही और भी विधेयक लम्बित हैं।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैंने कल सभा को बताया कि विधेयक के क्षेत्र के बारे में काफी भ्रम रहा है . . . (**व्यवधान**) अनेक सदस्यों ने अपने अपने सन्देह प्रकट किये हैं।

विधेयक में प्रयुक्त कतिपय शब्दों के बारे में संदेह प्रकट किये गए थे और मैंने कहा था कि अभी विधेयक पुरःस्थापन की अवस्था में है और इन शब्दों में हम बाद में भी परिवर्तन कर सकते

हैं। मेरे मन में विधेयक के तथ्यों के बारे में कोई सन्देह नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। यह पूर्वोत्तर से सम्बन्धित है तथा अपराधिक गतिविधियों के बारे में है। जैसा कि आपने कहा है कि विधेयक केवल पुरःस्थापन के लिए है और यह अगले सत्र में लाना पड़ेगा, मुझे इसे अगले सत्र में लाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसी बात है तो इतना समय क्यों बर्बाद किया गया। यह विधेयक इस सभा में पास नहीं होगा क्योंकि केवल कल का ही दिन बाकी रह गया है। यदि इसका मसौदा पुनः तैयार करना पड़े तो उसमें कोई हानि नहीं है। यदि इसके शब्द और आशय स्पष्ट न हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय इस विधेयक पर सभा में हुई चर्चा को ध्यान में रख कर इसे स्पष्ट करने का प्रयास करें।

इसके स्थगन के लिए प्रस्ताव भी है। प्रश्न यह है :

> "कि श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव पर 'कि आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने का अनुमति दी जाये' आगे विवाद स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.35 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at Thirty-five minutes past Fourteen of the Clock).

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): कल सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रही है। इसलिए मैं दो बातें कहना चाहता हू। वित्त मंत्री जी महंगाई भत्ते की पांच बकाया किश्तों की अदायगी के बारे में वक्तव्य दें।

स्वदेशी कपड़ा मिल और जे० के० रेयान्स पिछले डेढ़ महीने से बन्द हैं। श्रम मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

THE SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी कठिन स्थिति में हैं । वे अपने वेतन में वृद्धि करवाने के लिये बाह्य प्रयास नहीं कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि इन्हें समुचित वेतन मिलना चाहिए । विधेयक के उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1958 के पास होने के बाद उनकी सेवा की शर्तों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है । इन न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों को बेहतर बनाये जाने की बराबर मांग होती रही है । सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देने का प्रस्ताव है । उन्हें परिवार पेंशन स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है । मोटर कार के रख-रखाव हेतु 300 रु० प्रति मास भत्ता देने का प्रावधान विधेयक में किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जब महंगाई भत्ते की पांच बकाया किश्तों की अदायगी की मांग की गई तो मंत्री जी ने यह कहा कि देश के लाखों लोग भूखों मर रहे हैं जब हम सबने उनसे अनुरोध किया कि बीड़ी पर लगाया गया शुल्क हटा दिया जाये तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया । पैट्रोल पर से शुल्क हटाने की मांग के उत्तर में उन्होंने कहा कि इससे देश में वित्तीय संकट पैदा हो जायेगा । पर प्रत्येक न्यायाधीश को कार के रख-रखाव के लिए 300 रु० मासिक देने का प्रस्ताव किया जा रहा है । यह भेदभाव है । मैं इस विधेयक का नैतिक आधार पर विरोध करता हूं क्योंकि यह कम आय वाले लोगों के प्रति घोर अन्याय है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): There has been no change in the salaries and allowances of the Judges of High Courts and Supreme Court since 1954 and 1958 respectively. The Government propose to make some changes therein through this Bill. The salaries of Judges have been fixed in the Second Schedule of our Constitution. But Government propose to make these changes indirectly in the name of allowances. My objection is that this change should have been made directly by amending the Constitution. The tendency obtaining at present is that people do not want pay rise. They want extra allowances and amenities. I would like to have from Government comparative figures of salaries and allowances received by Managers, etc. in public sector as also by the Ministers. There cannot be two opinions about the fact that more able persons should be attracted to the profession of Judges, but the fact remains that eminent lawyers and advocates plead the cases of smugglers, blackmarketeers and tax-evaders and thus earn fabulous sums. All these facts should be considered and a comprehensive scheme brought forward in this regard.

श्री एच० आर० गोखले : विधेयक का विरोध करने वाले सदस्यों ने सुझाव दिया है कि न्यायाधीशों का वेतन बढाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाये । पर कठिनाई यह है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन संविधान द्वारा निश्चित किये गये हैं । उनके वेतन में संविधान में संशोधन करके ही वृद्धि की जा सकती है । पर इन न्यायधीशों के सम्बन्ध मे एक दूसरा विशिष्ट उपबन्ध है कि इनके भत्ते जैसे सेवा की अन्य शर्तों के लिए साधारण विधान द्वारा व्यवस्था की जा सकती है । इसीलिए 1954 और 1958 के अधिनियम पास किये गये थे । अप्रत्यक्ष रूप से काम करने का प्रश्न ही नहीं है । संविधान में संशोधन करना हो या नया कानून बनाना हो हमें इस सभा के पास ही आना होता है । सिद्धान्ततः इस विधेयक के बारे में कोई मतभेद नहीं है । इसलिए

यह विधेयक पास किया जाना चाहिए। जो सुझाव दिये गये हैं उन्हें विधेयक पर विचार करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

न्यायाधीशों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके लिए परिवार पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है। ऐसा कानून बना कर ही किया जा सकता है। सरकारी उपक्रमों के बारे में भी मधु लिमये ने जो चर्चा की है हम उस पर विचार करेंगे। अतः मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले: विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक

High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विजया बैंक के बारे में

RE VIJAYA BANK

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, some days back I had raised an issue about the Vijaya Bank wherein I had levelled certain charges in regard to forgery of currency notes in this bank. I had tried to ascertain that the charges levelled by me were correct and only then I raised this issue. In the meantime I have receivd some further information, which I have mentioned in the notice given by me. The Minister should order an enquiry into the whole matter and place a statement before this House so that there may not be any misgivings in this regard.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमण्ड हार्बर) : महोदय, गुरुद्वारा प्रबन्धक कमीटी के अध्यक्ष 10 मई को इस बात को लेकर जलूस निकालने वाले हैं कि सरकार ने सिख सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल में हस्तक्षेप किया है। यह गम्भीर आरोप है। सरकार इस बारे में वक्तव्य दे।

अनुदानों की मांगें—नागालैंड, 1975–76

DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND) 1975-76

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नागालैंड राज्य के वर्ष 1975–76 के बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगें लेते हैं ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : नागालैंड में राष्ट्रपति शासन होने के कारण ही यह बजट यहां पेश किया गया है । नागालैंड विधान सभा सुरक्षा सेनाओं की मदद से समाप्त कर दी गई । श्री विजोल ने स्वयं शिकायत की है कि उनके छः विधायकों का सुरक्षा सेना ने अपहरण किया । इस आरोप का खण्डन न तो सेनाध्यक्ष ने किया और न केन्द्रीय सरकार ने । मुख्य मंत्री श्री विजोल कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इस कार्य के पीछे केन्द्र और सेना का हाथ था । वास्तविक सत्ता केन्द्र के हाथ में है न कि वहां की निर्वाचित सरकार के हाथ में । विजोल सरकार को गिराने के बाद वहां एन०एन०ओ० सरकार बनाई गई और यह सब केन्द्र के इशारे पर हुआ ।

सभी जानते थे कि एन० एन० ओ० सरकार की जड़ें नागालैंड में मजबूत नहीं हैं । इसका केवल दस दिन के अन्दर ही पतन हो गया । पर केन्द्र ने विजोल को बहुमत प्रदर्शित करने का अवसर नहीं दिया तथा जल्दी में वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया । विधान सभा को भंग नहीं किया गया । अन्यथा वहां निर्वाचन कराने पड़ते । केन्द्र को डर है कि नये चुनाव उसके लिए सुविधाजनक नहीं होंगे । भूमिगत नागाओं से निपटने के नाम पर निर्दोष नागाओं पर भयंकर अत्याचार किये गये । दि इकानामिक्स एण्ड पालिटिकल वीकली के दिनांक 26 अप्रैल, 1975 के अंक में इस बारे में विस्तार से बताया गया है । यह केवल अकेली घटना नहीं है । हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सैनिक सभी तरह के अत्याचार कर रहे हैं । महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें सताया गया और उनकी हत्या की गयी ।

अब यह सरकार नागा विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ाचढ़ाकर बता रही है, जिससे आपात स्थिति जारी रह सके और देश के उस हिस्से में उत्पीड़न जारी रहे । कोई भी समझदार स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति इस तरह के व्यवहार सहन नहीं कर सकता । गत 28 वर्षों में व्यावहारिक दृष्टि से वहां कोई सिविल प्रशासन नहीं रहा है । वास्तविक सत्ता सेना के हाथों में है । वस्तुतः देश के उस भाग में ही शासक हैं । सरकार को समझना चाहिये कि जनता पर सेना का शासन नहीं चल सकता । उन पर लोकतंत्रीय ढंग से शासन किया जाना चाहिये ।

हमें नागा लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिये । हमने देखा है कि गोली और सैनिक तरीकों से हम जनता का दमन नहीं कर सकते । इसके साथ ही हम नागा लोगों से भी अपील करते हैं । हम भारत से पृथक होने के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते ।

हमें हमेशा यही बताया जा रहा है कि इस नागा उपद्रव के पीछे कुछ विदेशियों का हाथ हैं । यदि ऐसा है तो केन्द्रीय सरकार को उन विदेशी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये । परन्तु विदेशी तत्वों और विदेशी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के नाम पर नागा लोगों का दमन नहीं किया जा सकता जो कि कानून का पालन करते हैं। इसी कारण मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि उसे नागा लोगों के प्रति अपने रुख और कार्यों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिये और उसे वहां की जनता का सम्मान करना चाहिये :

नागा लोगों ने 1949 में ही पूर्ण राज्य की मांग की थी। सरकार के रवैये ने नागा लोगों को गलत मार्ग अपनाने के लिये बाध्य किया और इसके लिये केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है। नागालैंड में शांति स्थापित करने का उचित अवसर है। विजोल मंत्रिमंडल भूमिगत नागाओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इन्कार कर दिया है। यदि यही रवैया रहा तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि केवल सैनिक शक्ति से राष्ट्रीय समस्या हल नहीं हो सकती। यह भी एक राष्ट्रीय समस्या है। नागालैंड का उद्भव बड़े रक्तपात के बाद हुआ है। समूची असैनिक जिम्मेदारी मंत्रिमंडल को क्यों नहीं दे दी जाती? आप सैनिक अधिकारियों को निर्वाचित सरकार के ऊपर क्यों थोप रहे हो? दूसरे, सेना वहां घोर अत्याचार कर रही है। क्या इसकी कभी जांच की गई है? वहां के एक माननीय सदस्य ने इस बारे में शिकायत की परन्तु मंत्री महोदय ने इस सभा में स्थिति को स्पष्ट करने के लिये वक्तव्य भी नहीं दिया।

इस बजट का अधिकांश भाग असैनिक और सैनिक प्रशासन, पुलिस और अन्य बातों के लिये है। इस क्षेत्र के विकास के लिये बहुत कम राशि रखी गयी है। सरकार इस पिछड़े क्षेत्र के विकास में रुचि नहीं रखती है, क्योंकि बजट से ऐसा ही प्रतीत होता है। कुछ वर्ष पहले वहां कागज का एक कारखाना खोला गया था। यह पूरा नहीं हुआ है। कोई नहीं जानता कि यह कब तक पूरा हो जायेगा। बजट में रखी गयी धनराशि पर्याप्त नहीं है। इस कारखाने के लिये पर्याप्त धनराशि क्यों नहीं दी गयी? इससे पता चलता है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है और चूंकि नागालैंड इसका एक भाग है इसलिये इसकी भी उपेक्षा की गयी है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह विकास कार्य के लिये अधिक धनराशि निर्धारित करें और पुलिस तथा सैनिक पर व्यय में कमी करें। जनता की ताकत सर्वोत्तम ताकत है जो अच्छा कार्य कर सकती है और सैनिक तथा सिविल पुलिस बजट में कटौती की जा सकती है तथा इस कार्य के लिये नियत की गयी धनराशि विकास कार्य में लगायी जा सकती है। मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा उठायी गयी सभी बातों पर विचार करें और नागालैंड राज्य के साथ न्याय करें। धन्यवाद।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री दशरथ देव की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस स्थिति को सुलझाने के लिये सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस अथवा सीमा सुरक्षा बल पर निर्भर रहने के बजाय कोई नीति बनायी जानी चाहिये। हमें शुरू से ही यह बताया जा रहा है कि हम विद्रोही नागाओं को अच्छे नागरिक बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं। सरकार को मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और नागालैंड के लोगों के साथ समझौता करना चाहिये। हमें उनमें साहस, विश्वास, सुरक्षा और भ्रातृत्व की भावना पैदा करनी चाहिये। उन्हें यह महसूस हो कि सरकार उनके साथ है और उनके दिमागों में विदेशी तत्वों द्वारा जो गलत विचार भरे हैं, वे अपने दिमागों से पूर्णतः निकाल दें।

मैं समझता हूं कि नागा भी हमारी तरह अच्छे भारतीय हैं। किन्तु उनके दिमागों में यह भय है कि सरकार उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखती है और वहां पर जो भी विभिन्न अधिकारी हैं वे उनके प्रति दयालु नहीं हैं।

(श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए)

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI in the Chair

इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। हम यह जानना चाहते हैं कि नागालैंड के विकास पर कितना धन खर्च किया जा रहा है। क्या नागालैंड में कोई उद्योग स्थापित करने की संभावना है

अथवा नहीं। इन लोगों की कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या उन्हें खाद्यान्न मिल रहा है ? सारी कठिनाई यह है कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति कठोर और उदासीनपूर्ण रवैया अपनाती है। हमें नागालैंड की समस्या को सेना पर आश्रित न रह कर के राजनैतिक आधार पर सुलझाना चाहिये ।

हमें उनसे किसी तरह का समझौता करने की कोशिश करनी चाहिये जिससे नागालैंड में शांति स्थापित की जा सके। जब एक बार हम उनके साथ समझौता कर लेंगे तो यह हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सहायक होगा। अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनकी वित्तीय समस्यायें सुलझाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये ।

Shri Bhagat Singh Chowhan (Dhar): Mr. Chairman, even after 27 years of our independence we have not been able to bring Nagaland in time with the main stream of life in the country and some people there still continue to be hostile to us. This is a clear failure on the part of this Government and it is high time an attempt is made to find out where the mistakes lie and remedial steps are taken.

In this budget there are many items under which expenditure could have been reduced and more money could have been spent on development work. For example, expenditure under social welfare cooperation could have been reduced and more money could have been spent on forests and mineral development. If more attention had been paid for development of Adivasi blocks there, that state could have become ideal and the Adivasi people would also have been pleased.

The Naga people have a distinct culture and there is great need to presence its separate identity. But the Government have been indifferent in this regard. Any attempt to interfere with their cultural identity will only make these people more hostile. So Government will have to change their policy. There is a need to try to win the confidence of these people.

For the development of any area roads are very necessary and more so for Nagaland. If proper attention is not paid to it, the State will not be able to come up.

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : महोदय, यह शर्म की बात है कि नागालैंड में कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। जिस ढंग से यह समस्या नागालैंड में हल की गई है वह वास्तव में बहुत खेदजनक है। सरकार को वहां यथाशीघ्र लोकप्रिय सरकार की स्थापना करनी चाहिये । नागालैंड और उत्तर-पूर्व भारत की समस्या पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है।

यह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा क्षेत्र है। और उसके लिये तुरन्त मूलभूत ढांचा बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके अभाव में कोई भी विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता।

इस मूलभूत ढांचे के लिये दो मूल बातें आवश्यक हैं। पहली बात तो सड़कों और संचार व्यवस्था की है और दूसरी बिजली है। यदि वहां इन दोनों बातों की व्यवस्था हो जाती है अथवा यदि इन दो बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तो छोटे और बड़े उद्योगों तथा कृषि का विकास किया जा सकता है क्योंकि यह क्षेत्र खनिज और वनस्पति से भरपूर है। अतः सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये ।

विकास-कार्य के लिये बहुत ही थोड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यह क्षेत्र बड़ी ही अशान्त क्षेत्र है। सरकार ने आदिवासियों की समस्याओं को समझने की परवाह नहीं की है। यह एक आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासियों को अपना बनाना होगा, उनके मन को विश्वास के साथ जीता जाना चाहिए। उन पर जोर जबरदस्ती से शासन नहीं किया जा सकता। यदि सरकार वर्तमान नीति चालू रखेगी तो निकट भविष्य में वह हमारे देश को बड़ी कठिन स्थिति में खड़ा कर देगी।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना को वहां से वापस बुलाया जाना चाहिये और देश की रक्षा के लिये आवश्यक सेना ही वहां रखनी चाहिये--परन्तु कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिये नहीं।

मैं चाहता हूं कि सरकार को विद्रोहियों अथवा भूमिगत नागाओं से बातचीत शुरू करने के लिये प्रतिष्ठा पर कायम नहीं रहना चाहिये। आखिरकार उस क्षेत्र के लोग भारतीय नागरिक हैं। वे आदिवासी हैं। उनके इतिहास और भावनाओं को समझना होगा। अतः उनसे बातचीत शुरू करनी होगी। एक समय था जबकि नागा एक अलग सर्वप्रभुत्व सम्पन्न राज्य चाहते थे। परन्तु अब स्थिति बदल गई है। अब वे भारत संघ में शान्ति के साथ रहना चाहते हैं। आप उनके मन को हथियारों के बल पर नहीं जीत सकते। उनमें विश्वास पैदा करना होगा। वे बड़े भावुक लोग हैं। अतः आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते।

वहां पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभिन्न सामाजिक तथा अन्य संगठनों में काम करने वाले लोगों का रवैया स्थानीय लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है। इस क्षेत्र के लोगों के प्रति इस देश के समूचे लोगों का रवैया बदलना होगा। वे आदिवासी हैं। उनकी अपनी संस्थायें हैं, उनकी अपनी परम्परा और इतिहास है। हमें उनका सम्मान करना चाहिये। इस तरह से हम उनको अपना बना सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो हमें भारत से देश के उस भाग को खोना पड़ेगा।

हम यह सुनते आ रहे हैं कि विदेशी मिशनरियां कार्यरत हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वहां कितनी विदेशी मिशनरियां कार्यरत हैं, उनकी राष्ट्रीयता क्या है। वे किस देश के हैं। यह तो कहना सरल है कि वहां विदेशी मिशनरियां हैं। आप विभिन्न आदिवासियों के बीच घृणा का बातावरण पैदा करना चाहते हैं। उनमें से अनेक ईसाई हैं और अनके गैर-ईसाई और बौद्ध हैं। महोदय, यह बड़ी ही खतरनाक प्रवृत्ति है और मैं राष्ट्र तथा सरकार को चेतावनी देता हूं कि जब तक हम अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम एक महासंकट की ओर अग्रसर होंगे। यह तो आदिवासियों की एकता तोड़ने का एक षड़यंत्र है जिसे रोकना चाहिये। यदि हम इसे नहीं रोकेंगे तो हमारा समूचा देश कठिन स्थिति में पड़ जायेगा।

Shri Chandra Shailani (Hathras): Mr. Chairman, Sir, since Nagaland is a border state and is a very undeveloped and backward, it is very necessary that more attention is paid to its development. Government should allocate maximum funds for its all-round development or the development of that area. The need is that industries are set up there and interest free loans are given to the people for this purpose.

The budget allocated by the Government for the development of Nagaland should be utilised properly. Nagaland is a State where hostile activities continue inabated. I, therefore, request that Government should concentrate all

their efforts on removing economic backwardness of this area and adequate funds should be made available for the purpose.

[(SHRI VASANT SATHE *in the Chair*)
श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]

With these words I would like to request the Finance Minister to give more attention towards its development.

श्री पाम्रों काई हाम्रोकिप (ग्राऊटर मणिपुर) : महोदय, मैं इस समय नागालैंड में हुई प्रगति के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। किन्तु यह बड़े दुःख की बात है कि लोकप्रिय सरकार के अभाव में इस सदन में नागालैंड के बजट पर चर्चा करनी पड़ रही है। किन्तु अगर इस बजट पर नागालैंड में बहस होती तो इस राज्य की समस्याओं के बारे में जनता के प्रतिनिधियों ने जनता का ध्यान दिलाया होता और इस सम्बन्ध में सुझाव आते। किन्तु मुझे इसमें भी सन्देह नहीं कि इस सदन में भी बहस के दौरान नागालैंड की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जायेगा। और मुझे विश्वास है इसमें वहां की प्रगति और आवश्यकताओं का जिन्हें पूरा किया जाना है, प्रतिबिम्ब मिलेगा।

यदि भारत सरकार उस क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान देती है तो कोई कारण नहीं कि वह राज्य शीघ्र उन्नति न करे। यह सही है कि मणिपुर की तुलना में नागालैंड में कहीं अधिक सड़कें और संचार साधन हैं। मैं तो यह भी कहूंगा कि नागालैंड का अधिक विकास हुआ है। किन्तु इसके कठिन रास्तों की दृष्टि से इतना विकास प्रर्याप्त नहीं है। नागालैंड में और अधिक विकास किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये भारत सरकार राज्य को और अधिक रुपया दे। हमें देश में इस भाग में रह रही जनता के प्रति अपने रवैये में परिवर्तन लाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारी योजनाएं कितनी भी भारी क्यों न हों, वह नाम मात्र की ही होंगी और उनका कार्यान्वियन नहीं किया जा सकेगा।

नागालैंड के विकास में कुछ गुमराह नागा विद्रोहियों की गतिविधियां भी रही हैं। पिछले 3-4 वर्षों में वे लोग कुछ सुधरे हैं और आम जनता के साथ सामान्य जीवन बिता रहे हैं। उनके दृष्टिकोण बदल गये हैं और उनके इस रुख को कुछ ठोस कदम उठाकर और बल दिया जाना चाहिये। देश के उस भाग की सुरक्षा के लिये भीं हमें पर्याप्त प्रयास करने होंगे।

इस समय गांवों और कस्बों में सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस छाई हुई है। मैं इसके विरुद्ध हूं क्योंकि सीमा क्षेत्र की रक्षा करने तथा विद्रोही तत्वों को प्रभावकारी रूप से समाप्त करने के लिये सीमावर्ती क्षेत्र में सेना को लगाया जाये न कि गावों और कस्बों में। अगर हम सेना को सीमावर्ती क्षेत्र में लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि विद्रोहियों का काम इतना आसान नहीं रह जायेगा जितना कि अब है। साथ ही संचार साधनों के विकास को हमें अपनी योजनाओं में महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। मेरे कहने का यह तात्पर्य कदापि न समझा जाये कि गावों और कस्बों में पुलिस इत्यादि शक्तियां नहीं होनी चाहिये किन्तु उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में होना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं खेद के साथ कहता हूं कि नागालैंड और मिजोरम में केन्द्र के रवैये से हमारा सर विश्व के आगे शर्म से झुक जाता है। वहां पर किये जा रहे अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। सरकार विद्रोही नागाओं की इन गतिविधियों को तुरन्त फैंसला करने की शक्ति तथा आपात स्थिति बनाये रखने के लिये बढ़ा चढ़ा कर रखना चाहती है।

वहां पर बलात्कारों, हत्याओं, अत्याचारों और दमन की बड़ी भयानक तथा लम्बी कहानी है ।

सरकार की वहां की एन० एन० ओ० से सांठ-गांठ है । वास्तव में एन० एन० ओ० को कांग्रेस सरकार की तरह ही समझा जा सकता है और उसका रोम-रोम भ्रष्टाचार में फंसा है । जब संयुक्त लोकतन्त्र मोर्चे ने सरकार सम्भाली थी तो नागालैंड में पी० डब्लयू० डी० के गोदामों को खाली कर दिया गया था । किन्तु लेखे सम्बन्धी पुस्तिकाओं के अनुसार इनमें सरकार के उपकरण होने चाहिये थे । भारत सरकार का अधिकतर रुपया एन० एन० ओ० के शीर्षस्थ नेताओं और यू० डी० एफ० विरोधी अधिकारियों और व्यापारियों की जेबों में चला गया है । चीनी आदि जैसे बहुत सी कठिनाई से उपलब्ध वस्तुओं की चोर बाजारी होती है और इन भ्रष्ट तरीकों से बहुत रुपया बनाया गया है । चुनाव के बाद भी व्यापारियों ने एन० एन० ओ० में शामिल होने के लिये अधिकांश विधायकों को प्रति विधायक 3 लाख रुपये देने की पेशकश की और वहां के एक भूतपूर्व मुख्य सचिव जिसकी वहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं का नाम श्री एम० रामानी है . . .

सभापति महोदय : यदि आप नियम 353 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल नाम देना ही पर्याप्त नहीं है उसके लिये नामों की सूचना अध्यक्ष और मन्त्री महोदय को देनी होती है ताकि उसका उत्तर दिया जा सके । यह सूचना नाम नहीं बल्कि आरोपों के बारे में भी होनी चाहिये । आपने केवल नाम दिये हैं, आरोपों का कोई उल्लेख नहीं है । इसका अभिप्राय यह है कि अगर आप आरोपों का भी उल्लेख कर दें तो हम मन्त्री महोदय को सूचित कर सकते हैं और मन्त्री महोदय उसकी जांच कर उत्तर दे सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय उसका बाद में उत्तर दे सकते हैं ।

सभापति महोदय : यह तरीका सही नहीं होगा । इस सम्बन्ध में मेरे पास अध्यक्ष के विनिर्णय हैं यह 1971 का है और ज्योतिर्मय बसु के सन्दर्भ में ही है । मैं उन्हें इसकी याद दिलाता हूं:--

> "नियम 353 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा उस व्यक्ति के नाम की सूचना देना ही पर्याप्त नहीं है जिसके विरुद्ध उसे आरोप लगाना है । आरोप के बारे में भी कुछ ब्यौरा दिया जाये । 10 दिसम्बर, 1970 को श्री ज्योतिर्मय बसु ने अध्यक्ष महोदय को नियम 353 के अन्तर्गत उस दिन के लिये स्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा कि वह श्री ए० के० सेन, संसद सदस्य के नाम का उल्लेख करेंगे । जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा के लिये उठाया गया तो अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया :---
>
> 'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेने से पहले मुझे श्री ज्योतिर्मय बसु की रिबट मिली कि वह नियम 353 के अन्तर्गत नाम का उल्लेख करना चाहते हैं ।' "
>
> "किन्तु नियम 353 इतना साधारण नहीं है कि आप बस यह कह दें कि आप कुछ नामों का उल्लेख करना चाहते हैं । आपको इस सम्बन्ध में कुछ विस्तार में कहना चाहिये कि मामला क्या है ताकि अध्यक्ष उसकी जांच कर सकें । अन्यथा आप अध्यक्ष के लिये अचानक ही कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे ।"
>
> अतः जब तक आप उन आरोपों की सूचना नहीं देंगे मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अपने संसदीय जीवन काल में 30-40 बार से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी हैं। हो सकता है कि किसी बार मामले में इस बात का उल्लेख किया गया हो। किन्तु संसद सदस्य होने के नाते मैं अध्यक्ष महोदय और मन्त्रियों को सूचियां कैसे सप्लाई कर सकता हूं जबकि अनुसचिवीय सहायता उपलब्ध नहीं की जाती। यह कतई सम्भव नहीं है। नियम 353 के अन्तर्गत आरोपों की बात स्पष्ट की जानी चाहिये इस पर विनिर्णय दिया जाये। इसके अतिरिक्त 30-40 बार इस प्रकार की सूचनाएं दी हैं किन्तु कभी भी ऐसा नहीं हुआ।

सभापति महोदय : आपने बेशक 100 बार किया हो किन्तु उससे नियमों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुझे यह बताया गया है कि आपको अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि आपको इस सम्बन्ध में ब्यौरा देना होगा।

Shri R. R. Sharma (Banda): Mr. Chairman, Sir, I have a point of order. Your interpretation of rule 353 is correct. But it has been the practice in the House and honourable Speaker has been allowing it. It is, therefore, requested that he may state the allegations. Please do not be so rigid about the ruling.

Mr. Chairman: Kindly allow me to act within the rules so that I am not put to difficulties. I seek your help. If only names are given and afterwards allegations are made, how far it will be justified?

Shri R. R. Sharma: It has been the convention of the House. You try to interpret the rules widely and do not try to suppress the voice of some body.

Mr. Chairman: I do not want to suppress the voice of anybody. But will it be justified if allegations are levelled against a person who is not here to protect himself.

Shri R. R. Sharma: The honourable Minister is there to protect him.

Mr. Chairman: He does not know the allegations. What will he do?

Shri Jyotirmoy Bosu: Should we give a printed copy of our speeches? Kindly make the rules clear.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sometimes, we do not like to define allegations before hand. We want to come armed with it here and want to spring a surprise.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्री बनर्जी ने दो प्रकार के आरोपों का उल्लेख किया है एक तो अध्यक्ष महोदय को बताये जा सकते हैं दूसरे जो आस्तीन में छिपा कर लाये जा सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : इन्हें छिपाया नहीं जा रहा बल्कि सभा पटल पर रखा जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने केवल श्री रामानी का नाम लिया था जिसकी रक्षा श्री मिर्धा आकर कर सकते हैं किन्तु वह तो जनता सेवक हैं जिन्हें यहां आने का समय ही नहीं मिलता यद्यपि हम तो नैमैत्तिक श्रमिकों की तरह हैं जिन्हें न कोई काम होता है न वेतन मिलता है।

श्री मिर्धा ने कहा था कि वह नागालैंड जा कर कुछ मामलों को निपटायेंगे किन्तु वह वहां नहीं गये किन्तु उन्होंने रामानी आदि से सलाह कर ली और उसका परिणाम था नागालैंड और मीजोरम तथा अन्य ऐसे राज्यों में कानून और व्यवस्था के नाम पर सरकार द्वारा मनमानी। लोगों पर अत्याचार किये जा रहे हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है मानों वह लोग इनके

दास हैं उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा सकता है उनकी झुगियों को जलाया जा सकता है, उनकी हत्या की जा सकती है ।

मैंने वहां प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति से बात की है और जब उनकी दु:खों की, उन पर हो रहे अत्याचारों की गाथा सुनता हूं तो मेरा दिल खून के आंसू बहाता है ।

श्री रामानी के बारे में श्री नेहरू की भी राय अच्छी नहीं थी । इससे सभी नागा घृणा करते हैं नेहरू जी ने कहा था कि इस व्यक्ति को फौरन बाहर निकाला जाये किन्तु उसके बिना इनका काम ही नहीं चलता, क्यों ? मन्त्री महोदय बतायें कि श्री नेहरू ने जो बात कही थी ठीक है अथवा नहीं । अगर मेरा कहना ठीक है तो इस व्यक्ति को अभी भी क्यों रखा हुआ है ।

नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करना नितान्त गलत है । वहां विधान सभा भंग नहीं की गई है और न ही नये चुनाव कराये जा रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से एन० एन० ओ० और कांग्रेस का वहां से सफाया हो जायेगा । अत: वे ऐसे ही चलने देना चाहते हैं । एक ओर दल-बदल विरोधी विधायक का प्रारूप तैयार कराया जाता है दूसरी ओर दल-बदल कराया जाता है । राज्यपाल की भूमिका निन्दा-जनक रही है । क्योंकि विजोल ने स्वयं अपना त्यागपत्र नहीं दिया था बल्कि उसके मेज से उठाकर उसके गैर-नागा सचिव ने राज्यपाल को दिया । राज्यपाल ने उसे शीघ्र ही स्वीकार कर लिया और एन० एन० ओ० के नेता को जल्दी से शपथ दिला कर मुख्य मन्त्री बना दिया गया । सभी दल-बदलुओं को मन्त्री बनाया गया । किन्तु एक सप्ताह में ही एन० एन० ओ० सरकार अल्पमत में हो गई । 19 मार्च को यू० डी० एफ० के नेता 33 विधायकों की सूची लेकर राज्यपाल से मिले किन्तु राज्यपाल ने इस बार विपरीत रवैया अपनाया । दुर्भाग्य से अध्यक्ष भी दल बदलु निकला । और फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि नागालैण्ड परामर्शदाता समिति का गठन, अनुरोध किये जाने के बावजूद क्यों नहीं किया गया ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : यह कहना नितान्त गलत है कि हमने नागालैण्ड सरकार को गिराने के लिये दिल्ली में कोई षड़यंत्र किया । सब तथ्य पहले सदन में बताये जा चुके हैं । हम नागालैंड में लोक प्रिय सरकार की स्थापना करना चाहते हैं । राष्ट्रपति का शासन किन परिस्थितियों में लागू करना पड़ा यह बताया जा चुका है ।

श्री नुरुल हुड्डा : यह एक व्यर्थ का तर्क है ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : आपने बीच में व्यवधान करने की आदत बना ली है । यह वर्ष आपको व्यर्थ लग सकता है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । हमारे मतों में भिन्नता है । इसलिये आप उधर बैठे हैं मैं इधर । (व्यवधान)

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नागालैंड की जनता का जीवन जिसकी विशिष्ट प्राचीन संस्कृति है राष्ट्रीय जन-जीवन के साथ एक धारा में बहें । मैं यह नहीं मानता कि नागालैंड के सब लोग भारत सरकार और राष्ट्रीय जन-जीवन विरोधी हैं । हम सब गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं । इसी कारण भारत सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि छिपे नागाओं का, राष्ट्र के जन मानस में घुलने मिलने और नये नागालैंड निर्माण करने में सहयोग प्राप्त न किया जाये ।

यदि हम इस समस्या का महत्व यह कह कर कम करना चाहें कि नागालैंड में आजकल जो कुछ हो रहा है वह सेना और पुलिस के अत्याचार के कारण है तो हम नागालैंड के लोगों की भावना के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं और सेना द्वारा किये गये प्रशंसनीय कार्य की अवहेलना कर रहे हैं । वे भारत सरकार के निदेशों पर वहां गये हैं नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाने में वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं । यदि कोई अत्याचार किया गया है तो उसकी पूरी जांच की जायेगी परन्तु ऐसी बात कहते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ।

कुछ सदस्य सीधे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि नागालैंड का सारा प्रशासन सैना चला रही है । ऐसी बात नहीं है । नागालैंड की विशेष स्थिति के कारण संविधान में नागालैंड के सम्बन्ध में विशेष अनुच्छेद हैं और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिये गये हैं । नागालैंड के लोगो की कुछ विशेषताएं हैं और उनका सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन के साथ सामंजस्य रखा जाना है । इस उद्देश्य के लिए संविधान के विशेष उपबन्धों को लागू किया जाना है ।

महोदय, यह सुझाव दिया गया है कि नागालैंड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है । मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि जो किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है । परन्तु सदस्यों को यह भली भांति ज्ञात है कि यह सीमित साधन और संसाधनों के कारण हुआ है । यदि हमारे पास अधिक संसाधन होते तो हम नागालैंड के विकास के लिए अधिक धन देते ।

यह कहना गलत है कि पुलिस पर तथा कानून और व्यवस्था पर अधिकांश व्यय हो रहा है । कानून और व्यवस्था बनाये रखने पर केवल 10 प्रतिशत व्यय हो रहा है । मेरे विचार से इस प्रकार के क्षेत्र में पुलिस को दृढ़ किया जाना चाहिए । वे वहां की भाषा जानते हैं और स्थानीय लोगों की परम्पराओं से परिचित हैं । वे बाहर के लोगों से और अधिक अच्छी तरह से कानून और व्यवस्था बना सकते हैं ।

नागालैंड जैसे छोटे से राज्य के लिए बिजली के लिए 4 करोड़ रुपये, उद्योग के लिए 3 करोड़ रुपये, कृषि के लिए 2 करोड़ रुपये और शिक्षा के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में शिक्षा के लिए सबसे अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

मैं यह मानता हूं कि नागालैंड पेपर और पल्प परियोजना को पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था । इस की लागत 69 करोड़ रुपये है और भारत सरकार इसका सारा व्यय वहन करती है । आशा है कि 1977 तक यह पूरी हो जायेगी । यह भी आशा है कि नागालैंड में अन्य उद्योगों के चालू होने से वहां के लोग सम्पन्न होंगे ।

1238 LS—12.

सभापति महोदय द्वारा नागालैंड राज्य की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Nagaland State were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	राज्य विधान मंडल	17,25,000	
3	मंत्रि परिषद . .	37,50,000	
4	न्याय प्रशासन	10,12,500	
5	चुनाव . .	14,66,300	
6	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण	12,80,500	
7	राज्य उत्पाद शुल्क	5,62,500	
8	बिक्री कर . .	4,50,000	
9	मोटर गाड़ियों पर कर .	3,45,000	
12	सिविल सचिवालय . .	80,25,000	
13	जिला प्रशासन विशेष कल्याण स्कीम और आदिवासी परिषद् .	1,26,00,000	
14	राजकोष और लेखा प्रशासन .	11,62,500	
15	शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने पर विशेष व्यय जिसमें पेंशन तथा उपदान अंशदान भी शामिल है .	51,00,000	
16	ग्राम गार्ड . . .	28,12,500	
17	सिविल पुलिस और फायर सर्विस यूनिट	3,92,25,000	
18	जेल	28,65,000	
19	लेखन सामग्री और मुद्रण	19,87,500	
20	सतर्कता आयोग	75,000	
21	वर्कशाप संगठन	12,37,500	
22	नागालैंड गृह	4,65,000	
23	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	4,12,500	
24	राज्य लाटरी	6,78,800	
25	पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	4,23,000	

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
26	शिक्षा	3,98,83,500	..
27	कला तथा संस्कृति और गजट यूनिट	8,13,700	
28	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	2,30,13,100	
29	शहरी विभाग	10,87,500	
30	सूचना, प्रचार तथा पर्यटन	24,60,000	
31	रोजगार कार्यालय	1,61,300	
32	श्रम	82,300	
33	आदिवासी विकास ब्लाक, समुदाय परियोजना आदि	62,85,000	
34	समाज कल्याण	26,43,800	
35	सिपाही, नाविक और विमान-चालक बोर्ड	48,800	
36	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और समुदाय सेवाएं	8,27,300	
37	मूल्यांकन यूनिट	1,20,000	..
38	सहकारिता . .	18,60,000	9,52,500
39	सांख्यकीय . .	10,87,500	..
40	तोल और माप	2,78,300	..
41	कलकत्ता में पूर्ति कार्यालय .	1,32,800	
42	कृषि, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन आदि	1,68,26,400	
43	भू-संरक्षण . .	30,37,500	..
44	अनाज पूर्ति योजना . .	40,12,500	2,25,00,000
45	पशु पालन और डेरी विकास .	80,49,800	1,05,000
46	वन .	59,92,500	..
47	उद्योग .	41,02,500	1,66,87,500
48	खनिज विकास .	18,93,000	..
49	विद्युत परियोजनाएं .	2,13,23,300	1,19,44,900
50	सड़क परिवहन . .	47,25,000	26,25,000
51	वित्तीय निगम सेल . .	3,75,000	..
52	आवास ऋण और सरकारी कर्मचारियों को ऋण	..	58,50,000

1	2		3
53	सार्वजनिक निर्माण कार्य, आवास, सड़क और पुल	13,53,88,500	3,31,98,800
54	फंकशनल भवन और अन्य विकास योजनाएं	..	1,17,25,100
55	जल पूर्ति योजनाएं . .	75,98,900	78,75,000

नागालैंड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975

NAGALAND APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की समेकित विधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 and the Schedule were adopted to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE.* ALLEGED VICTIMIZATION OF EMPLOYEES OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

"That this House do consider the Statement made by the Minister of Finance in the House on the 22nd August, 1974 regarding the alleged victimisation of the employees of the Comptroller and Auditor General and the decision to withdraw the recognition from the All India Federation of Employees."

The Finance Minister made a statement on 22nd August but after such a long time it is only today that it has come for consideration of the House. This shows that this House is not alive of the problems of their employees.

The Comptroller and Auditor General of India has a special Status under the constitution. He has been entrusted with the responsibility of audit. He

has thousands of employees to help him. It is therefore, necessary to have a machinery to consider their reasonable complaints, the Joint Consultative Machinery is not operative here. The departmental Council is lying dead. Since 1968 and efforts have been made by the employees to revive it but the Comptroller and Auditor General has not reacted favourably. The Officers are indifferent to the grievances of the employees and if any opportunity is not provided to them to ventilate their grievances, this discontentment may increase further.

I do not hope that this matter will be decided at this level. I have been told that justice is to be done to the employees of Comptroller and Auditor General, the doors of the Prime Minister are to be knocked. I would like to know whether the rules and regulations which apply in other departments are not applicable to the offices of Comptroller and Auditor General.

The employees working in the offices of Comptroller and Auditor General went on strike on 10th May. Before that there was down strike. The strike was in support of their demands for new pay scales and in sympathy with the strike of railway employees.

It is amazing that those employees who went on token strike in sympathy with general strike of the Railways were dismissed from service whereas the striking railway workers have been reinstated. It is great injustice to the employees of Comptroller and Auditor General whose cases under D.I.R. have not been withdrawn but similar cases have been withdrawn in other offices.

You will recollect that D.I.R. were passed on 4-12-71. These rules are applicable to (i) Defence of India (ii) Civil Defence (iii) Maintenance of public order and Safety (v) Efficient conduct of military operations and (v) Maintenance of Supplies and Services which are essential to the life of the community. Audit office is not at all concerned with these even then injustice was done to these employees.

The employees whose services were terminated numbered 48 and those who were suspended were 72. Break in service was imposed in the case of 12,000 employees. The strike took place on 10th May but wages of the employees have been deducted even for 11th and 12th May which were holidays. It was nothing but highhandedness on the part of the authorities. The Income tax department has refunded the deduction made for 11th and 12th because they were public holidays but it is strange that this decision is not going to be applied to the office of Accountant General.

These should be uniform criterion for dealing with the striking employees. The grievances of dock workers and the employees of Indian Oil Corporation were removed by having talks with them. There is no reason why the grievances of the employees of the office of Comptroller and Auditor General cannot be removed by having talks with them.

Employees were victimised the most in Gwalior. The atrocities committed on the employees there are unparalleled. The employees were arrested from their houses. There was no violence on their part. They were beaten by the police. They were taken round the city handcuffed. The kind of treatment meted out to the employees has not even been meted out to the smugglers. The Services of the employees were terminated just for raising funds for the families of those employees who were arrested.

The police charge sheet does not contain any reference of intimidation or violence in Rajkot. In Trivandrum. D.I.R. was enforced with a view to arresting

some employees so that they can be dismissed from service. Now we want to know as to what is proposed to be done with regard to these employees. Whether a Consultative Council will be made for these employees.

It is unfortunate that a show cause notice has been served to the Federation of Employees, under Comptroller and Auditor General in order to terminate their recognition.

I am very sad that nobody is prepared to look into the grievances of audit employees. I want a satisfactory reply from the Hon'ble Minister today and I hope the Hon'ble Members will also raise their voice in support of their demads.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : महोदय, श्री वाजपेयी ने लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग की शिकायतों के बारे में जो कुछ भी कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह जानना चहता हूं कि क्या महालेखापरीक्षक के कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यक घोषित किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध भारत रक्षा नियम को लागू किस प्रकार किया जा सकता है ? वित्त मंत्री ने गुमराह करने वाला वक्तव्य दिया है कि जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया या जिन पर मुकदमा चलाया गया उन्होंने हिंसात्मक कार्य किये। पुलिस की रिपोर्ट तथा चार्ज-शीट में ऐसे कोई आरोप नहीं हैं। राजकोट में जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उनमें से किसी के भी विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है। उन्होंने सिर्फ नारे लगाये और हड़ताल में भाग लिया। कर्मचारियों के मामले में भारत रक्षा नियम का दुरुपयोग किया गया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। किन्तु जब से वर्तमान महालेखापरीक्षक आये हैं यह गड़बड़ी आरम्भ हुई है। इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कर्मचारियों ने बार बार प्रतिवेदन दिये परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मुझे मालूम हुआ है कि 6,000 कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान किया गया है। कृपया यह बताएं कि सेवा में व्यवधान किये गये, बरखास्त किये गये तथा जिन की सेवाएं समाप्त की गई उनकी संख्या कितनी है। इस विभाग में कब तक सामान्य स्थिति बनाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों पर बातचीत के लिए उन्हें क्यों अवसर नहीं दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों के बारे में सरकार ने निर्णय कर दिया है। इन कर्मचारियों ने केवल उनके समर्थन में हड़ताल की थी। 11 और 12 तारीख को छुट्टी थी परन्तु इसका क्या कारण है कि सरकार ने इन दिनों का जो वेतन काटा है उसे वापस नहीं दिया है।

जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा कि इस विभाग में बातचीत करने के लिए जो संयुक्त व्यवस्था थी वह 1968–70 में समाप्त की गई। कर्मचारियों को अपनी शिकायतें अधिकारियों तक रखने का अवसर नहीं दिया गया है। यह अत्यन्त अनुचित है। संघ को संवैधानिक रूप से कार्य करने तथा अपनी शिकायतों को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कर्मचारियों का उत्पीड़न हो चुका है तथा सेवा में व्यवधान, बरखास्तगी, सेवा से हटाया जाना आदि सब हुआ है। निष्ठावान कर्मचारियों के नाम पर कनिष्ट कर्मचारियों से

पूर्व पदोन्नति की जा रही है । यह फूट डालकर शासन करने की नीति है । 27 हजार लोगों ने हड़ताल में भाग लिया है उनका दक्ष-रोध समाप्त नहीं किया गया । उनकी वेतन वृद्धि रोक ली गई है ।

मंत्री महोदय इन सब बातों का स्पष्टीकरण दें । कर्मचारियों को उनके अधिकार वापस दिये जायें जो उन्हें हड़ताल से पूर्व प्राप्त थे । जिन कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान डाला गया है या मुअत्तिल अथवा बर्खास्त कर तंग किया गया है उनके विरुद्ध मामलों को शीघ्र वापस लिया जाना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री बाजपेयी को बधाई देना चाहता हूं कि वे यह प्रस्ताव लाये हैं । इस पर कुछ कारणों से विचार न हो सका । किन्तु अन्ततः यह सभा के समक्ष आया है । हालांकि हड़ताल के बाद नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित नहीं किया गया है फिर भी विभिन्न शहरों में इस विभाग के कार्यालयों के कर्मचारियों पर भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है । डाक-तार तथा आयकर विभाग के हड़ताली कर्मचारियों को वापस लिया गया है । आयकर विभाग में जिनको नौकरी से निकाला गया था उन्हें वापस लिया गया है । रेलवे विभाग को छोड़ कर अन्य सभी विभागों में मुअत्तिल कर्मचारियों की संख्या लेखापरीक्षा विभाग के मुअत्तिल कर्मचारियों से कम थी । आश्चर्य की बात है कि यहां किसी को भी नौकरी पर वापस नहीं लिया गया । ग्वालियर में तंग किये जा रहे कुछ कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा गया और उनके परिवारों के सदस्यों को यातनाएं दी गईं । उनके विरुद्ध केवल नारे लगाने का आरोप था । हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुल 27,000 कर्मचारियों में से 12,000 कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान किया गया और अभी 6000 कर्मचारियों के मामले विनियमित नहीं किये गये हैं ।

कर्मचारियों को कई मामलों में अयोग्य ठहराया गया । उन्हें विभागीय परीक्षाओं में भाग लेने से रोका गया । इस विभाग में बातचीत करने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। संघ को दी गई सब सुविधाएं छीन ली गई हैं ।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संविधान के अन्तर्गत विशेष स्थिति है । पहले भी हड़तालें हुईं किन्तु बातचीत के बाद शिकायतों का समाधान किया गया और हड़ताली कर्मचारी सेवा में वापस लिये गये । वर्तमान नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का रवैया पहले जैसा नहीं रहा है । मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इसमें हस्तक्षेप करें । सरकार यह आश्वासन दे कि रेलवे कर्मचारियों पर जो नियम लागू किये गये हैं वही लेखापरीक्षण कर्मचारियों पर भी लागू किये जायेंगे । मंत्री महोदय को साहसपूर्ण कदम उठाना चाहिए । समय आ गया है कि वह अपनी स्थिति समझें ।

Shri R. S. Pandey (Rejnandgaon): If the pay scale of Rs. 330—550 as recommended by the Third Pay Commission, which has caused discontentment and dissatisfaction among the employees is inadequate, it can be reviewed. I shall urge upon the Government to consider sympathetically the case of the employees who have been suspended, or dismissed or in whose service a break has been caused for participating in the strike. I feel their trike is quite different. Their

responsibility is greater than those of other workers. Those employees who have been suspended or dismissed should be reinstated. This will help creating a congenial atmosphere for negotiations. I shall suggest an industrial trustee for a period of five years so as to discourage the tendency of taking resort to strikes. The Government should see that such a situation is not created as may aggravate the position.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : सभापति जी, सरकार का रवैया अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत ही आक्रामक है । 7 जून, 1974 को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय में वहां के कर्मचारियों ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया था। उन्होंने काफ़ी समय पहले अपना मांगपत्र सरकार को दे दिया था । लेकिन विभाग ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया । अन्ततः 7 जून, 1974 को उन्हें प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ा । इस अपराध के लिए उन्हें भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया । यह भारत रक्षा नियमों का दुरुपयोग है ।

महालेखापरीक्षक के राजकोट कार्यालय में कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई । फिर भी 9 कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गये । उनको जो आरोपपत्र दिया गया उसमें भी हिंसा का आरोप नहीं है । वित्त मंत्री ने सभा को गुमराह किया है । उन्होंने गलत बयान दिया है । इसलिये इस सभा का कर्तव्य है कि वह सरकार को निदेश दे कि सरकार भारत रक्षा नियमों की धारा 119(3) के अधीन गिरफ्तार किये गये 9 कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में जो मामले पड़े हैं उन्हें वापस ले तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे तथा उसे सजा दे ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह मामला एक गम्भीर मामला है। सर्वप्रथम हमें यह निश्चय करना है कि क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक इस मामले में उत्तरदायी हैं, और अगर हैं, तो किसके प्रति तथा उनके विरुद्ध इस आचरण के लिए किस प्रकार कार्यवाही की जाये । यदि यह सभा समझती है कि महालेखापरीक्षक के कार्यालय और विशेषरूप से महालेखापरीक्षक ने जो कार्य किया है वह संविधान में निर्धारित उनके अधिकारों और कर्तव्यों के अनुरूप नहीं है तो क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ?

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों का उल्लेख है पर इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए उन्हें ऐसे व्यापक अधिकार कहीं नहीं दिये गये हैं। सभी लोकतंत्रात्मक देशों में यह सुस्थापित सिद्धान्त और प्रथा है कि कर्मचारियों को संगठित होने, संघ बनाने, नियोजकों के साथ परामर्शी व्यवस्था कायम करने का अधिकार है जिससे कि वे अपनी शिकायतें दूर करवा सकें । यदि महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने मजदूर संघों की मान्य गतिविधियों के विरुद्ध यह कार्य किया है तो क्या उसे यह सब कुछ करने दिया जाना चाहिए ? उन्हें ऐसे करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । महालेखापरीक्षक और उनके कुछ वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा कर्मचारियों के साथ इस प्रकार जो मनमाना व्यवहार किया जा रहा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मजदूर संघ गतिविधियों के प्रति सरकार का रवैया क्या है ? क्या सरकार चाहती है कि सरकारी क्षेत्र या सरकारी विभागों में मजदूर

संघ उचित गतिविधियों न चलाएं ? यह सभा कर्मचारियों को डराने-धमकाने की सरकार की इस कार्यवाही को सहन नहीं कर सकती । मैं राजकोट में जो कुछ हुआ और जिस आधार पर हुआ उसे दोहराना नहीं चाहता । पर मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस ने भी यह नहीं कहा है कि कर्मचरियों ने कोई हिंसात्मक कार्यवाही की है । पर हिंसा के नाम पर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

एक कर्मचारी वर्ग के साथ दूसरे कर्मचारी वर्ग द्वारा सहानुभूति व्यक्त करना अपराध नहीं है । सभी कर्मचारी एक समान हैं । वे सभी वेतनभोगी हैं और सब के एक ही लक्ष्य, आदर्श और कार्यक्रम हैं । तब महालेखापरीक्षक ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्भाग्यपूर्ण, भेदभाव पूर्ण और दमनात्मक कार्यवाही क्यों की ?

इन अभागे कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार दमनात्मक कार्यवाही करना एक गम्भीर बात है । 48 कर्मचारी बर्खास्त किये गये हैं । 72 निलम्बित किये गये हैं तथा 12,000 के वेतन में कटौती की गई है तथा उनकी सेवा में व्यवधान डाला गया है । इन 12,000 कर्मचारियों पर विभागीय परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी गई है; पदोन्नति के मामले में उनकी वरीयता का अधिलंबन किया गया है । उन्हें दक्षता-रोध पार नहीं करने दिया जा रहा है, अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है तथा अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है और किसी विभाग के उच्च पदों के लिए साक्षातकार के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है । क्या यही आपका लोकतंत्र है ? क्या यह तानाशाह, निरंकुश, सर्वसत्तात्मक शासन नहीं है ?

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह न केवल सही और सहानुभूतिपूर्ण एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाए बल्कि रेल कर्मचारियों, गोदी कर्मचारियों के साथ की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए इस सम्पूर्ण मामले में शीघ्र ठोस और व्यावहारिक कार्यवाही करे ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके तथा कटुता समाप्त हो जाये । इन कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज गलत और झूठे मामले वापस लिये जायें । यदि इस दिशा में कदम सरकार ने नहीं उठाये तो इसके भयंकर परिणाम उसे भोगने पड़ेंगे ।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): During the last few days, certain actions has been taken against the employees of the Comptroller and Auditor General of India on charges of violence and sabotage. If the employees have not indulged in violent activities, the action taken against them should be withdrawn.

In Rajkot and Gwalior about 12,000 employees, have been victimised. The break caused in their service has not been condoned. It should be condoned. The General Secretary of the Brotherhood Association of the employees of the office of A.G. has been suspended by the A.G. Allahabad. He is still under suspension. This is how the employees are being victimised. I would like to urge upon the Government to give a serious thought to the question of victimisation of these employees and also to do justice to them. If this question is not considered seriously, I am afraid the employees may be compelled to launch agitation against the Government.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : जो तीन चार बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं मैं उनका क्रम से उत्तर दूंगा । वास्तव में मनमानी या दमनात्मक कार्यवाही करने का न इरादा हमारा रहा है और न नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का

वस्तुत: इन हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जारी परिपत्र रेल कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार किया गया है या भेदभाव हुआ है।

जहां तक मामलों को वापस लेने का सम्बन्ध है पहले भी कई बार इस सभा में कहा गया है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस मामले की कार्यवाही की जायेगी जिन पर दूसरों को हड़ताल में भाग लेने के लिए डराने-धमकाने तथा उकसाने के निश्चित आरोप हैं। विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे इन मामलों की समीक्षा करें। यह कहना गलत है कि सभी कर्मचारियों के साथ एकसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

सेवा-व्यवधान के मामलों में भी एक ही सिद्धान्त अपनाया गया है। हड़ताली कर्मचारियों को दो वर्गों में बांटा गया है—(1) आक्रामक वर्ग (2) अनाक्रामक वर्ग जिसने केवल आह्वान का पालन किया। अत: फिलहाल सभी मामलों में कार्यवाही की गई। कुछ दण्ड भी दिये गये। लेकिन बाद में समीक्षा के बाद उसे वापस ले लिया गया। आरम्भ में पुलिस ने 57 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ न्यायालय में मामले दर्ज किये गये। अब केवल 53 मामले शेष रह गये हैं।

मुअत्तिल कर्मचारियों की संख्या 30 अप्रैल को 100 थी। अब 70 रह गई है। ये अनुदेश जारी किये गये हैं कि जो कर्मचारी डराने-धमकाने एवं हिंसात्मक गतिविधियों में लगें हैं उन्हें पकड़ा जाये और अगर उनके विरुद्ध विशिष्ट आरोप हों तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाये।

बर्खास्त किये गये कर्मचारियों की संख्या पहले 96 थी पर अब 91 रह गई है। जिनके वेतन काटे गए उनकी संख्या 7180 थी और अब 6571 रह गई है। 3636 कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान आया था पर अब इनकी संख्या 2236 रह गई है। यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। यह हड़ताल सांकेतिक नहीं थी।

जहां तक संघ की मान्यता समाप्त करने का सवाल है, संघ की मान्यता समाप्त नहीं की गई है। नोटिस भी वापस नहीं लिया गया है। अन्ततः मंत्रिमण्डल ने यह फैसला किया कि कर्मचारियों के साथ बातचीत की जाये। बातचीत अभी होनी है। यह बातचीत केवल मान्यता के मामले तक ही सीमित नहीं रहेगी। उसमें संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था तथा अन्य मामलों पर भी विचार किया जायेगा। यह कहना अभी सम्भव नहीं है कि सरकार किस प्रकार का निर्णय करेगी। लेकिन हमें आशा है कि अगर बातचीत हुई तो इस विषय में निर्णय लेना सम्भव होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The cases against the employees are being processed under D.I.R. by various State Governments and they have adopted different policies. In the case of railway strike the Home Ministry had issued some instructions to the State Governments. I would like to know whether any instructions were issued in regard to strike in C. & A.G. office also. The Minister has said that the C. & A.G. has been asked to start a dialogue with the employees. It was a welcome step. The Joint consultative machinery and the

departmental Council should also be reactivated. The Minister should give an assurance that it will be done.

The police report does not say that the employees have indulged in violence in Rajkot. The police was forced by an officer to register the cases under D.I.R. consequently the employees were suspended and thus victimised. What is the remedy? The Comptroller and Auditor General should be asked to consider each case sympathetically.

There are certain temporary employees whose services have been terminated. In the dialogue this issue will come up. The C. & A.G. should be asked to adopt a sympathetic attitude in this regard.

The Minister raised the issue of pay-cut. I do not deny that the notice was for an indefinite period but it was withdrawn on 13th. 11th and 12th were holidays. Therefore even if the employees wanted to join duty they could not do so. The employees should be given pay for 11th and 12th. The C. and A.G. should be asked to change his attitude and a sympathetic consideration be given to the cases of the employees.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 मई, 1975/19 वैशाख, 1897 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday May 9. 1975/Vaisakha 19, 1897 (Saka).

GMGIPND—LSIII—1238 LS—15-9.75—200.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]